एम0 ए0 हिन्दी दृितीय सत्रा

पाठ्यक्रम– 8

हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि

पाठ 1 से 10

डॉ0 मंगत राम

International Centre for Distance Education and Open Learning (ICDEOL)

Himachal Pradesh University

Summer Hill, Shimla, 171005

हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि

पाठ्यक्रम 8

विषय सूची

क्रम संख्या	खण्ड	पृष्ठ संख्या
खण्ड–1	हिन्दी भाषा और हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी विशेषताएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी विशेषताएं	1
खण्ड–2	आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी वर्गीकरण हिन्दी का भौगोलिक विस्तार एवं हिन्दी की उपभाषाएं व बोलियां तथा उनकी विशेषताएं	19
खण्ड–3	हिन्दी शब्द रचना–उपसर्ग, प्रत्यय, समास व्याकरणिक कोटियां	31
खण्ड–4	हिन्दी के विविध रूप देवनागरी लिपि, वर्तनी विशेषताएं एवं मानकीकरण	73

खण्ड–एक

हिंदी भाषा का उद्‌भव एवं विकास

1.1 भूमिका

1.2 उद्देश्य

1.3 हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.4 भाषा के विविध पक्ष

1.5 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं

1.6 मध्यकालीन भारतीय भाषाएं

1.7 सारांश

1.8 कठिन शब्दावली

1.9 स्वयं आकलन के प्रश्न

1.10 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

1.11 सन्दर्भित पुस्तक

1.12 साित्रााक प्रश्न

1.1 भूमिका

आपके पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 'भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा' की सम्पूर्ण जानकारी दी जा रही है। वैसे भी स्नातकोतर हिन्दी और विशेषतयः भाषा विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको भाषा विज्ञान का अधयतन बोध अपेक्षित है। इसी दिशा में हमारा प्रयास रहेगा कि सरलतम विधि द्वारा आप निम्नवत् बिन्दुओं का अध्ययन करके जान सकें कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा तथा अर्थ और भाषा के विभिन्न लक्षण तथा पक्ष आदि की जानकारी हासिल कर सकें।

भाषा–भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष' धातु से बना है। भाष का अर्थ है बोलना या कहना। अतः भाषा वह है जिसे बोला जाए त क्या पशु–पक्षियों की बोली भी भाषा कही जानी चाहिए? प्रत्येक जीवीाारी किसी न किसी प्रकार की भागा का प्रयोग करता है। परन्तु हम उनकी भाषा को उनकी योनी को भाषा नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जबकि भाषा के सम्बन्ध में हमारा तात्पर्य मनुष्यों की लिखित भाषा से है। भाषा का लिखित रूप मात्रा सांकेतिक न होकर विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के माध्यम का कार्य करता है। विचार और भाष–विनिमय के माध्यम के लिखित रूप को ही हम वस्तुतः भाषा कहते है।

'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। इस कथन को कुछ सुधार कर यह कहा जाए कि 'मनुष्य एक भाषाई प्राणी है' तो कुछ अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य इसी कारण अन्य जीव जन्तुओं और पशु पक्षियों से भिन्न है कि उसके. पास भाषा की शक्ति है और इसी भाषाई शक्ति के आधार पर वह सामाजिक प्राणी बन सका है। हम बचपन से बुढ़ापे तक भाषा से घिरे रहते हैं. हम उसी में सोचते हैं, उसी से बोलते हैं, उसी से सामाजिक संपर्क बनाते हैं।

कविता प्रताप गुरु के अनुसार 'भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समक्ष सकता है। मनुष्य के कार्य

उसके विचारों से उत्पन्न उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसको वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। जगत का अधिकांश व्यवहार, बोलचाल अमदा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत् के व्यवहार का मूल है'।

साधारणतयः हम कर सकते हैं कि वह कोई संकेत जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना मंतव्य दूसरे व्यक्ति पर स्पष्ट कर सके वह भाषा है। उदाहरण के तौर पर चौराहे पर सिपाही का हाथ उठाकर किसी सड़क के यातायात को रोकना भाषा है, गार्ड का ईंजन के ड्राईवर को लाल या हरी झंडी दिखाना भाषा है, सिगनल उपर–नीचे होना भाषा है, यु(काल में सायरन का बजना भाषा है, व्यक्ति का नकारात्मक या स्वीकारात्मक रूप में गर्दन हिलामा भाषा है–अर्थात् किसी मंतव्य को स्पष्ट करने वाला कोई भी इंगित भाषा है। और जो हम आपस में बातचीत करते हैं यह भी भाषा है।

1.2 उद्देश्य

1. भाषा की जानकारी प्राप्त होगी।
2. भाषा के विविध रूपों का ज्ञान।
3. प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं का ज्ञान।
4. मध्यकालीन भारती आर्यभाषाओं का ज्ञान होना।

1.3 हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्टभूमि

भाषा एक सामाजिक क्रिया है। वह वक्ता और श्रोता दोनों के विचार–विनिमय का साधन है। इस प्रकार वास्तव में भाषा मनुष्य के मुख्य से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समूह है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। व्यवहारिक रूप से भाषा शब्द के कई अर्थ होते हैं, किन्तु यहां हमारा तात्पर्य उस भाषा से है जिसे मनुष्य बोलते और लिखते हैं। यों तो पशु–पक्षी भी अपनी बोली से भाविभिव्यक्ति करते हैं, किन्तु उनकी अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा का नाम नहीं दिया जा सकता है। भाषा एक 'व्यवस्था' होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसलिए वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता वही समझता है।

सामान्यः भाषा के दो रूप होते हैं–कथित ;मौखिकद्ध ओर लिखित प्राचीन काल में भाषा के कथित रूप को प्राकृत और लिखित रूप को संस्कृत कहा जाता था। लिखित रूप ही वस्तुतः भाषा का साहित्यिक या परिनिष्ठित रूप होता है। इसे हम पंडित जन की भाषा कह सकते हैं। कथित रूप वस्तुतः लोक भाषा या बोलचाल की भाषा है। हम स्वयं देख सकते हैं कि शिक्षित और–अशिक्षित लोगों की भाषा में, उनके उच्चारण में ही पर्याप्त अन्तर रहता है। इसको हम भाषा विज्ञान में परिनिष्ठित भाषा और बोली कहते हैं।

जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब कालांतर में राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्र भाषा का स्थान प्राप्त कह लेती है। ऐसी भाषा समस्त सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्राा में विचार–विनिमय का साधन बन जाती है और पूरे देश की भावात्मक एकता में सहायक बनती है। उदाहरण के लिए अपनी व्यापकता के कारण हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है।

व्याकरण की दृष्टि से भी भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है।

;1द्ध बोलकर तथा ;2द्ध लिखकर।

बोलने में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में वर्णों का ध्वनियों या वर्णों से शब्दों की रचना होती है और शब्दों ;पदोंद्ध द्वारा वाक्य की। इस प्रकार वाक्य अथवा भाषा द्वारा हम अपनी पूरी बात कहते हैं या लिखते हैं। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों ;पदोंद्ध से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है।

अतः भाषा का साधारण अर्थ है अभिव्यक्ति और अपनाया गया बाध्यत। मनुष्य स्वभावतः अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना चाहता है और उसके लिए वह जिस माध्यम को अपनाता है वह भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति कां माध्यम है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की परिभाषा अपने–अपने ढंग से दी है।

परिभाषा–

;1द्ध **पंतजलि–**''जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती हैं उसे भाषा कहते हैं।''

;2द्ध **कानताप्रसाद गुरू–**''भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भान्ति प्रकट कर सकता है। और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।

;3द्ध **डॉ. भोलानाथ तिवारी–**''भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके।''

;4द्ध **डॉ. श्यामसुन्दर दास–**''मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते है।''

;5द्ध **डॉ. बाबूराव सक्सेना–**''जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं।

;6द्ध **मंगलदेव शास्त्री–**''भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते है जिससे मनुष्यय अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।''

;7द्ध **स्वीट–**''ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।''

;8द्ध **ए. ए. गार्डिन–**''विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं।''

;9द्ध **मेक्खमूसर–**''भाषा और कुछ नहीं है केवल मानव की चतुर बुि(द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते है।''

उक्त विचारों का सारांश यह है कि भाषा विचाराभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें ध्वनियों का व्यवहार किया जाता है। अतः सभी मतों के आधार पर भाषा की परिभाषा इस प्रकार स्थापित की जा सकती है। भाषा प्रत्येक मनुष्य की वह चेष्टा या व्यापार है जिसके द्वारा वह ध्वनि के माध्यम से अपने भाव और विचार व्यक्त करता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भाषा मुख्यतः चार स्कन्ध हैं–वक्ता, श्रोता, शब्द और अर्थ इन चारों स्कन्धों को स्पष्ट करते हुए भाषा विज्ञान का विद्यार्थी कह सकता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान–प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।

भाषा की प्रकृति—भाषा की प्रकृति नंदी की भांति प्रवहमान होती है। उसकी धारा निरन्तर बढती रहती है। और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कबीरदास के शब्दों में। 'भाषा बहता नीर' है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है। इसको मनुष्य स्वभावतया प्राप्त करता है। साथ ही उसे वह अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। इस प्रकार वह अर्जित और परम्परागत दोनों हैं। देश और काल के अनुसार भाषा के अनेक रूप होते हैं। अथवा वह अनेक रूपों में बंटी होती है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं।

भाषा की परिवर्तनशीलता को लक्ष्य करके विद्वानों ने यह मत निर्धारित किया है कि कोई भी प्रचलित भाषा सामान्य रूप से एक हजार वर्ष से अधिक समय तक एक समान नहीं रहती है। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को लेते हैं। हिन्दी भाषा का आरम्भ 7वीं शती के आसपास माना जाता है। उस हिन्दी का रूप वर्तमान हिन्दी मे सर्वथा भिन्न था। हिन्दी के आरम्भिक साहित्यिक ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि की हिन्दी, प्रसाद पंत आदि की हिन्दी से कितनी भिन्न है—यह देखकर हम आश्चर्य चकित हो जाएंगे? कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में ''अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते करते हमें अंत में एक ऐसी हिन्दी का पता लगेगा, जो हमारे लिए एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी।'' भाषा में यह परिवर्तन इतनी धीरे—धीरे होता है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। समय के समान भाषा स्थान के अनुसार भी परिवर्तित होती रहती हैं। एक कहावत के अनुसार तीन कोस पे पानी बदले, बारह कोस पर बानी।'' यह प्रभाव भी बहुत क्रमिक होता है। यदि कोई व्यक्ति पेशावर से पैदल कलकता तक यात्राा करे तो उसकी भाषा में होने वाले अन्तर का बहुत कम अनुभव होगा।

1.4 भाषा के विविध पक्ष

व्यक्तिगत पक्ष—भाषा की उत्पति मनुष्य द्वारा होती है। क्योंकि केवल उसी से ध्वनियों का उच्चारण करने की क्षमता है, कहा जा सकता है कि व्यक्ति प्रायः समाज से ही भाषा सत्यता है। इसलिए भाषा की रचना में प्रायः व्यक्ति का ही योग नहीं है। दीखने को तो यह ठीक भी प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः यह ठीक नहीं है। व्यक्ति समाज का अंग हे तो यह भी भाषा का निर्माता है। यह समाज से भाषा लेता ही नहीं उसे भागा देता भी है। व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं, अतः उनमें परस्पर आदान—प्रदान की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। व्यक्ति व्यक्ति द्वारा ही भाषा का रूप धीरे—धीरे परिवर्तित किया जाता है। और अभिव्यंजक ;म्गचतमेपवदद्ध वाणी के अनिवार्य तत्व है और ये दोनों तत्व मिलकर ही भाषा का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि से भी व्यक्ति को भाषा निर्माता माना गया है। बोध द्वारा हम भाषा को सीखते या ग्रहण करते हैं तथा अभिव्यंजन के रूप में उसे समाज को निरन्तर देते रहते हैं। केवल वक्ता और श्रोता की स्थितियां ही बदलती है। एक समय का श्रोता दूसरे समय वक्ता बन जाता है और परिवर्तित क्रम में वक्ता श्रोता हो जाता है।

सामाजिक पक्ष—भाषा के किसी विशेष रूप का प्रचलन किसी विशेष प्रकार के मानव समुदाय में होता है। भाषिक समदाय में लाखों व्यक्ति भी हो सकते हैं और दस—बीस भी। इस प्रकार सामुदायिक भाषाओं के अलगाव के फलस्वरूप कई भाषाएं बन जाया करती हैं। व्यक्ति समुदाय का अंग है वह अकेला अर्थात् समाज से हटकर एकान्त में भाषा का निर्माण कर नहीं सकता। इसी तरह उसके चाहने पर भी उसके द्वारा प्रचलित भाषा के रूप को सर्वथा परिवर्तित कर पोना सम्भव नहीं है। भाषा के समाजिक पंक्ष के ;भाषाशास्त्रियों द्वाराद्ध ध्वनन और श्रवण—ये दो रूप स्वीकार किए गए हैं। ध्वनन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कहा गया है कि आत्मा—बुि(संयुक्त स्थिति में अर्को वस्तुओं को देखती है। तदन्तर मन प्रेरित होकर शरीर की शक्तियों पर दबाव डालता है। इस दबाव के फलस्वरूप प्रेरित वायु फेफड़ों के मार्ग से कोमल सा ध्वनन पैदा करती है। मुख्य तक पहुंचकर उस ध्वनन में से विभिन्न ध्वनियां व्यक्त हो जाती हैं। वाणी की उत्पति उसी पाणी द्वारा होती है जो आत्मा, बुि(, मन और वायु

युक्त हो। यहां यह भी ध्यातव्य है कि केवल मनुष्य ही उक्त चारों शक्तियों का स्वामी है। इसलिए भाषा केवल उसकी अर्जित सम्पति नांनी गयी है। प्रत्यय ;बवदबमचजेद्ध मन में होता है। तदन्तर उन्हें शब्द बिम्ब या संकेत का रूप प्राप्त होता है। ये संकेत ही ;प्रत्यय–बवदबमचजेद्ध का निर्माण होता है। भाषा का यह सामाजिक पक्ष है।

भाषाः सामान्य साधन–जिस समय भाषा सम्प्रेषण का सामान्य साधन बन जाती है उस समय उसे अभिव्यंजना के सामान्य माध्यम का नाम प्राप्त हो जाता है। इसी को मनुष्य मात्रा की ;सामान्यद्ध भाषा कहा गया है। भाषा का यह रूप समुदाय की भाषा से भिन्न होता है। इस तरह भाषा व्यक्ति से उत्पन्न होती है समाज में फूलती–फलती हुई अन्ततः विश्वरूपा वाणी का श्रेय प्राप्त कर लेती है। यहां पर भाषा की उत्पति कब और कैसे? का प्रश्न भी सामने आता है। भाषा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत प्रचलित है परन्तु उनमें से किसी एक मत को अभी तक सर्वसम्पति से मान्यता–नहीं मिली। इस स्थिति को देखते हुए भाषा–शास्त्रियों ने यह फतवा दे दिया है कि भाषोत्पत्ति के प्रश्न हो ही अचर्चित घोषित कर देना चाहिए। इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही स्वीकार्य है कि भाषा मानव की अचर्चित सम्पति है। जिस रूप में वह हमें प्राप्त है, उसी रूप को सम्मुख रखकर हम उसके सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक भाषा विज्ञानी उपलब्ध भाषिक सामग्री ही को अध्ययन का विषय स्वीकार कर उस पर विचार करते हैं।

भाषा शब्द का भाषा वैज्ञानिक अर्थ–भावाभिव्यक्ति के सगस्त साधन व्यापक अर्थ में भाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। शिष्ट भाषा, लोक भाषा, मूक भाषा, पशु पक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत के टीकांकारों द्वारा 'इति भाषायाद्' द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वत्रा एक ही भाव छिपा हुआ हैं। वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार भाव या अपनी इच्छा प्रकट करता है। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से वे डी ध्वनियां भाषा के अन्तर्गत आती हैं जो सार्थक होती हैं और विर्वीान–विश्लेषण का विषय बन सकती हैं। जो ध्वनियां सार्थक शब्द निर्माण में सहायक नहीं हो सकती वे भाषा की सीमा में नहीं आती हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए गए हैं–

1. **मानव–मुख से निस्तृस**–मानव–मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां, अंगादि द्वारा भाव–प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूह भाषा की परिधि में नहीं आते हैं। इस प्रकार भाषा भाव–संप्रेषण का साधन है तथा वह सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि है।

2. **भाषा सम्पेषण का साधन**–भाषा द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है।

3. **निश्चित ध्वनि रूप**–भाषा की आवृत्ति होती है, इसलिए उसके ध्यनिरूप निश्चित होना अनिवार्य है।

4. **पूर्व निर्धारित**–भाषा के अन्तर्गत आने वाली ध्वनि का अर्थ परम्परागत या पूर्व निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए उन 'काम' शब्द को लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। हिन्दी में 'काम' का अर्थ कार्य अथवा वासना होता है। परन्तु अंग्रेजी में ब्सउ शब्द एक भिन्न अर्थ ;शांतिद्ध की प्रतीति करता है। अतः स्पष्ट है कि काम शब्द का अर्थ व्यवहुत परम्परानुसार ही होगा।

5. **सामाजिकता**–भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप हुआ है। पारस्परिक सहयोग, सम्पर्क और विचार विनिमय की आकांक्षा ने ही भाषा का विकास किया हैं। भाषा, व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। समाज में रहकर ही मनुष्य भाषा का अर्जन, संवीर्ान और विकास करता है।

6. अर्जित सम्पति–भाषा मनुष्य को पैतृक सम्पत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त होती है। अनुकरण और अभ्यास द्वारा भाषा सीखी जाती है।

7. **द्वैध संरचना**–भाषा की रचना ध्वनियों और शब्दों ;पदोंद्ध द्वारा होती है।

8. **चिरपरिवर्तनशीलता**–भाषा का कोई रूप अन्तिम रूप से नहीं रहता है। भाषा में यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता है। शब्दों के तद्भव इसके प्रमाण हैं।

प्रस्तुत पाठ के अन्तर्गत छात्राों को भाषा की पृष्ठभूमि, भाषा के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, लक्षण आदि का बोध हो चुका है। अब हम हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर विस्तृत विचार करेंगे।

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिन्दी भाषा के क्षेत्रा में किन–किन भाषाओं एवं उपभाषाओं को स्थान देना चाहिए इस विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। प्रारम्भिक इतिहासकारों ने जहां अपभ्रंश को 'प्राकृताभात' या 'पुरानी हिन्दी' कहकर उसे हिन्दी का ही एक रूप मान लिया वहां पर कुछ आधुनिक विद्वान खड़ी बोली हिन्दी को ही वास्तविक हिन्दी मानने की वकालत करते हैं। हिन्दी का क्षेत्रा अत्यन्त व्यापक रहा है। और इसमें अनेक बोलियों और उपभाषाओं को स्थान प्राप्त रहा है। यहां सबसे पहले हम 'हिन्दी' नामकरण पर विचार करेंगे।

हिन्दीः नागकरण–ऐतिहासिक परिदृश्य

पांचवी–छठी शताब्दी में अरब–फ़ारस के लोग, भारत को 'हिन्द' कहकर पुकारते थे और इस क्षेत्रा में–सिन्धु नदी से आगे जो भाषाएं बोली जाती थी उन्हें 'जबाने हिन्दी' अर्थात हिन्दी में रहने वालों की भाषा कहते थे। इसके अन्तर्गत संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि को समिलित करते थे। फारस के बादशाह नोशेरवां के दरबारी 'कवि ने 'पंचतंत्रा' का अनुवाद करते हुए इसे 'जंबाने हिन्द' का गंथ कहा, 'यह बात छठी शताब्दी की है। इसी प्रकार अल्परूनी ;11वीं शतीद्ध, फारसी कवि औफी ;13वीं शतीद्ध और अमीर खुसरो ;13–14वीं शतीद्ध ने भी 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं के लिए किया है। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार प्राचीन काल में 'हिन्दी' एक. सामूहिक नाम था। जब 13–14वीं शताब्दी में विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं ही विकसित हो गई और प्रान्तीय आधार पर उन्होंने नए–नए नाम ग्रहण कर लिए तो भी भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य नाम 'हिन्दी', 'हिन्दवी' अथवा 'हिन्दुस्तानी' प्रयुक्त होता रहा। बाबर ने 'हिन्दुस्तानी' तथा जायसी ने 'हिन्दवी' शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल में जब हिन्दी की अनेक बोलियां अपनी लिपि और व्याकरण बनाकर स्वतंत्रा हो गई तब हिन्दी के वास्तविक स्वरूप का प्रश्न सामने आया।

हिन्दी एक विस्तृत भू–भाग में बोली जाने वाली भाषा हैं। जिसे मध्य क्षेत्रा भी कहते हैं। जिन भाषाओं को सामूहिक रूप से हिन्दी कहा जाता है उनका सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से अनिवार्य रूप से हैं क्योंकि यह अपभ्रंश मध्यप्रदेश में प्रचलित थी। हिन्दी में ब्रजभाषा का स्थान सर्वोपरि रहा है और लम्बे समय तक यह इस भू–भाग में काव्य की भाषा रही। मथुरा, आगरा के पास के शूरसेन प्रदेश में यह सामान्य भाषा थी। अवधी की प्रयोग भी साहित्यिक भाषा के रूप में लम्बे समय तक हुआ, इसके निर्माण में अर्धनागंधी और अर्ध–शौरसेनी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार खड़ी बोली का विकास अर्ध–शौरसेनी प्राकृत से हुआ है। अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में राजस्थानी, ब्रज, अवधी यहां तक कि गुजराती, मराठी और मिथिली में भी बहुत कम अन्तर था। बजभाषा का इनके साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा यही कारण है कि प्राचीन काल में मराठी, हिन्दी, गुजराती हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी और मैथिली

हिन्दी जैसे नाम मिलते हैं। प्राकृतकाल में जो केन्द्रीय स्थान शौरसेनी प्राकृत को प्राप्त था वही आगे चलकर 'ब्रज' को भाषा काल में प्राप्त हुआ। इतिहास की दृष्टि से जिस भाषा का साहित्य शौरसेनी से सम्बद्ध और ब्रजभाषा रंजित है उसे हिन्दी के अन्तर्गत लिया जा सकता है। राजस्थानी, गुजराती मैथिली आदि धीरे–धीरे स्वतंत्रा भाषाओं का रूप धारण कर गई इसलिए उनके प्रारम्भिक साहित्य को ही हिन्दी में लिया जा सकता है, आज के साहित्य को नहीं। हिन्दी भाषा के अन्तर्गत जिन भाषाओ को लिया जाता हैं, उनका आधार मात्रा भाषा वैज्ञानिक ही नहीं है जैसा ऊपर दिया गया है। एक और सूत्रा 'लिपि' भी है। इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि अर्थात 'देवनागरी' थी। इन भाषाओं की एकता का तसरा सूत्रा 'भौगोलिक' है। ये सभी भाषाएं भारतवर्ष के केन्द्रीय भू–भाग में प्रचलित हैं जिसे विद्वानों ने 'मध्यप्रदेश' की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमान्त तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमान्त से लेकर मध्यप्रदेश के मध्य तक के अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिन्दी कहते हैं। इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं। सबका भाषा–शास्त्रीय ढांचा भी सम्भवतः एक सा नहीं है, फिर भी हिन्दी साहित्य की. चर्चा करने वाले देशी–विदेशी विद्वान इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को. हिन्दी कहते है। जिस विशाल भू–भाग को आज हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्रा कहा जाता हैं, उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, परन्तु इसके मुख्य भाग को पुराने जमाने से ही मध्यदेश कहते रहे हैं।

हिन्दी के अन्तर्गत गिनी जाने वाली प्राचीन भाषाओं को आपस में जोड़ने वाला सबसे सशक्त चौथा सूत्रा है–'सांस्कृतिक एकता'। मेथिली, अवधी, राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाएं बाह्य दृष्टि से कितनी ही भिन्न क्यों न हों किन्तु आन्तरिक दृष्टि से मूलभूत चेतना एवं दार्शनिक दृष्टि से परम्परागत मान्यताओं एवं धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से प्रेरणा स्रोतों एवं आन्दोलनों की दृष्टि से ये सब पाक हैं। इतना ही नहीं, इन भाषाओं के प्रयोग कर्त्ताओं में भी सदा एक आन्तरिक एकता की भावना रही है जिससे एक प्रदेश के लोग प्रसन्नतापूर्वक दूसरे प्रदेश की भाषा को अपनाते रहे हैं। हिन्दी को केवल 'खड़ी बोली' तक सीमित करना गलत है। क्योंकि हिन्दी पर जितना खड़ी बोली का अधिकार है उतना ही मैथिली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि का भी है।

उपर्युक्त विवेचन से हिन्दी के ऐतिहासिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'हिन्दी' नामकरण विदेशियों का किया हुआ है क्योंकि भारत के प्राचीनी साहित्य में 'हिन्दी' शब्द कॉ उल्लेख नहीं है। यह एक सामूहिक नाम का जो सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता था। धीरे–धीरे यह मध्यदेश की शौरसेनी–प्राकृत से जुड़ी भाषाओं का नाम बन गया। आज प्रायः इसे खड़ी बोली के रूप में पहचाना जाता है। 'हिन्दी' के अन्तर्गत बज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी अर्थात पूर्व हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी की सभी बोलियों का प्राचीन साहित्य आ जाता है। इस साहित्य ने मध्यकालीन हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया है। हिन्दी के अन्तर्गत गिनी जाने वाली भाषाओं में से समय–समय पर कुछ भाषाएँ अधिक प्रचलित रही हैं, कुछ कम परन्तु साहित्यिक इतिहास लेखन की दृष्टि से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

1.5 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं उनकी विशेषताएं

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने से पहले हमें विश्व की भाषाओं तथा भाषा परिवारों का संक्षिप्त सा परिचय प्राप्त करना समीधीन रहेगा। आप जानते हैं कि विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, रूस में रूसी भारत में भी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि विषय में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में कुछ चार हजार भाषाएं

बोली जाती हैं। और भारत में 1981 की मतगणना के अनुसार भारत में कुल 1650 भाषाएं बोली जाती है।

विश्व की भाषाएं तथा भाषा परिवार

विश्व की समस्त भाषाओं को दस परिवारों में बांटा जाता है भाषा परिवार की संकल्पना भी बड़ी ही रोचक है। आप जानते हैं कि हिन्दी और गुजराती भाषाएं मिलती जुलती। यदि गुजराती में कोई बोले तो हिन्दी भाषी उसे समझ सकता है। भले ही वह गुजराती में उत्तर न दे सके। इसका कारण यह है कि दोनों भाषाओं की उच्चारण की व्यवस्था एक जैसी है, वाक्य संरधराओं में साम्य है, दोनों की क्रिया रचना एक जैसी है दोनों में कई शब्द एक समान हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों भाषाएं एक मूल से निकली हैं, यानि दोनों एक परिवार की हैं। जबकि कोई हिन्दी भाषी और चीनी भाषी एक दूसरे को अपनी–अपनी भाषा के माध्यम से समझ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों भाषाएं भिन्न–भिन्न प्रकृति वाले दो परिवारों की हैं। विश्व की समस्त भाषाओं को हम दस भाषा परिवारों में बांट सकते हैं।

1. **भारोपीय परिवार या भारत यूरोप परिवार–य**ह परिवार उन्नत भाषाओं की दृष्टि से बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इस परिवार में प्राचीन भाषाएं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि शामिल हैं। इस परिवार की आधुनिक भाषाओं में, अंग्रेजी, जर्मन, फांसीसी, इतालवी, स्पैनिश, ग्रीक, रूसी तभा फारसी आदि के साथ हिन्दी, बांगला, गुजरांती, मराठी, आदि भारतीय भाषाएं, सिंहली आदि आती है। अतः इस परिवार की भाषाएं बोलने वाले अमेरिका महाद्वीप, आस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप में अधिसंख्यक हैं, एशिया में भी इस भाषा परिवार के बोलने वालों की अच्छी संख्या है।

2. **सेमेटिक–**हेमेटिक परिवार–सेमेटिक वर्ग में पुरानी हीबू और अरबी भाषा उल्लेखनीय हैं। इन भाषाओं के बोलने वालों का क्षेत्रा यानि मध्य एशिया, पुरानी बेबिलोन और सुगेर संस्कृतियों का केन्द्र था। सम्भवतः लिपि का उदय इसी क्षेत्रा में हुआ। यहां की पुरानी लिपि 'कीलाक्षर' अब भी सुरक्षित है। हीबू में बाइबिल की रचना हुई और अरबी में कुरान की। हेमेटिक वर्ग की भाषाएं उत्तरी अप्रीका में बोली जाती है।

3. **सूडानी भाषा परिवार–**इसका क्षेत्रा उत्तरी अप्रीका में सूठान तथा अन्य देश हैं। वास्तव में यह कई भिन्न भाषा परिवारों का समूह है।

4. **नाईजर–**कांगो, परिवार–इसका क्षेत्रा शेण अप्रीका है। इसमें कई शाखाएं हैं। परिचमी अप्रीका शाखा में नाइजीरिया की कई भाषाएं हैं। मध्य शाखा विस्तार के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें स्वाहिली, और दक्षिणी अप्रीका की बुशमैन महत्वपूर्ण है।

5. **यूरल अल्टाइक परिवार–**उस परिवार के दो प्रमुख वर्ग हैं। फिनलैंड अधिक वर्ग में फिनलैंड की भाषा, हंगरी की भाषा आती है। अल्टाइक वर्ग में तुकट्ट, मंगोल भाषा, मंचू भाषा आदि आती हैं।

6. **द्रविड़ भाषा परिवार–**इस परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं जिनमें तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में संस्कृत और अरबी फारसी के हजारों शब्द हैं जिनके कारण ये आर्य भाषाओं के निकट आती है।

7. **चीनी तिब्बती परिवार–**चीनी और तिब्बती भाषाएं–इस वर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं। साथ ही इसमें म्यानमार की बर्मी आदि भाषाएं है। भारत में पूर्वी क्षेत्रा में इस परिवार की कई भाषाएं बोली जाती है। गारो, बोडो आदि पहाड़ी भाषाएं, अरुणाचल की भाषाएं, नागा भाषाएं, मिजो, मणिपुरी आदि इत परिवार की भारतीय भाषाएं हैं।

8. **आस्ट्रो–एशियाटिक परिवार**–इस परिवार का क्षेत्रा भारत से लेकर पूर्व एशिया में इंडो–चीन तक है। दक्षिण म्यानमार की मोन, कंबोडिया की मेर वियतनामी इस वर्ग की भाषाएं है। भारत में मुंडा भाषाएं आस्ट्रिक भाषाएं हैं जिनमें बिहार की ग्रंथाली प्रमुख है। मेघालय की खासी भाषा, निकोबार की निकोबारी आदि इस पवार की भारतीय भाषाएं है।

9. **बलाय–पालिनेशियन परिवार**–इस परिवार में दो वर्ग है। नलय वर्ग में मलाय की भाषा मलाया और इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशियन आती है। पालिनेशियन वर्ग में न्यूजीलैंड से हवाई द्वीप समूह तक की कई भाषाएं आती हैं।

10. **अमेरिकी भाषाएं**–मूल अमेरिकी निवासी ;रेठ इंडियनद्ध अमेरिकी भाषाएं बोलते हैं। वैसे यह निवारी कन होते जा रहे हैं और कई अंग्रेजी भाषी हो गए हैं।

आरोपीय परिवार

भारोपीय परिवार विश्व का प्रमुख भाषा परिवार है और भारतीय आर्य भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। इस वर्ग में संस्कृत, लेटिन ;पुरानीद्ध ठीक आदि प्राचीन भाषाएं और हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, फारसी आदि आधुनिक भाषाएं आती हैं। इन भाषाओं के एक परिवार में होने का आधार इनकी शब्दावली तथा वाक्य स्तर पर साम्य है। जो एक मूल भाषा से निकले होने के कारण इनमें विरासत से आया है।

भारोपीय परिवार की भाषाओं के आठ वर्ग है। इन्हें हम वो वर्गों या समूहों में बांटते हैं। ये हैं 'केंदुम' वर्ग तथा 'शतन' वर्ग। इनका वर्गीकरण निम्नवत् हैः

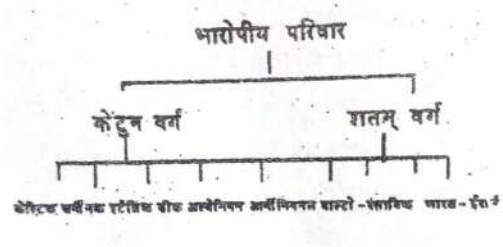

भारोपीय परिवार के शतम् वर्ग के अन्तर्गत 'भारत ईरानी शाखा' का सम्बन्ध चूंकि भारत की आर्य भाषाओं से–है अतः इस शाखा पर विचार करना समीचीन रहेगा। इस शाखा में जहां एक तरफ भारत की आर्य भाषाएं हैं वहीं दूसरी ओर ईरान क्षेत्रा की भाषाएं हैं जिनमें फारसी प्रमुख हैं। इन दोनों को एक वर्ग में रखने का भाषा वैज्ञानिक आधार यही है कि दोनों भाषाओं में, काफी निकटता है। वास्तव में ईरान के निवासी भी आर्य थे। ईरान शब्द ही 'आयो का' ;आर्याणाम्द्ध का बदला हुआ रूप लगता है। प्राचीन ईरानी भाषा 'अवेस्ता' में आर्य का रूप 'ऐर्य' था। प्राचीन युग में भारत और ईरान में धर्म का स्वरूप एक था, दोनों की भाषाओं ;अवेस्ता और संस्कृतद्ध में बहुत समानता थी। हालांकि इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन यह यात निर्विवाद है कि भारत और ईरान के आर्य एक ही मूल के थे।

भारतीय आर्य भाषाएं

भारतीय आर्य भाषाओं के मूल में संस्कृत भाषा है। इसी भाषा से आधुनिक युग की भाषाएं हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांगला, ओडिया, असमिया आदि विकसित हुई। आज के पाकिस्तान की 'भाषाएं लहंदा और सिंधी भी इसी उपशाखा की भाषाएं हैं। नेपाल की भाषा नेपाली और श्रीलंका ;सिंहलद्ध की भाषा सिंहली भी आर्य भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं के साथ 'आर्य' शब्द जुड़ने के सम्बन्ध में आम राय है कि यूरोप के अधिकांश लोग मूलतः आर्य डी थे। एक अन्य धारणा के अनुसार

कि आर्यो का मध्य एशिया ये भारत में आगमन हुआ। लेकिन यहां इतना बताना काफी होगा कि भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो अद्‌भुत समातनता मिलती है, व्याहकर प्राचीन संस्कृत, लैटिन, चीक, अस्त आदि भाषाओं में, उससे यह तो कहा ही जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले एक ही मूल के के इनकी भाषाओं का सोत एक था।

विश्व की भाषाओं, भारोपीय परिवार तथा भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय पा लेने के उपरान्त अब हम प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तथा उनकी विशेषताओं और वर्गीकरण पर विचार करेंगे।

1.5 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं

भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास प्रारम्भ होता है। वर्तमान युग तक इसके विकासक्रम को तीन युगों में रखा जाता है। प्रागतिहासिक काल से लेकर 500 ई.पू. तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ई.पू. से 1000 ई. तक मध्य भारतीय आर्य भाषा तथा 1000 ई. से वर्तमान काल तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा! आर्य भाषा ट्टग्वेद की भाषा से प्रतिबिम्बित दिखाई देती हैं। इसी भाषा का विकसित रूप बाद में संस्कृत कहलाया। संस्कृत भारतीय आर्य भाषा की सबसे प्रमुत्य और सबसे पुरानी भाषा है। यही सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य और व्याकरण का उत्स है। भारतीय मनीषियों का समस्त चिन्तन मनन, शोध और उसका विश्लेषण संस्कृत भाषा में ही है।

भारत में बस जाने के पश्चात आर्यो की यज्ञ परायण संस्कृति धीरे–धीरे विकसित होती गई। प्रारम्भ में उन्होंने विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में कुछ साहित्यिक रचनाएं कीं। उन्हें सूक्त की संज्ञा दी गई। ये सूक्त लिपिब(न होकर श्रुति–परंपरा में जीवित रहते में और इन्हें ट्टषि परिवारों मैं सुरक्षित रखा जाना था। कालांतर में इन सूक्तों के संग्रह की आवश्यकता पड़ी और इन्हें संकलित किया गया। यह संकलन 'ट्टग्वेद संहिता' के रूप में प्रसि(हुआ। भारतीय आर्यभाषा के प्राचीनतम काल की भाषा के सर्वोत्तम उदाहरण 'ट्टग्वेद संहिता' में सुरक्षित है। प्राचीन व्यापक तथा दिशाल संस्कृत साहित्य के स्वरूप तथा समय आदि की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. वैदिक संस्कृत तथा 2. लौकिक संस्कृत 1.

वैदिक साहित्य में संहिता, आरण्यक, उपनिषद, तथाः वेदाग आते हैं और लौकिक साहित्य में काव्य, नाटक, गद्य, कथा, गीत तथा चंपू ग्रंथों की लिया जाता है। संस्कृत साहित्य के इन दोनों भागों में वैदिक तथा लौकिक भाषा में वर्य विषय, व्याकरण, छंद आदि की दृष्टि से पर्याप्त परस्पर भिन्नता है।

1.5.1 वैदिक संस्कृत

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है और वैदिक संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृति। वैदिक साहित्य के सर्वप्रथम ग्रंथ वेद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी ट्टग्वेद भाष्य भूमिका में वेद शब्द को 'विदति जानन्ति, विद्यते भवन्ति' आदि इस प्रकार व्याख्या की है। अर्थात जिनके द्वारा या जिनमें सारी सत्य विींाएं जानी जाती है, विद्यमान है या प्राप्त की जाती है, यही वेद है।

वेदों का रचनाकाल निश्चित करने के प्रयास में अनेक कठिनाइयां हैं। उसमें प्रामाणिक अंतः साक्ष्य और वहिःय साक्ष्य का प्रायः अभाव है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की रचना के बाद लिखे गए और इनके रचना काल के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के वर्ण्य को बढ़ाते हैं और व्याख्या द्वारा उनका विस्तार करते हैं। चारों वेदों के नौ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिकता का वर्णन है। आठ आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है। उपनिषदों को वेदों का निचोड़ कहा जाता है। जो आत्मतत्व और ब्रह्मज्ञान का विवेचन करते हैं।

1.5.2 लौकिक संस्कृत

वैदिक संस्कृत के बाद लगभग ई.पू. 500 से लौकिक संस्कृत का समय शुरू होता है। लौकिक साहित्य में निम्नलिखित शनिल हैः

1. इतिहास और पुराण
2. कथा साहित्य और काव्य ;श्रव्य काव्यद्ध
3. रूपक और नाट्यशास्त्रा. ;दृश्य काव्यद्ध
4. रूपक सम्बन्धी साहित्य ;छन्द, व्याकरण, काव्य शास्त्राद्ध
5. दर्शन
6. वाघ्मय ;धर्म, अर्थ, काम समबन्धी शास्त्रा, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष आदिद्ध।

वाल्मीकिकृत 'रामायण' और व्यास्कृत 'महाभारत' को इतिहास ग्रन्थ माना जाता है। ये दोनों लौकिक संस्कृत की दो प्रथम कृतियां है और रामायण को संस्कृत का 'आदि काव्य' कहा जाता है।

भारतीय जनमानस की धार्मिक आस्था का मुख्य आधार यह रामायण तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों पर विशेद प्रकाश डालता है। भारत में राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में रामायण का बहुत बड़ा योगदान है। इस गंध की लोकप्रियता में उसकी सहज शैली, असाध रण वर्णन शक्ति एवं जीवंत चरित्रा चित्राण का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस महाकाव्य में सभी रस प्राप्त होते हैं।

महाभारत में तत्कालीन साहात्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीति आदि विषयों का समावेश है। महाभारत एक अन्य श्रेष्ठ आचार संहिता का भी निदर्शन उपस्थित करता है। महाभारत के अंतःसाक्ष्य से प्रमाणित है कि व्यास कौरवों और पांडवों के जीवन की सभी प्रमुख अनाओं से प्रत्यक्षतः परिचित रहे। वर्तमान महाभारत में एक लाख श्लोक प्राप्त होते हैं इसलिए इसका नाम 'शतसाहखी संहिता' भी है।

इतिहास ग्रंथों के बाद लौकिक साहित्यों में महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण हैं। पुराण धार्मिक ग्रंथ हैं। ये अवतारों और धार्मिक कथाओं के काव्य हैं आज 18 पुराण प्राप्त हैं–मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, भागवत, ब्रह्मांड, बह्मवैवर्त, विष्णु, नारद, गरुड़, वायु, अग्नि, पद्म, लिंग, स्कंद और भविष्यत्। इनमें भागवत सबसे महत्वपूर्ण है। जो परवतट्ट कृष्ण भक्ति साहित्य का प्ररेणा स्रोत है।

विशेषताएं

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अन्तर्गत वैदिक तथा लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः–

1. यह भाषा क्लिष्ट योगात्मक है। अर्थात किसी शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए उसे ध्वनि तत्व जोड़ दिया. जाता है। ध्वनि–तत्त्व की स्वतंत्रा सार्थकता नहीं छोती और यह तत्त्व अश्लिष्ट, श्लिष्ट तथा प्रश्लिष्ट होकर मूल शब्द के साथ जुड़ता है। यथा धार्मिक, वैभव।
2. कृदन्त का वैदिक में विशलेषण के रूप में तथा संस्कृत में क्रिया के रूप में प्रयोग होता है।
3. वैदिक रूप संरचना में विविध्ता और जटिलता है। संस्कृत के रूप अधिक व्यवस्थित हो गए हैं।
4. वैदिक भाषा स्वर–प्रधान है किन्तु संस्कृत बल प्रधान हो गई है।

5. वेदों की संस्कृत भाषा में काल गति के कारण 'परिवर्तन हुए और विविध प्रयोगों के स्थान पर मानकीकरण की आवश्यकता पड़ीं।

6. संस्कृत ने पदक्रम बहुल लचीला है।

7. हिन्दी की तरह संस्कृत में भी वाक्य कर्त्ता, क्रिया आदि पदबंधों से मिलकर बनता है।

8. संस्कृत भाषा के सभी शब्दों का निर्माण धातु याने शब्द के मूल रूप तथा प्रत्ययों के जोड़ से होता है। संज्ञा पदों का निर्माण सुप् प्रत्यय ;सुबंतद्ध जोड़ने से होता है। और क्रिया पदों का निर्माण तिह, प्रत्यय ;तिड़ंतद्ध जोड़ने से। धातु रूप की अंतिम ध्वनि के आधार पर अलग–अलग प्रत्यय जुड़ते हैं।

अतः स्पष्ट हैं कि संस्कृत विश्व की उन प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसमें वेद, उपनिषद तथा वेदांग ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत में वैदिक और लौकिक ये दो धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिसने विश्व को धर्म, संस्कृति, दर्शन एवं सभ्यता का मार्ग दिखाया। लौकिक संस्कृत में 'उन साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जो हमारे लिए प्रेरणा के–खोत बने।

1.6 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं

मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पालि, प्राकृत और अपभ्रंश को रखा जाता है। इन भाषाओं का काल समय 500 ई.पू. से 1000 ई. तक माना जाता है। इस काल को प्राकृत काल भी कहा गया है। तभी तो पालि से लेकर अपभ्रंश तक के समय को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के अन्तर्गत भी विभाजित कर सकते हैं। प्रथम प्राकृत ;पालिद्ध के अन्तर्गत भाषा के अध्ययन की सामग्री पालि–साहित्य और अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होती है। द्वितीय प्राकृत के अन्तर्गत कहा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा में प्रादेशिकता के आधार पर पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। इसी के दृष्टिगत पृथक–पृथक प्राकृतों का विकास हुआ। ये प्राकृते लोक भाषा के रूप में पल्लवित और विकसित होती रही। इन प्राकृतों में साहात्यिक प्राकृतें–महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आदि शामिल हैं। तृतीय प्राकृत के अन्तर्गत अपभ्रंश भाषा आती है। अब हम मध्यकालीन भारतीय कार्य भाषाओं के अन्तर्गत इन तीनों पाति, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का अलग–अलग अध्ययन करते हुए इनकी विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे।

1.6.1 पालि

पालि के विकास के अध्ययन की सामग्री पालि साहित्य तथा अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होती है। पालि में बौ(धर्म के थेरवाद अथवा हीनयान सम्प्रदाय के धार्मिक साहित्य की रचना हुई है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इस युग में पालि और अशोकी प्राकृतें आती हैं। भगवान बु(और भगवान महावीर ने अपने धर्म का प्रचार संस्कृतेत्तर भाषाओं में किया था जो वास्तव में जनभाषाएं थीं। जनसाधारण की भाषाओं के बहुत प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं हैं किन्तु पालि, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीन जनभाषाओं के विषय में संदेह का अवकाश भी नहीं है।

वास्तव में 'पालि' शब्द किसी भाषा का द्योतक नहीं है। पालि का अर्थ है 'मूलपाठ' अथवा 'बु(वचन'। 'पालिक' शब्द की व्युत्पत्ति के बारे पंú विषणु शेखर भट्टाचार्य मानते हैं कि पालि शब्द संस्कृत के 'पंक्ति' शब्द से निकला है। उन्होनें इसके ध्वनि परिवर्तन का क्रम पंक्ति पन्ति झ पत्ति झ पट्ठि झ पल्लि झ पालि से माना है। हमें यौ(साहित्य में पालि के अर्थ में 'पड़.क्ति' शब्द मिलता है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि उपरोक्त ध्वनि परिवर्तन उचित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 'पालि' गांवों की भाषा थी और संस्कृत नगरों में बोली जाती थी।

पालि शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य दु(घोष ;चौथी पाचवी शताब्दी ईसवीद्ध की अट्ठकथाओं और उनके विशु(भाग में मिलता है। आचार्य बु(घोष के कुछ ही समय पूर्व लंका में लिखे गऐ दीप वंश ग्रंथ में भी पालिः शब्द का प्रयोग बु(वचन के अर्थ में ही किया गया है। आचार्य यु(घोष के बाद भी सिंहल देश में पालि शब्द का प्रयोग उपर्युक्त दोनों अर्थो में होता रहा। पालि शब्द का प्राचीनतम रूप में 'परियाय' शब्द में मिलता है 'परिमाय' शब्द त्रिापिटक में अनेक बार आया है।

पालि साहित्य का विस्तार पालि या पिटक साहित्य और अनुपालि या अनुपिटक साहित्य में होता है। पालि या पिटक साहित्य तीन भागों में विभक्त है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। बौ(धर्म का प्राचीनतक रूप 'त्रिापिटकों में मिलता है। त्रिापिटक के जो नाम ऊपर बताए गए हैं, वे वास्तव में सुप्त, विनय और अभिधर्म के बिगड़े हुए रूप हैं। ये तीनों ग्रंथ बौ(धर्म के आधार गंथ हैं। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत के काफी निकट है। इसलिए विद्वानों का यह भी मत है कि संस्कृत से पालि ओर पालि से प्रांकृत का सीधा क्रम नहीं है। इसमें वैदिक संस्कृत से पालि का विकास क्रम चलता रहा और लौकिक संस्कृत से प्राकृत का एक अलग न चलता रहा जो दोनों पालि और प्राकृत को अलग करता है।

यद्यपि बौ(वचनों के सभी उपदेश मौखिक थे, लेकिन अशोक शिलालेखों में पायी गई भाषा पालि के विषय में जानकारी देती है। इसे अशोक के शिलालेखों की भाषा कह सकते हैं। शिलालेखों पर पालि भाषा लिखने का सम्राट अशोक का एक ही उद्देश्य था कि इससे पूरी जनता को ओदश वे तथा विस्तृत रूप से धर्म की सूचना जनता के बीच पहुंचाए।

पालि साहित्य के क्षेत्रा में काव्यों की रचना बहुत कम हुई है। मानव जीवन की व्यापक एवं गहन अनुभूतियों का पहला दर्शन हमें त्रिापिटका में दिखाई देता है। त्रिापिटकों में संकलित भगवान तथागत के ऊंचे विचारों का विश्लेषण किया गया है। यद्यपि उसमें काव्य सम्बन्धी सभी गुण पाये जाते हैं लेकिन हम उसे काव्य न कहकर काव्यों के उपजीवी, पालि काव्यों का जन्मदाता कह सकते हैं। विजय की दृष्टि से पालि में दो प्रकार के काव्यों की रचना हुई–वर्णनात्मक और आख्यानात्मक भगवान से बु(स्य प्राप्त करने से लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करने के बीच उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी का संग्रह त्रिापिटक में है। त्रिापिटक बौ(धर्म का अनुश्रुति ग्रंथ है।

पालि की कतिपय विशेषताएं

1. पालि में लिंग तीन है किन्तु वचन दो ही हैं। उनमें द्विवचन का प्रयोग नहीं होता।
2. पालि में दो नए स्वर हस्व 'ए' और हस्व 'ओ' मिलते हैं।
3. विसर्ग पाति में नहीं मिलते। विसर्ग का स्थान स्वर 'ओ' ने ले लिया है जैसे–देव, 'देवो'।
4. श, व पालि में नहीं मिलते। इनके स्थान पर 'स' का उच्चारण परिवर्तन हुआ।
5. संस्कृत में लुप्त वैदिक की 'ळ' और 'ह' ध्वनियां पालि में प्राप्य हैं।
6. धातुओं में परस्मैपद का प्रयोग बहुलता से हुआ आत्मनेपद लुप्तप्राय है।
7. पालि में संस्कृत की कई ध्वनियों में परिवर्तन आर्या। 'ट्ट' का उच्चारण खत्म हो गया। जैसे नृत्य झ निध्य, वृद्ध झ बुड्ढो।
8. पालि में तद्भव शब्द अधिक है, तत्सम शब्द कम पाए जाते हैं।

1.6.2 प्राकृत

भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास को देखने से पता चलता है कि समस्त आर्य भाषा के विकास का मूल संस्कृत है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन वेरण्य ;क्लासिकलद्ध भाषा है, जिसका मानक रूप हम वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में देखते हैं। संस्कृत कभी जन भाषा के रूप में प्रचलित थी, लेकिन धीरे–धीरे बौखों के प्रयास से संस्कृत का एक अन्य भाषा रूप आया, जो पालि भाषा के रूप में. विकसित हुआ तथा उसमें बौ(साहित्य की रचना हुई। इसी क्रम में भाषा परिवर्तन के साथ प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। जब संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा से अलग होकर शिष्ट जनों की भाषा बन गई तब उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया और धीरे–धीरे भारतवर्ष में प्राकृत का साम्राज्य स्थापित रूपों में भारत की लोकमान्य भाषा बनकर जनसामान्य तक पहुंची।

प्राकृत शब्द 'प्रकृतरागतम्' व्युत्पति के अनुसार प्रकृति से आने वाली भाषा है। 'रूट्ट' ने व्याकरण विहीन बोली जाने वाली भाषा जो सहज और स्वाभाविक रूप से वचन व्यापार है को प्रकृति माना है और यही प्रकृति 'प्राकृत' के रूप में धीरे–धीरे विकसित होकर आगे बढ़ी अर्थात प्रकृति जन्म भाषा ही प्राकृत है। विभिन्न विद्वानों ने प्राकृत सम्बन्धी अपने अपने मत प्रकट किए हैं।

जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को साधारणतया संस्कृत कहा जाता है उसी प्रकार मध्य भारतीय आर्य भाषा के लिए प्राकृत शब्द का व्यवहार किया गया है। प्राकृत वैयाकरणों ने जिस भाषा का विवेचन किया है वह लोकभाषा पर आधारित अवश्य थी परन्तु वह संस्कृत के आदर्श पर चलकर आगे केवलय साहित्यिक रचनाओं की भाषा रह गई थी। यहां मुख्य रूप से निम्नलिखित साहित्यिक प्राकृतों पर विचार किया जा रहा है।

शौरसेनी–गौरसेनी प्राकृत मूलतः शूरसेन प्रदेश मथुरा की भाषा थी। मध्यप्रदेश की भाषा होने के कारण यह संस्कृत कि निकट बनी रही अतः इस पर निरन्तर संस्कृत का प्रभाव पड़ता रहा। शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में स्त्राी पात्रा और विदुषक किया करते थे तथा इसका व्यवहार गद्य में होता था। महाराष्ट्री की तरह इसमें स्वरों का अधिवय नहीं हैं अतः यह भाषा सरलता से उच्चार्थ थी।

इसमें दो स्वरों के बची संस्कृत के 'त' का 'द' और 'थ' कार 'ध' होता है। यथा–आगतः झ आवदो भवति झ होदि। 'य' प्रत्यय का रूप शौरसेनी में 'ईअ' हो जाता है इसी प्रकार 'क्ष' का प्रयोग 'क्ख' होता है। यथा–कुक्षि झ कुक्षि, इक्षु झ इक्खु। संस्कृत व्यंजनों में से एका का लोप करके पूर्ववर्ती स्तर को दीर्घ करने की प्रवृत्ति शौरसेनी में अधिक नहीं मिलती। विधि के रूप संस्कृत के समान ही बनते हैं।

अर्धमागधी–अर्धमागधी में शौरसेनी एवं मागधी–दोनों के लक्षण मिमक है अतः इसकी स्थिति इन दोनों प्राकृतों के बीच मानी गई है। जैन आचार्यों ने इस भाषा में शास्त्रा–रचना का कार्य किया और इसे 'आर्षी' कहते थे। इस प्रकार इसे 'आदि भाषा' का गौरव भी प्राप्त हुआ है। वैसे इसका महत्व भी जैन साहित्य के कारण है। अनेक नाटकों के अतिरिक्त मध्य एशिया से प्राप्त अश्वघोष के संस्कृत नाटक 'शारिपुत्रा प्रकरण' में भी अर्धममाधी का प्रयोग हुआ है। शौरसेनी के पूर्व में काशी–कौशल प्रवेश की यह भाषा थी। वर्तमान इलाहाबाद जिला भी इसी के अन्तर्गत आता था।

अर्धमागधी में दम्य व्यंजनों के मूर्धन्यादेश की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। इसने 'श', 'ष' के स्थान पर 'स' का प्रयोग हुआ है। अर्धमागधी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि स्वरों के बीच में स्पर्श ध्वनि का लोप हो जाने पर उसका स्थान 'य्' ध्वनि से लेती है। इसको 'य' श्रुति कहा जाता। यथा– कृत झ कप, सागर झ सायर।

मागधी–मागधी जैसा कि नाम ही स्पष्ट कर देता है मूलतः मगध की भाषा थी। प्राच्यदेश की लोकभाषा होने के कारण यह भाषा वर्ण विकार आदि में अन्य लोकभाषाओं से बहुत आगे रही है।

साहित्य इसमें अप्राप्य ही है। इसकी उपस्थिति संस्कृत नाटकों के निम्न श्रेणी के पात्राों और व्याकरण ग्रन्थों में ही है।

मागधी में 'र' ध्वनि का अभाव है और उसके स्थान पर सर्वत्रा 'ल्' का व्यवहार होता है। यथा–राजा झ लाजा, समर झ शमल। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 'स' 'ज' के स्थान पर 'श' का प्रयोग होता है। यथा–शुभक झ शुशक। प्रथमा विभिक्त के एकवचन में प्रायः 'ओ' के बदले 'ए' का प्रयोग होता है। यथा–पुरुषः झ पुलिशे।

1.6.3 अपभ्रंश

विद्वानों के अनुसार 'अप्रभंश' का अर्थ 'अपभ्रष्ट' या बिगड़ी हुई भाषा है। इसके अनेक नाम पाए जाते है। अवम्भस, अवहस, अवहट्ट, अवहट, अवहस्थ आदि। इसे उस काल में बोलचाल की भाषा माना जाता था। विद्यापति ने इस भाषा की विशेषता बताते हुए कहा कि 'देसिल बचनार सब जन मिट्ठा से तैसन जम्पओ अवहट्टा अर्थात देश की भाषा सभी लोगों को मीठी लगती है। इसलिए इसे अवहट्ठ भाषा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे देशी भाषा, आभीरोक्ति, आभीरी आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है।

अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग 'पंतजलि' के 'महाभाग्य' में मिलता है। 'भागह' के 'काव्यालंकार' में संस्कृत और प्राकृत ;असंस्कृतद्ध के साथ अपभ्रंश को रखा गया है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश के काल के सम्बन्ध में विद्वानों का मानना है कि ईसा की छठी शताब्दी तक 'अपभ्रंश' शब्द किसी भाषा के लिए व्यवहार में आने लगा था। ऐसा माना जाता है कि यह भाषा आभीर आदि जातियों में प्रयुक्त होती थी। ईसा की पांचवी शती के उतरा(में अपभ्रंश में काव्य–रचनाएं प्राप्त होने लगी थी और यह धारा बहुत समय तक बहती रही। बाद में इसका रूप लोकभाषा का न रहकर साहित्यरूढ़ भाषा का हो गया। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि बारहवीं शती के उतरा(में आचार्य हेमचन्द ने अपभ्रंश और ग्राम्य भाषा में भेद किया है। यही यह भी कह देना उचित है कि अपभ्रंश भाषा मध्य भारतीय आर्यभाषा का अन्तिम चरण है।

अपभ्रंश साहित्य का विकास मालवा, गुजरात तथा राजस्थान में हुआ। अतः इस प्रदेश की अपभ्रंश तत्कालीन साहित्यिक भाषा बम गई और बंगाल तथा दक्षिण तक में इस भाषा में साहित्य रचना हुई। अपभ्रंश का जो साहित्य हमें प्राप्त होता है उसमें भाषागत भेद बहुत कम है। नागरी प्राचारिणी पत्रिाक में 'पुरानी हिन्दी' शीर्षक लेख में स्वर्गीय पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को 'पुरानी हिन्दी' नाम दिया है। रामचन्द्र शुक्ल मे प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिन्दी साहित्य का विकास माना है। राहुल सांकृतयायन ने हिन्दी काव्यधारा में अपभ्रंश काव्य का संग्रह प्रकाशित करते हुए उसकी भाषा को हिन्दी का प्राचीन रूप कहा है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य की परम्परा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही मानी जाती है। अपभ्रंश के विकास में उसके प्रमुख रूपों में शौरसेनी प्राकृत, उपनागर तथा दक्षिणी अपभ्रंश आदि आते हैं। शौरसेनी प्राकृत में विकसित यह अपभ्रंश उत्तर में पहाड़ी बोलियों के क्षेत्रा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी पंजाब, राजस्थान और गुजरात में बोली जाती थी। इसे पश्चिमी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। उपनागर के अन्तर्गत चेदभी, कैकेयी, पांडय तथा सिंहली का उल्लेख मिलता है। दक्षिणी अपभ्रंश का क्षेत्रा महाराष्ट्र माना है।

अपभ्रंश की विशेषताओं के सम्बन्ध में विद्वानों का मानना है कि अपभ्रंश काल में भारतीय आर्यभाषा संश्लिष्ट रूप त्यागर विश्लेषणात्मक बन गई। आधुनिक आर्य भाषाओं में यह प्रवृत्ति पूर्णतया विकसित हुई। स्वर का स्थान बल ने ले लिया है। इसमें अकारन्त पुलिंग शब्दों की प्रधानता है। इसमें लिंग व वचन दो ही हैं। दंत–रूपों का अधिक प्रयोग हुआ है। हिन्दी के ध्वनि विकास, व्याकरण और

शब्द कोश को समझने के लिए अपभ्रंश भाषा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है बिल्कुल वैसे ही जैसे हिन्दी साहित्य के उद्‌गम, 1. हिन्दी की काव्य–शैलियों, काव्य–रूपों तथा साहित्यिक परम्परा को समझने के लिए अपभ्रंश–साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

अतः निष्कर्ष रूप से कंहा जा सकता है कि संस्कृत का जनभाषा के रूप में विकास के साथ बौ(ों के आगमन से पालि भाषा का जन्म हुआ। पालि जब लोक व्यवहार की भाषा से अलग हो गई तब जन सामान्य की एक अलग भाषा प्रयोग में आयी। इस भाषा को प्राकृत भाषा नाम दिया गया। इसमें जैन साहित्य की रचना की गई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन रूप अपभ्रंश है जो प्राकृत भाषा के अंतिम काल में प्रकाश में आया। अपभ्रंश साहित्य का विकास आभीर जाति से माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इसी घुमन्तु जाति ने इस भाषा का प्रचार किया। अपभ्रंश का अंतिम काल हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास काल है।

1.7 सारांश

साधरणतया हम कह सकते हैं कि वह कोई भी संकेत हो जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना मंतव्य दूसरे व्यक्ति को स्पष्टता के साथ पहुंचाता है वह भाषा है। भाषा का विकास समाज के अन्तर्गत होता है। भाषा को अलग–अलग स्थानों में अलग–अलग ढंग से प्रयोग में लाई जाती है। उसका अपना एक कारण होता है। जिसके आधर पर भाषा को व्यवस्थित किया जाता है। हिंदी भाषा का विकास और वर्गीकरण भी भगौलिक परिस्थितियों के आधर पर किया गया है। अलग–अलग स्थानों पर प्रयुक्त होने पर उसकी विशेषता भी भिन्न–भिन्न होती है जिसका उपर्युक्त वर्णन किया जा चुका है।

1.8 कठिन शब्दावली

1.9 स्वयं आकलन के प्रश्न

1. भाषा किसे कहते है?
2. भाषा के दो रूपों का नाम बताएं।
3. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम लिखों।
4. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ?
5. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के नाम लिखिएं।
6. हिंदी भाषा का विकास क्रम का चित्राांकन करें।

1.10 स्वं आकलन प्रश्नों के उत्तर

1. भाषा वह साध्न है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप में दूसरों तक पहुंचाना है।
2. राजभाषा और राष्ट्रभाषा।
3. वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
4. लौकिक संस्कृत से हुआ।
5. पालि, प्राकृत
6. वैदिक संस्कृत – लौकिक संस्कृत – पालि – प्राकृत – अपभ्रंश

1.11 सन्दर्भित पुस्तक

1. भाषा विज्ञान की भूमिका – देवेन्द्रनाथ शर्मा
2. हिन्दी भाषा – भोलानाथ तिवारी
3. आधुनिक भाषा विज्ञान – कृपाशंकर सिंह और चतुर्भुज सहाय
4. सामान्य भाषा विज्ञान – बाबूराम सक्सेना
5. हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास –उदय नारायण तिवारी
6. पालि भाषा और साहितय –इन्द्र चन्द्र शास्त्राी
7. अपभ्रंश भाषा और व्याकरण – शिव सहाय पाठक

1.12 सात्रिाक प्रश्न

1. भाषा किसे कहते है? उसके रूपों का वर्णन करें।
2. राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा तथा सम्पर्क भाषा पर नोट लिखे।
3. प्राचीन भातीय आर्य भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता लिखिए।

खण्ड–दो

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण

2.1 भूमिका

2.2 उद्देश्य

2.3 आधुनिक आर्य भाषाएं का वर्गीकरण

2.4 हिन्दी भाषा का भगौलिक विस्तार

2.5 हिन्दी भाषा की उप–भाषाओं का वर्गीकरण

2.6 पश्चिमी हिंदी भाषा का वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताएं

2.7 पूर्वी हिंदी का वर्गीकरण एवं उनकी विशेषताएं

2.8 राजस्थानी का वर्गीकरण

2.9 बिहारी का वर्गीकरण

2.10 पहाडी भाषा का वर्गीकरण

2.11 सारांश

2.12 कठिन शब्दावली

2.13 स्वयं आकलन के प्रश्न

2.14 स्वयं आकलन प्रश्नों के उतर

2.15 सन्दर्भित पुस्तक

2.16 सात्रिाक प्रश्न

2.1 भूमिका

अपभ्रंश काल में हमें उन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ प्राप्त होने लगता है जो आगे चलकर आधुनिक भाषाओं में विकसित हुई। वास्तव में शब्द एवं धातु रूपों में अपभ्रंशों ने अपने नवीन प्रयोगों द्वारा हिन्दी तथा अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं के विकास की आधारभूमि निर्मित कर दी थी। अपभ्रंश का मूल साहित्य क्षेत्रा भी वही मध्यदेश है जो हिन्दी का उद्‌भव स्थान है। सम्भवतः इसी कारण कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को 'पुरानी' हिन्दी कहा हैं। इस सम्बन्ध में यहां कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। अपभ्रंश–काल की अन्तिम सीमा रेखा और आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रारम्भिक स्वरूप के उदय के बीच के समय के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस संक्रातिकालीन भाषा के अध्ययन के लिए अभी तक बहुत कम सामग्री उपलब्ध हो पाई है। इसलिए यह कहना कठिन है कि कथ्य भाषा के रूप में कब तक अपभ्रंश बनी रही और कब आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएं अपनी पृथक–पृथक विशेषताओं से पूर्ण होकर विकास को प्राप्त हुई।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ईसा की सोलहवी शताब्दी में साहित्यिक रचनाएं मिलने लगती हैं। उस समय की रचनाओं में भाषा का जो स्वरूप मिलता है, उसमें अपभ्रंश की विशेषताएं नहीं मिलती, बल्कि आधुनिक आर्य भाषा की विशेषताएं मिलने लगती हैं। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो वह हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं प्राप्त का स्वरूप प्राप्त करने का समय इन रचनाओं से

एक शताब्दी पूर्व माना जा सकता हैं। इस प्रकार पन्द्रहवीं शती तक भारतीय आर्य भाषा आधुनिक काल में पदार्पण कर चुकी थी और आधार्य हेमचन्द्र के पश्चात तेरहवीं शती के प्रारम्भ से आधुनिक आर्य भाषाओं के अभ्युदय के समय–पन्द्रहवी शती के पूर्व तक का काल संक्रमण काल माना जा सकता है। जिसमें भारतीय आर्य–भाषा धीरे–धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी।

आधुनिक आर्य भाषाओं में सिंधी, गुजराती, लंडदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिन्दी ;पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दीद्ध प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीरी भी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है। जो मूलतः भारत ईरानी की दरद भाषा वर्ग में आती है। उर्दू वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक स्तर पर हिन्दी की ही अरबी–फारसी से प्रभावित एक शैली है। राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी को विद्वानों ने अलग रखा है किन्तु ये हिन्दी प्रदेश में आती हैं। राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी हिन्दी के सांस्कृतिक वर्ग में आती है। भारत के बाहर बोली जाने वाली आधुनिक आर्य भाषाओं में नेपाली, सिंडली तथा जिप्सी भी उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्रा सम्पूर्ण उत्तर भारत है। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी इसके अन्तर्गत आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र भी इसके प्रमुख क्षेत्रा हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि समस्त आधुनिक आर्यभाषाओं का जन्म अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से में माना जाता है। उदाहरण के लिए–शौरसेनी से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती पेशाची से लहंदा, पंजाबी, बाचड़ से सिन्धी महाराष्ट्री से मराठी, भागधी से बिहारी बंगला, उड़िया असनिया तथा अर्धमागधी से पूर्वी हिन्दी।

2.2 उद्देश्य

1. आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास की जानकारी।
2. हिंदी भाषा की उप–भाषाओं की जानकारी।
3. पश्चिमी हिंदी की बोलियों तथा उसके विकास का बोध।
4. पूर्वी हिंदी की भाषाओं की जानकारी।
5. राजस्थानी, बिहारी तथा पहाडी के विकास की जानकारी।

2.3 आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण

आधुनिक आर्य भाषाओं के दर्गीकरण के सम्बन्ध में डॉ. ए. एफ. आर हार्नले ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि भारत में आर्यो का आगमन पंजाब में हुआ और दूसरा आगमन उत्तर हिमालय, दक्षिण में विंध्य प्रदेश, पश्चिम में सरहिंद तथा पूरब में गंगा, यमुना के संगम तक था। डॉ. हार्नले के इस सि(ांत को डां. ग्रियर्सन ने स्वीकार किया। भाषा तृत्व के आधार पर ग्रियर्सन के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को तीन उप शाखाओं में विभक्त किया गया। इसमें दे छः भाषा समुदाय को स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में आधुनिक आर्य भाषाओं का निम्नलिखित वर्गीकरण किया हैः–

1. **बाहरी उप शाखाः** उत्तरी पश्चिमी समुदाय ;1द्ध लडंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी ;2द्ध सिंधी। दक्षिणी समुदाय ;3द्ध मराठी। पूर्वी समुदाय ;4द्ध उड़िया ;5द्ध बिहारी ;6द्ध बांगला ;7द्ध असमिया
2. **मध्य उप शाखा–**बीच का समुदाय ;8द्ध पूर्वी हिन्दी।

3. **भीतरी उपशाखा**– केन्द्रीय अथवा भीतरी समुदाय ;9द्ध पश्चिमी हिन्दी ;10द्ध पंजाबी ;11द्ध गुजराती ;12द्ध भीली ;13द्ध खानदेशी ;14द्ध राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय–;15द्ध पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली ;16द्ध मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी समुदाय तथा ;17द्ध पश्चिणी पहाड़ी।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को दो या तीन उप शाखाओं में वर्गीकृत करने के सि(ान्त से सुनीति कुमार चटर्जी सहमत नहीं हैं। वियर्सन का वर्गीकरण हिन्दी की उपभाषाओं को अलग–अलग समुदायों में बांट देता है जो तार्किक नहीं है। चटर्जी के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है।

;कद्ध उदीच्य ;उसरीद्धः 1. सिंधी 2. लडंदा 3. पंजाबी 1

;खद्ध प्रतीध्य ;पश्चित्रीद्धः 1. गुजराती

;गद्ध मध्य देशीय ;बीच काद्ध : 1. राजस्थानी 2. पूर्वी हिन्दी 3. पश्चिमी हिन्दी 4. बिहारी 5. पहाड़ी।

;घद्ध प्राच्य ;पूर्वीद्ध : 1. उड़िया 2. बंगाली 3. असमी।

;घद्ध दक्षिणात्य ;दक्षिणीद्ध : 1. मराठी

धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में एक व्यवहारिक सुझाव दिया है, जिससे हिन्दी क्षेत्रा की अस्मिता बनी रहे। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है–

1. उत्तरी – सिंधी, लहंटा, पंजाबी
2. पश्चिमी – गुजराती।
3. मध्य देशीय – राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी. पूर्वी हिन्दी, बिहारी, पहाड़ी की उपभाषाएं।
4. पूर्वी – उड़िया, बांगला, असमिया
5. दक्षिणी – मराठी।

अतः कहा जा सकता है कि ईशा की पंद्रहवीं शताब्दी तक भारतीय आर्य भाषाएं आधुनिक काल में पदार्पण कर चुकी थी। स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में नवीनता परिलक्षित होती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुखतः वही ध्वनियां है, जो प्राकृत अपभ्रंश आदि में थी, किन्तु उनमें कुछ वैयक्तिक विशेषताएं भी हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में प्राचीन तथा मध्ययुगीन भाषाओं से बहुत अंतर आया है। शब्द भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि से कई हजार नए शब्द आए है। इससे पूर्व भाषाओं का प्रमुख शब्द भंडार तत्सम तद्भव और देशज था। मध्ययुगीन भाषाओं की तुलना में आज की भाषा में तत्तव शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है तथा तद्भवा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हो रहा है। उक्त पाठ के अन्तर्गत आधुनिक आर्य भाषाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। विभिन्न भाषा शास्त्रियों द्वारा आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की जानकारी भी इस पाठ में दी गई है। अगले पाठ में इन हिन्दी के भौगोलिक विस्तार तथा हिन्दी की उपभाषाओं और बोलियों की विस्तृत चर्चा करेंगे।

2.4 हिन्दी का भौगोलिक विस्तार

हिन्दी शब्द अपने प्राचीन अर्थ से प्रस्तुत अर्थ तक आते आते इस शब्द ने कई शताब्दियों की लम्बी यात्राा तय 1 की है। ट्टग्वेद में 'सिन्ध' और 'सत्पसिन्धवः' शब्द नबी और सात नदियों के अर्थ में कई बार और विशिष्ट प्रदेश के अर्थ में एक बार मिलता है। सम्भवतः यांजकों के साथ इन दोनों ने भारत से ईरान की यात्राा की। ईरानियों की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक 'अवेस्ता' में पाये जाने वाले 'हिन्दी' तथा 'हफत' हिन्दवः या हफत हिन्दबी' इन्हीं दो वैदिक शब्दों के ईरानी उच्चारण मात्रा है। संस्कृत की 'स' ध्वनि अवेस्ता की भाषा में 'ह' उच्चारित होती है। जैसे–सत्प–हफत, असुर–अहुर, अवेस्ता में महाप्राण ध्वनियों भी नहीं होती। अतः 'ध' का 'द' हो गया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत तथा ईरान के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध आर्यो के भारत में आने के पूर्व भी विद्यमान ने जैसा कि ज्योतिष, पौराणिक कथाओं तथा अन्य क्षेत्राों में आपसी प्रभावों से स्पष्ट है। आर्यों के भारत आगमन के बाद यह सम्पर्क सगोत्राीय होने के कारण कदाचित ओर बढ़ गया। वारा प्रथन के समय सिन्धु नदी के आसपास का प्रवेश ईरानी लोगों के हाथ में था। इन्हीं सम्पर्क द्वारा भारत से ईरान तथा ईरान से भारत में याजक आया जाया करते थे। शकद्वीप के मगं ब्राह्मण ;जो भारत मे शाकद्वीपी ब्राह्मण कहलायेद्ध फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही आकर यहां बसे थे। ईरान के शाह गस्तस्य के काल में महर्षि वेदव्यास के ईरान का उल्लेख मिलता है। ईरान के शाह ने वहां के महान् दार्शनिक जरस्नुत्रा से व्यास जी की भेंट कराई थी।

प्राचीन ईरानी साहित्य में हिन्दु शब्द नदी के अर्थ में तो प्रयुक्त हुआ ही, साथ ही सिन्धु नदी के पास के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ। सिन्धु शब्द का प्रयोग प्रदेश विशेष के अर्थ में 'महाभारत' में भी मिलता है। उस समय ईरान वालों के पास भारत की भूमि के लिए केवल वही एक शब्द था अतः धीरे–धीरे ईरानी भारत के जितने भी भाग से परिचित होते गये उसे इसी नाम से अभिहित करते गये। इस प्रकार किसी अन्य शब्द के अभाव में अर्थ विस्तार होता गया और सिन्धु नदी के पास की भूमि का वाचक शब्द धीरे–धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया।

'हिन्दी' शब्द किसी तरह भाषा का नाम बन गया, इसका एक लम्बा इतिहास है। प्राचीन काल में यह देश भारत खंड तथा जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। देश के लिए 'हिन्दी' और बाद में 'हिन्दुस्तान' बाद का विकास है। 'हिन्दी' की भाषा के रूप में भाषा के अर्थ में हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दुई, हिंदवी, दक्खिनी, हिन्दुस्तानी भाषा आदि का प्रयोग होता रहा था। प्राचीनता की दृष्टि से हिन्दी का यह नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह अत्यन्त प्राचीनकाल से हिमाचल तथा विंध्य क्षेत्रा के बीच की भूमि आर्यावर्त के नाम से प्रसि(है। संस्कृत, पालि, प्राकृत इस मध्य देश के विभिन्न युगों की भाषा भी। कार्यक्रम के अनुसार इस प्रवेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश ही आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकसित हुई। इस पर पंजाबी का पर्याप्त प्रभाव है।

भाषा विज्ञान में प्रायः 'पश्चिमी हिन्दी' तथा 'पूर्वी हिन्दी' को ही हिन्दी माना गया है। 'हिन्दी' शब्द अपने विस्तृततन अर्थ में हिन्दी प्रदेश में बोली जाने वाली सत्राह बोलियों का द्योतक है जो हिन्दी प्रदेशों–बिहार, उत्तर–प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तथा पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों की भाषा है। इस पूरे क्षेत्रा में हिन्दी भाषा की पांच उपभाषाएं है। तथा उनके अन्तर्गत 17 बोलियां आती है जिनका वर्णन इस प्रकार है–

भाषा हिन्दी ;1द्ध	उपभाषाएं ;5द्ध	बोलियां ;17द्ध
	पश्चिमी हिन्दी	1. खड़ी बोला या कौरवी
		2. बजभाषा
		3. हरियाणी

	4. बुन्देली
	5. कनौजी
पूर्वी हिन्दी	1. अवधी
	2. बघेली
	3. छत्तीसगढ़ी
राजस्थानी	1. पश्चिमी राजस्थनी ;मारवाड़ीद्ध
	2. पूर्वी राजस्थानी ;जयपुरीद्ध
	3. उत्तरी राजस्थानी ;नेवासीद्ध
	4. दक्षिणी राजस्थानी ;मालवीद्ध
पहाड़ी	1. पश्चिमी पहाड़ी
	2. मध्यवर्ती पहाड़ी ;कुमायनी गढ़वालीद्ध
बिहारी	1. भोजपुरी
	2. मगधी
	3. मैथिली

यहां हिन्दी भाषा की उपभाषाओं के अन्तर्गत सभी बोलियों का संक्षिप्त परिचय हेमा समीचीन रहेगा।

2.6 भाषा का वर्गीकरण एवं विशेषताएं

1. **पश्चिमी हिन्दी** – खड़ी बोली–खड़ी बोली मुख्य रूप से बिजनोर, मुरादाबादी, मुज्जफरनगर, देहरादून, सहारनपुर की भाषा है। व्यापक रूप में अम्बाला और पटियाला के पूर्वी भाग भी इसी भाषा की सीमा में पड़ जाते हैं। बोलचाल की खड़ी बोली एवं परिनिष्ठित खड़ी बोली में पर्याप्त अन्तर है। खड़ी बोली व्यापक रूप से सम्पर्क भाषा तो है ही, भारत की राजभाषा भी है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक 'भारतीय आर्यभाषाओं में खड़ी बोली का प्रचार सबसे अधिक हुआ है।

2. **ब्रजभाषा**–मध्य युग में साहित्य–भाषा के रूप इसका प्रचार गुजरात से लेकर बंगाल तक भी रहा है। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आयरा में बोली जाती है। सूरदास, मन्द्रदास, बिहारी आदि उच्चकोटि के कवियों ने इसे अपने काव्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। अतः कहा जा सकता है कि पश्चिमी हिन्दी का जितना अच्छा प्रतिनिधित्व राजभाषा करती है उतना खड़ी बोली नहीं।

3. **हरियाणी**–इसे दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला, नाभा में बोली जाती है। इस बोली में राजस्थानी और पंजाबी के प्रभाव को देखा जा सकता है। इसका कारण इनकी सीमाओं का उसके क्षेत्रा के निकटवर्ती होना है। इस बोली को बांगरू, जाटू आदि नाम भी दिये जाते हैं। यह खड़ी बोली की एक विभाषा है।

4. **बुन्देली**–यह शु(बुन्देलखण्ड की बोली है। यह झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा, नरसिंहपुर और जालौन आदि क्षेत्राों में बोली जाती है। बुन्देली और ब्रजभाषा में अत्यधिक तान्य है।

5. **कन्नौजी**–अवधी और ब्रजभाषा के क्षेत्राों के बीच में कन्नौजी का क्षेत्रा पड़ता है। इसका प्रसार उत्तर में पीलीभीत, शाहजहांपुर और दक्षिण में इटावा तथा कानपुर के पश्चिमी भाग तक पाया जाता है। किन्तु मुख्यतः यह फर्रूखाबाद में बोली जाती है। इसे ब्रजभाषा की विभाषा कह सकते है।

2.8 पूर्वी हिन्दी का वर्गीकरण एवं विशेषताएं

1. **अवधी**–मध्ययुग में साहित्यिक दृष्टि से जो महत्व पश्चिमी हिन्दी में ब्रजभाषा का था, पूर्वी हिन्दी में वही अवधी का था। पद्मावत और रामचरितमानस अवधी की प्रमुख कृतियां है। इसके पूर्व में भोजपुरी, पश्चिम में कन्नौजी, एवं बुन्देली का क्षेत्रा है, हरदोई को छोड़कर शेष अवध क्षेत्रा की यह बोली है। लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गौड़ा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ के अतिरिक्त इलाहाबाद, फतेहपुर कानपुर, निर्जापुर, जौनपुर आदि के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है।

2. **बघेली**–बघेल क्षेत्रा और चमेल राजपूतों की बोली होने के कारण बघेली कहलाती है। बघेली का केन्द्र रीवा है। इसका क्षेत्रा दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट के जिलों तक प्रसारित है। वास्तव में यह भी अवधी की ही बोली है परन्तु राजनीतिक कारणों के महत्व से इसे अलग बोली माना जाता है।.

3. **छत्तीसगढ़ी**–मध्यप्रदेश के रायपुर और बिलासपुर क्षेत्रा तथा काकर, नन्दगांव, खैरगढ़, रायपुर, कोटिया, सरगुजा, उदयपुर तथा जयपुर के हिस्से में भिन्न–भिन्न रूपों में बोली जाती है।

2.8 राजस्थानी

1. **मारवाड़ी**–मारवाड़ी आदि उप–भाषाएं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की भाषाएं हैं ये प्रधानतः जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है।

2. **जयपुरी**–जयपुर तथा कोटा बूंदी क्षेत्राों में क्रमशः जयपुरी और हाड़ौती बोलियां है। इन बोलियों में विशेष साहित्य रचना नहीं हुई क्योंकि यहां का शासक वर्ग बजभाषा को भी अधिक आश्रम देता रहा है।

3. **मेवाती**–उत्तर राजस्थान अर्थात अलवर तथा हरियाणा के मुडगावा जिले के निकटवर्ती क्षेत्रा में मेवाती बोली बोली जाती है।

4. **मालवी**–मध्यप्रदेश के मालव जनपद की भाषा 'मालवी' राजस्थान के उपभाषा वर्ग के अन्तर्गत परिगतिण होती है। इसका केन्द्र इन्दौर का निकटवर्ती प्रदेश है।

2.10 पहाड़ी

हिमालय के दक्षिण में नेपाल से शिमला प्रदेश तक पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अन्तर्गत गढ़वाली और कुमायुनी बोलिया आती है। ऐतिहासिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि मूलरूप से गढ़वाल और कुमायूं में किरात आदि अनार्य जाति बसी थी। बाद में यहां की भाषाओं पर तिब्बत–चीनी परिवार की भाषाओं का प्रभाव पड़ा।

2.9 बिहारी

1. **भोजपुरी**–बिहार के शाहाबाद जिले के नाम पर ही इस बोली का नाम पड़ा। यह बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगद, शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटा नागपुर के क्षेत्राों में बोली जाती हैं।

2. **मैथिली**–इस बोली का केन्द्र दरभंगा है। चम्पारन और सारन जिलों को छोड़कर बिहार में प्रधानतः गंगा के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इस भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए भी हुआ है। प्रसि(कवि विद्यापति की काव्य भाषा मैथिली है।

3. **मगही**–बिहार के उत्तरी भाग में कुछ अंश को छोड़कर सब तरफ यही बोली बोली जाती है। पटना व गया जिले इसके केन्द्र है। इस बोली का साहित्यिक महत्त्व नगण्य है।

खड़ी बोली और उसकी विशेषताएं

खड़ी बोली शब्द का प्रयोग भाषाशास्त्रा की दृष्टि से दिल्ली–मेरठ के समीपस्थ ग्रामीण समुदाय की बोली के लिए होता है। डॉ. ग्रियर्सन ने इस वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी तथा डॉ. सुभीतिकुमार चटर्जी ने जनपदीय हिन्दुस्तानी कहा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से खड़ीबोली हिन्दी, उर्दू तथा हिन्दुस्तानी की मूलाधार बोली है। अन्य भाषाओं से अलगाव जाहिर करने के लिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली के नाम सम्बन्धी विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। खड़ी बोली का यह नाम जिन कारणों से पढ़ा उनके विषय में पर्याप्त मत वैभिन्य हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इसकी एक मुख्य विशेषतः संस्कृति विसर्गो से विकसित शब्द के अन्त वाली खड़ी पाई के कारण इसे खड़ी बोली बताते हैं। जैसे उषः से उषा। कुछ अन्य विद्वान लोग बोली की कर्कशता, खड़ेपन के कारण खड़ी बोली नाम प्राप्त होना प्रतिपादित करते हैं।

बंशीधर विद्यालंकार, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा और कामताप्रसाद गुरु आदि 'खड़ी' शब्द से कर्कशता, स्वरापन, कटुता आदि अर्थ लेते हैं। राजभाषा की मधुर मिठास की तुलना में लल्लूलाल जी ;1803 ईú्द्ध के पूर्व इस भाषा को खड़ी बोली कहा जाने लगा। इसी से स्टैण्डर्ड हिन्दी का विकास हुआ।

कुछ लोग इसे उर्दू सापेक्ष जानकर उसकी अपेक्षा इसे प्राकृत शु(ग्रामीण ठेठ बोली मानते हैं। तासी तथा चन्द्रबेली पाण्डेय की यही मान्यता है।

डॉ ग्राहमबेली के अनुसार खड़ी का अर्थ सुस्थिर, सुप्रचलित, सुसंस्कृत परिष्कृतं या परिपक्व से मानते है।

अब्दुल हक खड़ी का अर्थ गंवारू मानकर खड़ी बोली को गंवारू बोली कहते हैं।

वास्तव में खड़ी शब्द गुणबोधक विशेषण है। इसके नामकरण के इतिहास को जानना आवश्यक है। मध्यकाल में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। 19वीं शती के प्रथम दशाब्द में खड़ी बोली का प्रयोग लल्लूलाल जी ने दो बार सदल मिश्र ने दो चार और गिलक्राइस्ट ने 6 बार किया है। हन विद्वानों के प्रयोगों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ब्रजभाषा के माधुर्य के विरोध के कर्कश भाषा को खड़ी बोली कहा गया। 'वास्तव में खड़ी बोली के लिए कर्कश कटु आदि अर्थ भारतेन्दु युग की देन है जबकि हिन्दी कविता के लिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में प्रतियोगिता हो रही थी। सम्भवतः ब्रजभाषा पक्ष वालों ने उसी युग में खड़ी बोली का इस प्रकार अर्थ किया होगा।

खड़ी बोली के लिए हिन्दी शब्द का प्रयोग 1924 ई. के बाद हुआ। 1942 ईú में प्रेमसागर के संस्करण पर हिन्दी शब्द ही मुद्रित है। अब इसका नाम हिन्दी ही प्रचलित हो गया है। जबकि खड़ी

बोली प्रयोग भी कहीं–कहीं मिलते है। डॉ. राहुल सांकृतयायन इसे कोरवी नाम से सम्बोधित करते थे। डॉ. बाहरी को भी जनपदीयता की दृष्टि से कौरवी नाम पसन्द है।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से खड़ी बोली का प्रचार सबसे अधिक हुआ है। संम्भवतः यह संसार की सबसे विचित्रा बोली है। साहित्य के क्षेत्रा में एक ओर तो इसने हिन्दी का रूप लिया है और दूसरी ओर उर्दू का तथा तीसरी ओर व्यापक बोलचाल के प्रयोग में आकर यह हिन्दुस्तानी कहलाई। यह बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। खड़ी बोली हिन्दी की निम्नलिखित विशेषताएं है।

1. खड़ी बोली आकारान्त प्रधान भाषा है–करता, किया, गया, जायेगा, लड़का, घोड़ा, बड़ा, छोटा, मोटा, खोटा।
2. ए, ओ का उच्चारण संवृत होता है जो ए / ओ सुनाई पड़ता है–बेठ, घेर, ओर, होर, घोरा आदि।
3. ह के पहले अ का उच्चारण ए की तरह सुना जाता है–केहा, रेड ;रहद्ध 1
4. ठेठ खड़ी बोली में न के स्थान पर ण, ल के स्थान पर ळ और ड़ के स्थान पर ड का उच्चारण होता है–जाणा, रहणा, बाळक, माळ, बडा, आदि।
5. खड़ी बोली में ऐ, औ मूल स्वर हो गए हैं।
6. क्रिया विशलेषण–अब, तब, जब, इधर, उधर, जिधर, सिधर, इधर, उदर, किडर आदि रूप प्रचलितज है। नहीं के स्थान पर नई, मी रूप चलते हैं जैसे मैं नी गया। नैने नई रचाया आदि।
7. खड़ी बोली के तद्भव सूवसीय रूप विशेषण तथा संज्ञापद, आकरांत होते है।
8. हमें मूर्धन्य व्यंजन वर्णो का अधिक व्यवहार छोटा है।
9. बोलचाल के 'ड' तथा 'ढ' साहित्यिक हिन्दी में 'ड़' और 'ढ़' हो जाते हैं।
10. इस बोली के सुसंस्कृत रूप में ही आज का हिन्दी साहित्य रचा जा रहा है। बोलचाल की खड़ी बोली में तो केवल लोक साहित्य ;नौटंकी, रहिये आदिद्ध ही लिखा जाता है।

बृजभाषा और उसकी विशेषताएं

ब्रज का अर्थ 'पशुओं या गौओ का बबूड' या घारामाह है। पशुपालन और गोचर भूमि के सन्दर्भ में मथुरा–वृन्दावन के क्षेत्रा को बज्र की संज्ञा प्रचीन काल से ही प्राप्त है। बोलियां में केवल इसी क्षेत्रा की बोली को राजभाषा कहा गया है। बृजभाषा का उद्भव शौरसेनी प्राकृत से हुआ है। कुछ लोग शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, किन्तु यह भ्रामक है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश नाम से अपभ्रंश का वर्गीकरण ही नहीं किया गया। शूरसेगन का ही दूसरा नाम ब्रजमण्डल–'ब्रज चौरासी कोड में मथुरा मंडल धाम'।

मध्य युग में साहित्य–भाषा के रूप में इसका प्रचार गुजरात से लेकर बंगाल तक भी रहा है। वैसे भी इस काल की दृष्टि से इस भाषा का महत्व हमारे गौरव का विषय है। सूरदास, भण्डदास, बिहारी आदि उच्चकोटि के कवियों ने इसे अपने काव्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। इस भाषा के क्षेत्रा मुख्यतः मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ है। इन क्षेत्राों में अब भी अपने शु(रूप में बोली

जाती है। हिन्दी का मध्ययुगीन भक्ति और रीति साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है वर्तमान काल में खड़ी बोली में इसका स्थान ले लिया है।

उत्तर भारत की प्रायः सभी साहित्यिक भाषाएं 'मध्यदेश' को बोलियों का परिष्कृत रूप रही हैं। मध्यदेश मूलतः गंगा यमुना के मध्य का प्रवेश अपनी महान सांस्कृतिक परम्परा के लिए सदैव स्मरणीय रहा है। मूल शौरसैनी का बोली रूप 'ब्रज' ही इन जन बोलियों में से एक रही।

ग्यारहवीं शती में मध्यदेश की जनभाषा के बंप में जभाषा का विकास हुआ। एक ओर वीरता और शौर्य के भावों के परिपुष्ट होकर नई शक्ति का संचार हुआ दूसरी ओर मध्य युग के भक्ति आन्दोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसको सम्मान मिला जिससे इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। अपनी पूर्वज भाषाओं को धरोहर के रूप में प्राप्त कर इसके वैभव में वृ(हुई। अतः कहा जा सकता है कि पश्चिमी हिन्दी का जितना अच्छा प्रतिनिधित्व ब्रजभाषा करती है उतना खड़ी बोली नहीं। ब्रजभाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. ब्रजभाषा में 12 स्वर ध्वनियों का प्रयोग मिलता है अ, आ, इ, ो, उ, ऊ, ए, ऐ, औ, ओ, ऐ, ओ।
2. ब्रजभाषा में खड़ी बोली 'आ' के स्थान पर 'ओ' या 'आ' का प्रयोग होता है।
3. ट्र लिखा जाता है किन्तु उच्चारण र या रि होता है।
4. महाप्राण 'ह' का लोप अधिकांशत! दिखाई पड़ता है बारह झ बारा, बहु झ बऊ।
5. उत्तर भारत की प्रायः सभी बोलियों ने नपुंसकलिंग नहीं है परन्तु ब्रजभाषा में कहीं–कहीं पर नपुंतकथ्लंग के रूप भी सुरक्षित दिखाई देता है।
6. भविष्यत् काल के रूप में साधारण सर्वनाम के रूपों में 'गौ' जोड़ने से निष्पन्न होते हैं, यथा मारूंगा–मारौंगी।
7. हिन्दी के सर्वमानों में बृजभाषा के वर्तमान पर्याप्त भिन्न हैं। उदाहरण के लिए–मैं के स्थान पर 'हो'। ऐसे ही 'मेरा'–'मेरो', 'मुझे' 'मोहि' 'उडे'–'ताहि' आदि।

अवधी और उसकी विशेषताएं

पूर्वी हिन्दी में परिगणित बोलियों में अवधी का स्थान सर्वोपरि है। अवधी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से माना जाता है। अयोध्या से औध और अवीां बना हे विद्वान। कुछ इसे कोसली भी कहते हैं। इसे पूर्वी और बेसवाड़ी भी कहा जाता है। कोसल के दो भाग हैं–उत्तरी कोसल, जिसमें अयोध्या के आसपास का क्षेत्रा है और दक्षिण कोसल में रीवा और जबलपुर का क्षेत्रा पढ़ता है। इस प्रकार दोनों मिलकर महाकोसल में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। यदि बघेली और छत्तीसगढ़ी को अवधी के अन्तर्गत मानः लिया जाए तो कोसली नाम सार्थक हो सकता है। किन्तु बघेली और छत्तीसगढ़ी अलग बोलियां हैं। अंतः इसे कोसली कहना उचित नहीं है 14वीं शती से अवधी का स्वरूप. विकसित होने लगता है। उस काल तक अवहट्ट या अपभ्रंश से अवधी अलग नहीं हो पाई थी। 1370 ई. में बुल्लादाउद का लोरिकहा या चंदायन अवधी का प्रथम काव्य है। इसके बाद जायसी ने पदमावत की रचना करके और तुलसी न रामचरितमानस के प्रणयन से अवधी को बहुत अधिक विकसित किया।

अवधी वही भाषा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' है जिसको आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जायसी रचित महाकाव्य 'पदमावत' की रचना भी इसी भाषा में हुई है। मध्य युग में साहित्यिक दृष्टि से जो महत्व पश्चिमी हिन्दी में राजभाषा का था, पूर्वी हिन्दी में वही अवधी

का था। अवधी लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोड़ा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के अतिरिक्त इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है। अवधी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः

1. खड़ी बोली की तुलना में अवधी में स्वरों की मात्राा कम होती है।
2. श और ष का उच्चारण स होता है रिसि, विस्वामित्रा।
3. च का उच्चारण त्व होता है–तोख ;दोषद्ध, बरखा ;वर्षाद्ध।
4. शब्दान्त आ का उच्चारण होता है कान ;कानाद्ध, मीठा ;मीठाद्ध।
5. ऐ, ओ संध्यार का उच्चारण अई, अउ होता है जइसे, अउरत।
6. महाप्राण ध्वनियों में शु(महाप्राणता होती है।
7. संज्ञा के तीन रूप लघु, दीर्घ, तथा दीर्घता है।
8. हिन्दी का कर्ता परसर्ग 'ने' का प्रयोग अवधी में नहीं होता।
9. व्यंजनान्त संज्ञा पदों के 'चक', 'मनु' आदि कर्ता एकचपन के रूपों में 'उ' कार जुड़ता है।
10. वर्तमान में सहायक क्रिया के रूप में हिन्दी 'है' के स्थान पर अ है, बाट बाटे आदि व्यहृत होता है भविष्यत 'ह' तथा 'ब' दोनों रूपों का प्रयोग होता है यथा देखि है, देखव।

2.12 सारांश

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं 16वीं शती साहित्यिक रचनाएं मिलती है हालांकि इसका विकास क्रम ई.पू. से माना जाता है। इससे पूर्व की भाषाओं की विशेषताओं में समानता दिखाई पड़ती है। वह धीरे–धीरे विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में पांच उपभाषा के रूप में हमारे सामने आती है जो वर्तमान समय तक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई।

2.12 कठिन शब्दवली

परिनिष्ठित – शु(मानक

भाषा शामा – भाषा का ज्ञान

मधुर – मिठास

कर्कश – कठोरता, खडापन।

2.13 स्वयं आकलन के प्रश्न

1. आधुनिक आर्य भाषा का विकास किस भाषा से हुआ?
2. पश्चिमी हिंदी के अन्तर्गत कितनी बोलियां है?
3. आधुनिक आर्य भाषा की कितनी उप–भाषा हैं?

4. पूर्वी हिंदी की बोली के नाम बताओं।

5. राजस्थानी भाषा की बोलियां कौन–कौन सी हैं?

6. बिहारी भाषा की बोलियों के नाम लिखिएं।

2.14 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

1. अपभ्रंश भाषा से।

2. पांच : 1द्ध खड़ीबोली 2द्ध ब्रज भाषा 3द्ध हरियाणवी 4द्ध कन्नौजी 5द्ध बुन्देली

3. पांच ;पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी पहाड़ीद्ध

4. तीन ;अवधी, बघेली, छतीसगढ़ीद्ध

5. चार ;1द्ध पश्चिमी राजस्थानी –मारवाडीद्ध
   ;2द्ध पूर्वी राजस्थानी – जयपुरी
   ;3द्ध उतरी राजस्थानी – मेवाती
   ;4द्ध दक्षिणी राजस्थानी – मालवी

6. तीन ;भोजपुरी, मैथली, मागहीद्ध

2.15 सन्दर्भित पुस्तकें

1. हिन्दी भाषा का स्वरूप – कैलाश चन्द भाटिया
2. हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास – उदयनारायण तिवारी।
3. हिन्दी भाषा का इतिहास – धीरेन्द्र वर्मा
4. हिन्दी भाषा – भोलानाथ तिवारी

2.16 सात्रिाक प्रश्न

1. आधुनिक आर्यभाषाओं का वर्गीकरण कीजिए।

2. पश्चिमी हिंदी का वर्गीकरण और उसकी विशेषता लिखिए।

3. खड़ी बोली के वर्गीकरण के साथ–साथ विशेषताओं का वर्णन करो।

4. खड़ी बोली और ब्रज भाषा का वकिास एवं विशेषताएं बताईए।

5. अवधि भाषा का विकास और विशेषता लिखिए।

खण्ड–तीन

हिन्दी का भाषिक स्वरूप

3.1 भूमिका

3.2 उद्देश्य

3.3 हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप

3.4 हिंदी में स्वनिम व्यवस्था

3.5 शब्द रचना

3.6 हिंदी भाषा में उपसर्ग एवं प्रत्यय

3.7 हिंदी भाषा में समास व्यवस्था

3.8 हिंदी भाषा में व्याकरणिक कोटियां

3.8.1 लिंग

3.8.2 वचन

3.8.3 कारक

3.9 हिंदी भाषा में काल

3.10 हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की व्यवस्था

3.11 हिंदी भाषा में वाक्य रचना

3.12 सारांश

3.13 कठिन शब्दावली

3.14 स्वयं आकलन के प्रश्न

3.15 स्वयं आकलन प्रश्नों के उतर

3.16 सन्दर्भित पुस्तकें

3.17 सात्रिाक प्रश्न

3.1 भूमिका

भाषा अध्ययन के दो सन्दर्भ हैं–प्रयोजनपरक और सरचनापरक। प्रयोजनपरक सन्दर्भ के विषय में कहा जा सकता है कि भाषा, सम्प्रेषण का एक अन्यतम उदाहरण है। भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार को व्यक्त करता है बल्कि उसे दूसरे तक सम्प्रेषित भी करता है। अतः भाषा का प्रयोजनपरक, संदर्भ सम्प्रेषण की आवश्यकता पर बल देते हुए यह संकेत देना चाहता है कि भाषा, सम्प्रेषण व्यापार का एक समर्थ साधन है। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि भाषा के इस सम्प्रेषण व्यापार के सहारे ही • व्यक्ति अपने भाषाई समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, उनके साथ विचार–विनिमय करता है और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करता है।

संरचनापरक संदर्भ का सम्बन्ध भाषा की प्रकृति से रहता है। यह संदर्भ इस पक्ष पर प्रकाश डालता है कि भाषा–क्या है न कि भाषा क्या करती है। यह बात ध्यान देने की हे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में हम जिस भाषा की बात करते हैं, वह वस्तुतः 'मानव भाषा' का एक प्रकार है, जैसे हिन्दी, गुजराती, तमिल, तेलगु, फ्रेंच आदि। सम्प्रेषण व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में हम कभी–कभी 'भाषा' शब्द का प्रयोग अन्य सन्दर्भों में भी करते हैं। हम कभी 'पशु–पक्षियों' के सम्प्रेषण व्यापार को भी 'भाषा' मान लेते हैं और आंखों से व्यक्त होने वाले सूचना व्यापार को भी 'आखों' की भाषा' की संज्ञा दे बैठते हैं। वस्तुतः इन संदर्भों में हम भाषा का लाक्षणिक अर्थो में प्रयोग करते हैं। अन्यथा मानव भाषा अपनी प्रकृति में गुणात्मक स्तर पर इनसे भिन्न एक वस्तु है।

3.2 उद्देश्य

1. हिंदी भाषा के भाषिक स्वरूप का ज्ञान।
2. हिंदी भाषा में स्वनिम व्यवस्था की जानकारी।
3. हिंदी भाषा के शब्द ज्ञान।
4. समास की जानकारी।
5. हिंदी भाषा की व्याकरणीक कोटियों की जानकारी।

3.3 हिन्दी भाषा का भाषिक स्वरूप

हिन्दी का भाषिक स्वरूप के संदर्भ में कहा जा सकता है कि 'भाषा' सार्थक प्रतीकों की एक व्यवस्थित कड़ी है।' यह परिभाषा भाषा की सार्थक इकाइयों को भी परिभाषित करने में समर्थ है। उदहारण के लिए अगर हम उसकी महत्त्वपूर्ण इकाई 'वाक्य' की प्रकृति पर प्रकाश डालना चाहें, तो कह सकते हैं कि 'वाक्य' अनुशासित शब्दों की एक व्यवस्थित कड़ी है।'

प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का सम्बन्ध उच्चारण से होता है। इन्हीं उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए 'वर्ण चिन्ह' बनाऐ जाते हैं। हिन्दी में अन्य भाषाओं के समान उच्चारण के धरातल पर अनेक ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के लिए ट्टणों की व्यवस्था।

यों तो 'ध्वनि' शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। किसी भी प्रकार की आवाज को ध्वनि कह दिया जाता है। लेकिन भाषा में 'ध्वनि' शब्द का संदर्भ सीमित है। यहां ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते है। लेकिन मानव मुख से उच्चरित प्रत्येक 'ध्वनि' 'भाषिक ध्वनि' नहीं कही जा सकती क्योंकि मुख्य से तो अनेक प्रकार की ध्वनियां उच्चरित की जा सकती हैं। लेकिन उच्चारण अवयवों की सहायता से निकाली गई ध्वनि भाषिक ध्वनि कहलाती है। भाषा की ये ध्वनियां या स्वर दो प्रकार के होते हैं–एक 'स्वर' तथा दूसरे 'व्यंजन'। 'स्वर' ध्वनियां वे हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु को बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख्य से बाहर निकाला जाता है। 'व्यंजन' वे ध्वनियां है जिनके उच्चारण में मुख में वायु का अवरोध होता है।

भाषा की ध्वनियों का सम्बन्ध उच्चारण से होता है, परन्तु जब इन उच्चरित ध्वनियों को लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिपि–चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि–चिन्हों को 'वर्ण' कहा जाता है। 'वर्ण' भाषिक ध्वनियों या स्वर के लिखित रूप होते हैं। हिन्दी में इन्हीं वर्णों को 'अक्षर' भी कहा जाता है। इस प्रकार ध्वनियों का सम्बन्ध जहां भाषा के उच्चारण पक्ष से होता है यहां वर्णो का सम्बन्ध लेखन पक्ष से।

3.4 हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था–स्वदीय, खंड्येतर

ध्वनि विज्ञान के क्षेत्रा में किए गए नये अनुसंधानों एवं प्रयोगों के परिणामस्वरूप एक नयी शाखा का जन्म हुआ जिसे फोनेमिक्स ;चैवदमउपबेद्ध कहा गया। हिन्दी में फोनेमिक्स के लिए अनेक शब्दों ध्वनिग्राम विज्ञान, स्वनिम विज्ञान आदि का प्रयोग किया जाता रहा है पर अब सर्वाधिक प्रचलित नाम है स्वनिम विज्ञान।

स्वनिम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा के स्वनियों तथा उनसे सम्बद्ध पूरी व्यवस्था पर विचार किया जाता है। इसके अन्तर्गत यह निर्धारण किया जाता है कि उस भाषा में स्वनिग तथा संस्वन ;उपस्वनद्ध कौन–कौन से हैं, उसे संस्वप्नों के वितरण पर विचार किया जाता है, स्वनिमों के भेदोपभेद बताये जाते हैं, खडेय स्वनिमों ;स्वर तथा व्यंजनोंद्ध खंड्येतर स्वनिमों ;अनुतान, बलाघात, दीर्घातार अनुनासिका, संगमद्ध की व्यवस्था पर विचार किया जाता है।

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था के अर्न्तगत हम 'स्वम' के तात्पर्य स्वनों के प्रकार आदि की जानकारी हासिल करेंगे। यह तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की आवाज को 'ध्वनि' कहा जाता है। लेकिन भाषा की ध्वनियों को अन्य ध्वनियों से अंतर करने के लिए हमने 'भाषिक ध्वनि' का नाम दिया था। अर्थात क, त, य, प, अ, ई आदि अनेक ध्वनियां हैं जिनके संयोग से विभिन्न शब्द निर्मित होते हैं, भाषा में प्रयुक्त इन्हीं ध्वनियों को 'स्वन' कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'मनुष्य' के मुख से उच्चारित वे ध्वनियां, जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है, स्वन कहलाती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक भाषा में दो प्रकार के स्व होते हैं–स्वर, स्वन तथा व्यंजन स्वन।

स्वनिम के भेद–ध्वन्यात्वक दृष्टि से स्वनिम को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है–खंड्य स्वनिम तथा खंड्येतर स्वनिम। खंड्य स्वनिम वे हैं जिनका विश्लेषण एक पृथक इकाई के रूप में किया जा सकता है। उनकी स्वतंत्रार सत्ता होती है। इन्हें मुख्यतः स्वर तथा व्यंजन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। खंड्येतर स्वनिमों को अलग–अलग खंडित नहीं किया जा सकता। ये प्रायः एकाधि क खंड्य स्वनिम पर आधारित होते हैं। इनका उच्चारण भी सामान्यतः अलग संभव नहीं है। खंड्येतर स्वनियों के पांच उपभेद है–अनुतान, बलाघारत, दीर्घता, अनुनासिकता, संगम। स्वनिम के भेदों को नीचे आरेय द्वारा स्पष्ट किया गया है–

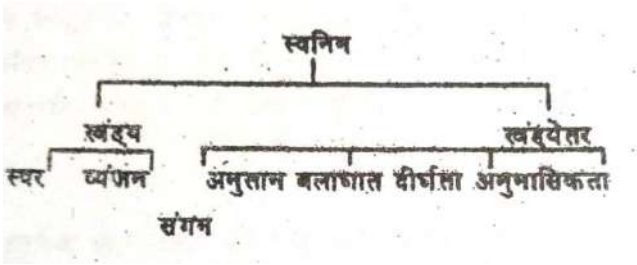

हिन्दी में अ, आ, इ, ए आदि स्वर स्वन हैं और क, प, ट, त, न आदि व्यंजन स्वन। स्वर और व्यंजन स्वन परस्पर मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। भाषाओं में स्वमों की संख्या तो असीमित होती है, लेकिन शब्दों में प्रयोग होने की दृष्टि से सभी स्थानों का स्तर एक जैसा नहीं होता। कुछ स्वन तो शब्दों में किसी भी स्थान पर उच्चारित किए जा सकते हैं। स्मान से हमारा तात्पर्य है शब्द के आरम्भ में शब्द के मध्य में, दो स्वरों के बीच तथा शब्दांत में, परन्तु कुछ स्वन ऐसे होते हैं जो शब्दों में किसी निश्चित स्थान पर ही आ सकते है। प्रत्येक वातावरण में नहीं आ सकते। उदाहरण के लिए हिन्दी में क, न, न आदि अनेक ऐसे स्वन है जो शब्द के आरम्भ, शब्द में मध्य, दो स्वरों तथा व्यंजनगुच्छों के बीच और शब्दांत–सभी स्थानों पर स्वतंत्रा रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं जैसेः

स्वन	शब्दारंभ	शब्दमध्य	व्यंजनगुच्छ	शब्दांत

क	कमल	मकान	मक्कार	नाम
	कान	तकली	मक्का	फांक
म	मार	अमर	अम्मा	आम
	मां	सुमन	निम्मी	नाम
न	नल	किनारा	गन्ना	कान
	नीला	अनिल	पन्ना	कौन

लेकिन कुछ स्वन तीनों ही स्थानों पर स्वतंत्रा रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते जैसेः

1. कुछ स्वन शब्दारंभ में नही आते, जैस–ड, ड

2. कुछ शब्दांत में नही आतें, जैसे–ड, ढ़

3. कुछ व्यंजनगुच्छों में नहीं आते, जैसे–ड़, ढ़

इस प्रकार सभी स्वन प्रयोग की दृष्टि से समान स्तरीय नहीं होते। कुछ स्वर प्रयोग की दृष्टि से अधिक स्वतंत्रा होते हैं। और शब्दों में किसी भी वातावरण ;शब्दारंभ, शब्दमध्य में दो स्वरों एवं व्यंजनगुच्छों तथा शब्दांतद्ध में प्रयुक्त हो सकते हैं। परन्तु कुछ स्वन ऐसे भी होते है, जिनका प्रयोग सीमित वातावरण में ही किया जाता है। ये स्वन प्रयोग की दृष्टि से उतने स्वतंत्रा नहीं होते।

'स्वन' दो प्रकार के होते है–'स्वर' तथा 'व्यंजन'। उदाहरण के लिए हिन्दी में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ आदि स्वर है। तथा 'क' से लेकर 'ह' तक के सारे व्यंजन है। अब हन हिन्दी के 'स्वर स्वनिम' तथा 'व्यंजन स्वनिन' पर चर्चा करेंगे।

स्वर स्वनिम

हिन्दी की स्वर ध्वनियों या स्वनों का परिचय प्राप्त करने के बाद हम यह जानना चाहेंगे कि कौन–कौन से स्वर स्वनिग की कोटि के हैं–इसका निर्धारिण आप न्यूनतम युग्मों के आधार पर कर सकते हैं। न्यूनतम युग्मों के आकार जो–जो स्वन शब्द का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं वे सब हिन्दी के 'स्वर' स्वनिम कहे जा सकते हैं। अतः नीचे दिए गए न्यूनतम युग्मों पर ध्यान दीजिएः

	न्यूनतम युग्म		स्वनिम	
1.	कल	काल	अ	आ
2.	नाला	मेला	आ	ए
3.	मिल	नील	इ	ई
4.	चील	चाल	ई	आ
5.	सुर	सेर	उ	ए
6.	शूर	शोर	ऊ	आ
7.	केला	काला	ए	ओ

8.	मैला	मेला	ऐ	ए
9.	बोल	बेल	ओ	ए
10.	सौ	सो	औ	ओ

इस प्रकार हिन्दी में दस स्वर हैं जो स्वनिम कहे जा सकते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऐ, ऐ, ओ तथा औ। चूंकि ये दसों स्वर स्वनिम हमें परम्परा से प्राप्त हुए हैं अतः ये हिन्दी के मूल स्वर स्वनिम माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी में कुछ आगत स्वर स्वनिम भी पाए जाते हैं जैसे–'ऑ' ;बॉल, हॉल, कॉफीद्ध। इसी प्रकार कुछ अनुनासिक स्वर स्वनिम भी पाए जाते हैं जैसे आ, ऊं, ;सांस, पूंछद्ध आदि।

व्यंजन स्वनिम

उच्चारण के स्तर पर तो व्यंजनों के भी अनेक रूप हमें मिलते हैं परन्तु वे व्यंजन ही स्वनिम की कोटि में आते है जो न्यूनतम युग्मों में आ सकते हैं, अर्थात शब्दों में एक दूसरे के स्थान पर उच्चारित किए जाने से जो शब्द का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। अतः यह निर्धारित करने के लिए कि हिन्दी में कौन–कौन से व्यंजन स्वनिम हैं, हमें न्यूनतम युग्मों का सहारा लेना होता है। नीचे दिए गए न्यूनतम युग्मों पर ध्यान दीजिए–

काली	/क/	काट	/ट/	पला	/प/
खाली	/ख/	काठ	/ठ/	फला	/फ/
गोल	/ग/	डाल	/ड/	बला	/ब/
घोल	/घ/	ढाल	/ढ/	भला	/भ/
चाल	/च/	ताली	/त/	माना	/म/
छाल	/छ/	थाली	/थ/	नाना	/न/
जाल	/ज/	दाल	/द/	कण	/ण/
यहां	/य/	साल	/स/		
वहा	/व/	शाल	/श/		
		हाल	/ह/		

कान	/न/
कान्ह	/न्ह/
कुमार	/म/
कुम्हार	/म्ह/
आला	/ल/
आल्हा	/ल्हा/

उपरोक्त न्यूनतम युग्मों से पता चलता है कि निम्नलिखित व्यंजनों को स्वनिम कहा जा सकता है:

क्	ख्	ग्	घ्		
च्	छ्	ज्	झ्		
ट्	ठ्	ड्	ढ्	ण्	
त्	थ्	द्	ध्	न्	;न्ह्द्ध
प्	फ्	ब्	भ्	म्	;म्ह्द्ध
य्	र्	ल्	;ल्ह्द्ध	व	
स्	श्	ह्			

उपर्युक्त व्यजंन स्वनियों में 'न्ह', 'म्ह' तथा 'ल्ह' स्वनियों को छोड़कर शेष सभी व्यंजन स्वामिन हमें परम्परा से प्राप्त हुए हैं तथा 'न्ह', 'म्ह' तथा 'ल्ह' का विकास हिन्दी में आगे चलकर हुआ है। परम्परा से प्राप्त व्यजन स्वनिन की मूल व्यंजन स्वनिन कहे जाते हैं। ये स्वमिन ही हिन्दी के केन्द्रीय स्वमिन भी कहलाते हैं।'

इसके अतिरिक्त हिन्दी में कुछ आगत व्यंजन स्वनिम भी हैं। जो व्यंजन स्वनिम विदेशी भाषाओं के शब्दों के आ जाने से हिन्दी में आ गए हैं. ये आायत व्यंजन स्वनिन कडे जाते हैं। इन्हीं को परिधीय स्थनिंग भी कहा जाता है। इन स्वानिमों का भाषा में प्रयोग सीमित व्यक्तियों द्वारा कुछ सीमित शब्दों में ही किया जाता है। इस दृष्टि से 'क' 'न' 'ग' तथा 'फ' हिन्दी के परिधीय स्वनिम हैं। इन व्यजनों को स्वनिम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोग इनका उच्चारण करते हैं वे नीचे दिए गए न्यूनतम युग्मों के आधार पर इसके निकटस्थ व्यंजनों से इनमें अन्तर करते हैं जैसेः

1.	खाना	/ख/ ;भोजनद्ध
	ख़ाना	/खद्ध ;अलमारी का ख़ानाद्ध
2.	राज	/ज/ ;राज्यद्ध
	राज़	/ज़द्ध ;राज़ की बातद्ध

इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजन स्वनिम हिन्दी में विकसित हुए हैं 'न्ह' 'म्ह' 'ल्ह' 'ड़' 'ढ़' आदि अनेक व्यंजन स्वम परम्परा से न आकर हिन्दी में विकास प्रक्रिया के राम विकसित हुए हैं।

खंड्रीय स्वनिम

'खंड्रीय का अर्थ है, 'जिसके मंड किए जा सके'। अतः खंडीय ध्वनियां या स्थन में ध्वनियां है जिनके अभिलक्षणों के रूप में या ध्वनि गुणों के रूप में खंड किए जा सकते हों। इस दृष्टि से भाषा में स्वतंत्रा रूप से उच्चरित की जाने वाली सभी ध्वनिया 'खंड्रीय ध्वनिया' कहलाती हैं। ये खंड्रीय ध्वनिया मा स्वनल जब किसी भाषा में न्यूनतम युग्मों में प्रयुक्त होकर शब्द का अर्थ परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, तब हम उन्हें 'खंडीय स्वनिम' कहने लगते हैं।

उदाहरण के लिए 'ए' ध्वनि की उच्चारणात्मक विशेषताएं देखिए। 'प' ध्यान एक ओर ध्यान है। जिसका उच्चारण ओठों के पास से किया जाता है। इसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपर के ओठ का 'स्पर्श' करता है अतः यह एक स्पर्शी ध्वनि है। साथ ही 'अयोग' तथा 'अल्पप्राण' भी है क्योंकि इसके उच्चारण में स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होती और वायु के अबरोध के बाद मुख्ख से कम मात्राा में दायु बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार 'प' ध्वनि के अलग–अलग ध्वनि गुण इस प्रकार लिखे जा सकते है–

/प/ ओष्ठ्य
अभोष
अल्पप्राण
स्पर्शी
व्यंजन

किसी भी ध्वनि के हम ध्वनि गुणों या उच्चारणात्मक गुणों को 'अभिलक्षण' कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'ख' तथा 'ज' ध्वनि के उच्चारणात्मक गुण वा अभिलक्षण इस प्रकार बताए जा सकते हैं–

/ख/ कंठ्य
अधेब
महाप्राण
स्पर्शी
व्यंजन

/ज/ तालब्य
सघोष
अल्पप्राण
स्पर्श–संघर्षी
व्यंजन

कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी में 'प', 'ख' 'ज' आदि स्वन जो स्वतंत्रा ध्वनियां हैं, एक से अधिक गुणों या अभिलक्षणों को अपने में समाहित किए हुए हैं। जब भी हमें इन स्वतंत्रा ध्वनियों का उच्चारणात्मक विवरण देना होता है तब हम इनको छोटे–छोटे खंडों में बांट कर इनके अलग–अलग अभिलक्षणों को बता देते है।

खंड्ेत्तर स्वनिम

'खंडेत्तर' शब्द का अर्थ है–'खंडों से इत्तर' अर्थात जिनके खंड करना संभव न हो। अनुनासिकता के अलावा भाषाओं में और भी खडेत्तर ध्वनियां प्राप्त होती हैं। जिनमें बलाघात, तान, अनुसान, दीर्घता, संधिता आदि उल्लेखनीय हैं।

भाषा में सभी स्वनों का उच्चारण स्वतंत्रा रूप से नहीं किया जाता। कुछ स्वन या ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जो किसी स्वतंत्रा ध्वनि का सहारा लेकर ही उच्चरित की जाती है। उदाहरण के लिए आपने अनुनासिक स्वरों में देखा था कि अनुनासिकता का उच्चारण अलग से स्वतंत्रा रूप में नही किया जा सकता। यह तो स्वयं में एक ध्वनि गुण या अभिलक्षण है जो हमेशा स्वरों के साथ ही उच्चरित होता है। जिस प्रकार 'घोषत्व' या 'प्राणत्व' व्यंजनों के अभिलक्षण या ध्वनि गुण हैं उसी प्रकार अनुनासिकता भी स्वरों का गुण है। अर्थात जब आप स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से बाहर निकालते हैं तब गौत्विक स्वर उच्चरित होते हैं परन्तु जब वायु मुख के साथ–साथ नासिका से भी बाहर निकाली जाती है तब अनुनासिक स्वर उच्चरित होते हैं। अतः जब किसी भाषा में अनुनासिक स्वर गोस्थित स्वरों के साथ न्युनगत युग्मों में प्रयुक्त होकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तब उस भाषा में अनुनासिका को स्वनिनिक कहा जाता है। स्वंडेयतर स्वनिम के पांच उपभेद माने जाते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है।

बलाघात बोलते समय काव्य के किसी विशेष अंश या शब्द पर, शब्द के किसी विशेष अधार पर, अक्षर की विशेष ध्वनि पर बल देने को बलाघात कहते हैं। वाक्य शब्द तथा अक्षर के अन्य अंश बलाघात शून्य न होकर अपेक्षाकृत कम बलाघात युक्त होते हैं। विश्व की कुछ भाषाओं में अकार बलाघात शब्द के अक्षर विशेष पर बल स्वनिमिक डोसा है, अर्थात शब्द के अक्षर विशेष पर बल होने से शब्द का एक अर्थ तथा दूसरे अक्षर पर बल होने से शब्द का दूसरा वर्ष होता है। लेकिन हिन्दी में शब्द बलाघात ;वाक्य के शब्द या अंश विशेष पर बलद्ध ही स्वनिमिक है। यथा–

उसे एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए।

उसे एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए।

यहां पहले वाक्य में बलाघात एक पर है, अतः अर्थ होगा–ऐसा कमरा जिसमें सिर्फ एक रोशनदान हो। दूसरे वाक्य में बलाघात रोशनदान पर है–अतः अर्थ है ऐसा कमरा जिसमें रोशनी और हवा आती हो।

अनुतान–कोई वाक्य अथवा शब्द अर्थात एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई का उच्चारण करते समय हमारा सुर ;स्वरसंत्रियों के प्रति सेकेण्ड कम्पनावृति पर निर्भर एक ध्वनि गुणद्ध कभी तो ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सुर के इसी उतार चढ़ाव को सुरलहर अथवा अनुतान कहते हैं। इस दृष्टि से विश्व में दो प्रकार की भाषाएं हैं 1. तान भाषाएं, ;जिनमें अनुतान से शब्द का अर्थ तथा व्याकरणार्थ भी बदल जाता है, जैसे चीनी, बर्मी भाषाओं में द्ध 2. अतान भाषाएं ;जिनमें अनुतान से केवल आश्चर्य, प्रश्न, अनिच्छा, आज्ञा आदि का भाव व्यक्त होता है, जैसे हिन्दी, अंगेजी आदिद्ध

राम आ गया।

राम आ गया!

राम आ गया?

पहला वाक्य अपने विशेष अनुतान के कारण सामान्य कथन है, दूसरे वाक्य मे विशेष अनुतान से द्वारा आश्चर्य व्यक्ति किया गया है तथा तीसरा वाक्य प्रश्नावाचक है।

दीर्घता–दो समान व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन को दीर्घ या द्वित्व व्यंजन कहते हैं तथा इस प्रवृति को दीर्घता कहा जाता है। हिन्दी में दीर्घता स्वनिमिक हैं, उदाहरण के लिए, 'बला–बल्ला, पका–पक्का, बचा–बच्चा।

यहां पहले उदाहरण में 'बला' का अर्थ है–संकट, आपदा, जबकि 'बल्ला' का अर्थ है–कुछ श्वेतों में प्रयुक्त. होने वाला उपकरण। इसी प्रकार 'पका' का अर्थ है ;भोजन फल आदि काद्ध पकना तथा 'पक्का' का अर्थ है मजबूत 'बचा' का अर्थ है–संकट से बचना तथा 'बच्चा' का अर्थ है–बालक।

अनुनासिकता–स्वर को नातिक बनाने से भी अर्थ में भेद हो जाता है, जैसेः सास–सांस, सवार–संवार तथा गोद–गोद।

संगम संहिता–शब्दों के उच्चारण में हम एक के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण कहते हैं। कभी भी हम एक के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण कहते है तो हम एक के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण बिना रुके कर देते हैं। ;जैसे तुम्हारेद्ध और कभी बीच में थोड़ा अवकाश या मौन देकर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ;जैसे तुम + हारेद्ध। दो ध्वनियों के बीच के इसी विराम, मौन या अवकाश को संहिता कहते हैं। हिन्दी में संहिता स्वनिमिक या सार्थक हैं।

अतः स्पष्ट है कि खंडेतर ध्वनियां भाषा में स्वतंत्रा रूप से उच्चरित नहीं हो सकती। प्रायः खंडेतर ध्वनियां शब्दों में अक्षरों का आश्रय लेकर उच्चरित होती हैं अतः खडेत्तर ध्वनियों के अध्ययन के पूर्व 'अक्षर' से हमारा क्या तात्पर्य है यह समझना आवश्यक है। 'अक्षर' एक अथवा एक से अधिक ध्वनियों की उस इकाई का नाम है जिसका उच्चारण एक झटके में फेफड़ों के एक बार फूलने तथा सिकुड़ने के बाद मुख तक आई वायु से या एक वृत स्पद द्वारा किया जाता

3.5 हिन्दी शब्द रचना–उपसर्ग, प्रत्यय, समास

विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन भाषा है। हम जब कभी कोई बातचीत करते हैं या लिखते लिखते हैं तो किसी न किसी भाषा का सहारा लेते है। भाषाई अभिष्यति के भूल में शब्द' होते हैं। क्योंकि शब्द ही बातचीत या वाथ्य में आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों वस्तुओं, गुणों, क्रियाओं आदि को प्रकट करते हैं और वाक्य बनाते हैं। अतः भाषा में शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है।

शब्द के भेद कई आधारों पर किए जा सकते हैं, यथा स्रोत की दृष्टि से ;तत्सन, तद्भव, देशज, विवेशी, संकरद्ध व्युत्पति की दृष्टि से ;रूढ़, यौगिक, योगरूढ़द्ध अर्थ की दृष्टि से ;एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द प्रयोग की दृष्टि से ;विकारी, अविकारीद्ध आदि।

शब्द भाषा की स्वतंत्रा एवं सार्थक इकाई होते हैं। स्वतंत्रा इकाई होने के कारण ही शब्दों को कोश में स्थान दिया जाता है। भाषा में जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं लेकिन वाक्यों में प्रयुक्त होने से पूर्व शब्द को 'पद' बनाया जाता है। पद बनाने के लिए शब्दों में कुछ प्रत्यय जोडे जाते हैं। बिना प्रत्थय लगे शब्द पद नहीं बन सकते। भाषा में शब्दों का इसलिए भी महत्व होता है कि शब्दों से भाषा में नए–नए शब्द भी बनाए जाते हैं।

शब्द भाषा की एक स्वतंत्रा इकाई है। इस दृष्टि से लड़का, घोड़ा, किताब, दूध, दूधवाला, ईमानदार, बचपन आदि सभी शब्द हैं। क्योंकि ये सभी हिन्दी में स्वतंत्रा रूप से प्रयुक्त किए जाते है। यहां यह ध्यान रखना होगा कि भाषा में कुछ ऐसी ईकाइयां भी होती हैं जो सार्थक ही होती हैं, परन्तु स्वतंत्रा नहीं। जैसे–'दूधवाला' शब्द का 'वाला' ईमानदार शब्द का 'वार' या 'बचपन' शब्द का 'पन'। इन ईकाइयों को इसलिए शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये भाषा में स्वतंत्रा रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकती।

शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। हम जानते हैं कि शब्द का निर्माण कुछ ध्वनि वर्णों के आधार पर होता है। , जैसे–'कलम' शब्द में 'क' 'ल' तथा 'म' वर्ण एक निश्चित क्रम में आकर इस शब्द का निर्माण करते हैं। ध्वनि वर्णों से घने ये शब्द एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं।

अतः हम जान चुके हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्रा इकाइयां हैं। लेकिन हम स्वतंत्रा शब्दों को एक–एक करके एक स्थान पर रख देने से भाषा के वाक्य नहीं बनते। वाक्त्रों में शब्दों को प्रमुक्त करने से पहले उनको पद बनाया जाता है तभी, वे वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 'लड़का डंडा कुत्ता मारा' शब्दों का एक साथ यथावत रुप में रखकर बोलते हैं तो वह सार्थक वाक्य नहीं मंत जाएगा। सार्थक वाक्य तो होगा–'लड़के ने कुते को से नारा'। अर्थात आपको 'लड़का' शब्द को 'लड़के' कुत्ता को 'कुत्ते' तथा डंडा को 'डंडे' के रूप में 'ए' प्रत्यय लगाकर बदला होगा। यह परिवर्तन परसर्ग 'ने', 'को' 'से' आदि लगने से होगा। इस वाक्य में प्रयुक्त 'लड़के' 'कुत्ते' तथा 'डंडे' रूप ही पद हैं। अतः शब्द और पद में केवल यही अंतर होता है कि यदि शब्द एक स्वतंत्रा इकाई है तो पद शब्द का वह रूप है जिसे प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया गया है। इसीलिए पदों को शब्द रूप भी कहा जाता है। शब्द के वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्द रूप ही पद कहे जाते हैं।

रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं–रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले जैसे–भवन ;भ व नद्ध उन्हें रुढ़ि कहते हैं यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हों और टुकड़े कर देने पर प्रत्येक खण्ड का अर्थ निकले जैसे–विद्यालय ;विद्या + आलयद्ध। योगरुदि वे शब्द होते हैं जो यौगिकों की भांति दो शब्दों के मेल से बने हों, परन्तु किसी विशिष्ट अर्थ के रूप में रूढ़ हो गए हों, जैसे पीताम्बर ;पीत–अस्बरद्ध, पीत–पीला, अम्बर–वस्त्रा, परन्तु 'पीताम्बर' शब्द कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है।

वास्तव में यौगिक और योगरूढ़ दोनों ही रचना की दृष्टि से समान हैं, दोनों ही दो या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनते हैं। रूढ़ शब्द एक अभिवाज्य इकाई होते हैं अर्थात उनके खंडों का सार्थक विभाजन संभव नहीं। जैसे वेस, रोटी, पुस्तक, कलज, बेज, में, बड़ा आदि। अतः शब्द रचना की दृष्टि से केवल यौगिक शब्दों पर विचार किया जा सकता है। यौगिक शब्द चार तरह से बनते हैं–

1. उपसर्ग के योग से
2. प्रत्यय के योग से
3. सन्धि के योग से
4. समास से

यहां पर हम उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के योग से बनने वाले शब्दों की रचना पर विचार करेंगे।

3.6 हिन्दी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय

उपसर्ग

शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व जो शब्दांश जोड़ जाते हैं वे 'उपसर्ग' कहलाते हैं। जैसे–प्र परा, अप, सन आदि। उपसर्गो का स्वतंत्रा रूप से प्रयोग नहीं होता, वे किसी न किसी शब्द के साथ ही आते हैं और उसके अर्थ में प्रायः परिवर्तन भी करते हैं। उदाहरण के लिए 'बल' शब्द के पहले 'प' उपसर्ग लगाने से 'प्रबल' वाब्द बनता है। जिसका अर्थ हो जाता है–अधिक बलवान। पुनः यदि 'प्र'

की जगह 'निर' उपसर्ग लगा दिया जाये तो 'निर्बल' शब्द बनता है जिसका अर्थ है—कमजोर। ये दोनों अर्थ 'बल' शब्द के अर्थ से अलग हैं।

संस्कृत, हिन्दी और अरबी फारसी तथ अंग्रेजी के उपसर्गो और उनसे बनने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और प्रयोग

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अति	अध्कि	अतिशय, अत्यंत, अत्यानंद
अधि	अध्कि बड़ा	अध्कार, अध्राज, अध्मान
अनु	छोटा, पीछे	अमुदेश, अनुशासन, अनुभाग, अनुसरण, अनुज
अप	बुरा, ही	अपयश, अपमान, अपहरण, अपराध, अपकार
अभि	अध्किता	अभिमान, अभिशाप, अभिवान, अभिषेक
अब	अनादर, हीनता	अवज्ञा, असमान, अवगुण, अवशेष
अत	तक, से लेकर	आजीवन, आगमन, आजतव, आरक्षण, आरक्स
उत्—उद	उत्कर्ष, ऊपर	उन्नति, उत्थान, उत्साह, उद्घोष, उद्गम
उप	निकट, सदृश, गौण	उपवन, उपहार, उपसंहार, उपनगर, उपकार, दूर
दुरा	कठिन, बुरा	दुर्गम, दुर्घटना, दुर्वशा, दुराचार,
नि	अभाव, निश्चित	निपात, नियोग, निकास, निषेध,
निर, सि	निषेध	निर्भय, निश्चल, निरपराध, निर्जीव, निर्बल
परा	उल्टा, पीछे	पराजय, पराक्रम, पराभव, पराधीन
परि	अतिशय, चारों ओर	परिशीलन, परिगमन, परिणाम, परिक्रमा, परिजन
प्रति	प्रत्येक एक—एक	प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा
वि	अभाव, विरोध	वियोग, विलोग, विदेश, विस्मरण, विज्ञान

तन्	सुंदर, अच्छी तरह	संतोष, संन्यास, संरक्षण, सम्मुख, सम्मलेन
सु	सुंदर, अच्छा	सुपुत्रा, सुबोध, सुलभ, स्वाग, सुकर्म, सुदूर

हिन्दी की उपसर्ग, उनके अर्थ और प्रयोग

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ	अभाव	अछूता, अचत, अयाह
अन	अभाव या निषेध	अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल
अध	आध	अधजला, अधयका, अधखिला, अधमरा
उन	एक कम	उन्नीस, उनचास, उनहत्तर
ओ	हीनता	ओगुण, ओघट, ओखर, औघट
दु	दुरा, हीन	दुकाल, दुबला, दुसाध
नि	निषेध	निकम्मा, निडर, निगोड़ा, निडरंभा
बिन	अभाव, निषेध	बिनजान, बिनब्याहा, बिनत्याया
कु, क	बुरा	कुकर्म, कपूत, कुपुत्रा, कुरुप
भर	पूरा	भरतक, भरपूर, भरपेट
सु. स.	श्रेष्ठ	सुडौल, सुपड़, सुजानः सपूत

अरबी–फारसी के उपसर्ग, उनके अर्थ और प्रयोग

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अल्	यह कि	अलबता, अलमस्ल
ऐन	ठीक	ऐनमौका
ला	बिना	लाजबाज, लापरवाह, लावारिस
फी	प्रत्येक	फीमर्द, फीसदी
बिल	साथ, खाम	बिल्कुल, बिलफर्ज
गैर	निषध, विरोध	गैरकानूनी, गैरसरकारी, गैरहाजिरी

कम	थोड़ा, हीन	कमजोर, कमसिन, कम्बख्त
आ	साथ	आगाह, आवारा
खुश	अच्छा, अच्छी	खुशबू, खुशदिल, खुशहाल, खुशकिस्मत
ना	नहीं	नाउम्मीद नाचीज, नामुकिन, नायाब
ब	और, साथ में	बनाम, बदौलत, बदस्तूर
बद	बुरा	बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदबू, बदसूरत
बे	अभाव, बिना	बेचैन, बेईमान, बेपरवाह, बेदाग, बेरहम
नेक	अच्छा	नेकमान, नेकनीयत
सर	मुख्य	सरदार, सरताज, सरकार, सरपंच
हर	प्रत्येक	हररोज, हरदिन, हरेक, हरघड़ी, हरहाल

अंग्रेजी के उपसर्ग, उनके अर्थ और प्रयोग

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
डबल	दुहरा, दुगुना	डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल रोटी
डिप्टी	उप	डिप्टी कमिशनर, डिप्टी साहिब
फुल	पूरा	फुल स्वेटर, फुल जूता
सब	अवर	सब रजिस्ट्रार
हैड	मुख्य	हेड कर्ल्क, हैड खंजाची, हैड मास्टर

प्रत्यय

जो शब्दांश शब्दों के अन्त में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे–बुढ़ापा, लड़कपन, कठोरता, बलहीन में 'पा' 'पन' 'ता' 'हीन' प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं कृदंत और तद्धित क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को 'कृत' प्रत्यय कहा जाता है और उसके मेल से बने शब्द 'कुदंत' कहलाते हैं। 'कृत' प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे हिन्दी में लिख से लिखाई, लिखावट अथवा संस्कृत में पठ् से पाठ, पठन पाठन इसी प्रकार धातु के भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों का तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। ये प्रत्यय संस्कृत हिन्दी, अरबी फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इनसे सजाएं और

विशेषण बनते हैं। अब हम संस्कृत हिन्दी तथा अरबी फारसी के कृदंत तथा तद्धित प्रत्ययों से शब्द रचना करेंगे।

क. संस्कृत के कृदंत प्रत्यय

प्रत्यय	धतु	भाववाचक संज्ञाएं
अ	भिव ;टूटनाद्ध	भेद
अन	सह, रक्ष	सहन, रक्षण
अना	विद, सूच	वेदना, सूचना
ति	भतु, स्था	भक्ति, स्थिति

विशेषण बनाने वाले

प्रत्यय	धतु	विशेषण
नाम	सेव, यज, वृत	सेव्यमान, यजमान, वर्तमान
त	भू, तप, ट्ट	भूत, तप्त, ट्टत
न	ली, छिद, खिद	लीन, छिन्न, खिन्न
ण	जृ, शृ, प्रकृ	जीर्ण, शीर्ण, प्रकीर्ण
अनीय	स्मृ, कृ, दृश	स्मरणीय, करणीम, दर्शनीय
य	दा, पा, युज	देय, पेय, योग्य

ख. संस्कृत के तद्धित प्रत्यय

जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं–

तद्धित	प्रत्यय	जातिवाचक संख्या	भाववाचक संज्ञा
ता	मित्रा,	शत्रु, धीर	मित्राता, शत्रुता, धीरता
त्व	प्रभु	पशु, वीर	प्रभुत्व, पशुत्व, वीरत्व
अ	मुनि,	गुण, कुशल, पुरुष	मौन, मौण, कौशल, पौरूष

विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं।

तद्धित प्रत्यय	विशेषण	भाववाचक संज्ञाए

ता	मूर्ख, लघु, वीर	मूर्खता, लघुता, वीरता
त्व	वीर, एक, गुरु	वीरत्व, एकत्व, गुरुत्व
अ	गुरु, लघु, मृदु	गौरव, लाघव, मार्दव

ग. हिन्दी के कृदंत प्रत्यय

कृदंत प्रत्यय	**धतु**	**भाववाचक कृदंतीय संज्ञाए**
अ	लूट, जांच, देखभाल	लूट, जांच, देखभाल
अंत	गढ़, जड़, भिड़	गढ़त, जड़ंत, भिड़ंत
आ	घेर, छाय, जोड़	घेरा, छाया, जोड़ा
आई	लड., सुन, जुत	लड़ाई, सुनाई, जुताई
आन	लग, चढ़	लगान, चढ़ान
आप	मिल	मिलाप
आव	चढ़, वह, फैल	चढ़ाव, बहाव, फैलाव
आवट	लिख्, दिख्, दिल्	लिखावट, दिखावट, मिलावट
ई	बोल, हंस, कह–सुन	बोली, हंसी, कही–सुनी
कृदंत प्रत्यय	**धतु**	**कारणवाचक कृदंतीय संज्ञाए**
आ	घेर, ठेल	घेरा, ठेला
ई	रेत्	रेती
ओटी	कस्	कसौटी
ना	बेल, गा	बेलना, गाना
नी	घट, संघ	चटनी, सुधनी

घ. हिन्दी के तदित प्रत्यय

भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले

प्रत्यय	संज्ञा विशेषण	भाववाचक संज्ञाए
आई	आई भला, चतुर, पंडित	भलाई, चतुराई, पंडिताई
ई	खेत	खेती
ओती	बूढ़ा, काठ	बुढ़ौती, कठौती
त	रंग	रंगत
नी	चांद, नभ	चांदनी, नथनी
पा	बूढ़ा	बूढ़पा
वट	लेख	लिखावट
स	मिठा, खट्टा	मिठास, खटास
हट	कड़वा	कड़वाहट

संबन्धवाचक संज्ञाए बनाने वाले

प्रत्यय	संज्ञा	संबन्ध्वाचक संज्ञाए
आल	ससुर	ससुराल
हाल	नानी	ननिहाल
एरा	चाचा, मामा, फूफा	चचेरा, ममेरा, फुफेरा

कृर्तवाचक संज्ञाएं बनाने वाले–

प्रत्यय	संज्ञा विशेषण	कृर्तवाचक संज्ञाए
आर	चाम, लोहा, सोना	चमार, लोहार, सोनार
इया	रसोई, मुख, दुखी	रसाईया, मुखिया, दुखिया
वाल	गया, जायस	गयावयाल, जायसवाल
हारा	चुड़ी, लकड़ी	चूड़ीहारा, लकड़हारा

विशेषण बनाने वाले–

प्रत्यय	संज्ञा	विशेषण
आ	प्यार, प्यास	प्यारा, प्यासा
आऊ	पंडित	पंडिताऊ
ई	बिहार	बिहारी
ऊ	बाजार	बाजारू
एरा	चाचा	चचेरा
एल्	घर	घरेलू
ला	पहल	पहला
वा	बीस, तीस	बीसवा, तीसवां

उ. अरबी–फारसी के तद्भि प्रत्यय

संज्ञा बनाने वाले–

प्रत्यय	मूल शब्द	सप्रत्यय शब्द
आ	सफेद, चश्म, खराब	सफेदा, चश्मा, खराबा
आब	गुल	गुलाब
आबाद	हैदर	हैदराबाद
इयल	इन्सान, कैफ	इन्यसानियत, कैफियत
खाना	दवा	दवाखाना
गर	बाजी, कलई, जादू	बाजीगर, कलईगर, जादूगर
गार	मदद, खिदमत	मददगार, खिदमतगार

विशेषण बनाने वाले–

प्रत्यय	मूल शब्द	सप्रत्यय शब्द
अंदाज	तीर	तीरन्दाज
आनह	रोज, साल	रोजाना, सालाना

आनी	जिस्म	जिस्मानी
ईंदा	शर्म, कार	शर्मिंन्दा, कारिंदा
खोर	रिश्वत	रिश्वतखोर
ईना	कम, माह	कमीना, महीना
नाक	दर्द	दर्दनाक
वर	नाम	नामवर

3.7 हिन्दी भाषा में समास

दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक स्वतंत्रा शब्द रचना करना 'समास' है, शब्दों के मेल से बने उस शब्द को सामासिक कहते हैं। समास करते समय दो शब्दों के बीच से संबंधपूर्वक परसंगों और पदों का लोप कर दिया जाता है जैसे–जेब में रखने वाली घड़ी, में से 'में रखने 'वाली' का लोप करके 'जेबगड़ी' एक सामासिक शब्द बनाया गया है। 'मां और बाप में 'और' सम्बन्धसूचक पद है। इसका लोप करके 'मां बाप' सामासिक शब्द की रचना हुई।

अर्थ की दृष्टि से सगास के चार भेट बताए जाते हैं। इंड समास, सत्पुरुष समास, अध्ययीभाव समास और बहुबीहि समास।

द्वंद्व समास–'और' या 'अथवा' सम्बन्धबोधक अव्यय के लोप से जुड़ने वाले पद में द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से युग्म शब्द बनते हैं। ऐसे सामासिक शब्द के दोनों खंड अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्रा और प्रधान होते हैं। यथा पाप–पुण्य ;विग्रहः पाप या पुण्यद्ध, लाभालाभ ;लाभ अथवा हानिद्ध, पोड़ा–बहुत ;मोड़ा या बहुतद्ध हाथ पैर ;हाथ और पैरद्ध, ध धर्म ;धर्म और अधर्मद्ध। इसी प्रकार हरिहर ट्टषिमुनि, दाल–भात, दीन–दुखी, दिन–रात, तन–मन–धन, कर्ता–धर्ता, स्त्राी–पुरुष, धर्म–अधर्म, काम–मोक्ष आदि का विग्रह किया जा सकता है।

तत्पुरुष समास–तत्पुरुष समास में पहला पद चाहे वह संज्ञा हो, विशेषण अथवा प्रविशेषण का प्रकार्य करता है अर्थात यह दूसरे पद की विशेषता बताता है। अर्थ की प्रधानता दूसरे पर की ही होती है। जैसे–सेमानायक ;कैसा नायक? सेना का नायकद्ध रसोईघर ;कैसा घर? रसोई के लिए घरद्ध, दानवीर ;कैसा वीर? दान देने में वीरद्ध इत्यादि।

अव्ययीभाव समास–'अव्ययीभाव' का अर्थ है अव्यय हो जाना। जब सामासिक पद अव्यय ;प्रायः क्रियाविशेषणद्ध का. कार्य करता है। तब उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पूर्वपक्ष का अर्थ प्रधान रहता है। क्योंकि वह पूर्वपद क्रियाविशेषण ही होता है जो सारे पद पर हावी हो जाता है। उदाहरणार्थः–

यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीच, आगरण, अजन्म, प्रतिदिन, प्रतिनास, निधड़क, भरपेट आदि। हिन्दी व्याकरणों में द्विशक्ति से बनाने वाले अव्ययों को भी अव्ययीभाव समास के अन्तर्गत गिना जाता है। जैसे घर–घर, घड़ी–घड़ी, बार–बार, साल व साल, हाथों–हाथ, रातों–रात, मन डी मन, पहले–पहल।

बहुबीहि समास–जब सामाजिक पद अपने अध्ययनों से भिन्न धातु का बोध कराता है अर्थात संगास का कोई पद प्रधान नहीं होता अपितु एक तीसरे पद का विशेषण बन जाता है तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में ;कर्मधारय में भीद्ध पहला पद दूसरे पढ का विशेषण होता है। यदि 'नीलाम्बर' का अर्थ नीला वस्त्रा लिया जाए तब यह कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, और यदि इसका अर्थ नीले वस्त्रा वाला करे, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार चतुर्भज चार भुजाओं का समाहार–द्विगु समास, चतुर्भुज चार भुजाएं है जिसकी वह ;विष्णुद्ध–बहुब्रीहि समास। विग्रह कते समय जिसका लोप होता है। इसके आधार पर बहुब्रीहि समास के कई भेद होते हैं–

1. कतृबहुब्रीहि–घनश्याम ;घन की तरह श्याम है जोद्ध
2. कर्मबहुब्रीहि–कलहप्रिय ;कलह प्रिय है जिसकोद्ध
3. करण बहुबीहि–दत्तचित्त ;दिया गया है चित्त जिसके द्वाराद्ध
4. संबंध बहुब्रीहि–पीताम्बर ;पीला है अंबर जिसकाद्ध कमलनयन ;कमल के समान नयन हैं जिसकेद्ध मृगनयनी ;मृग के समान नयन हैं जिसकेद्ध।
5. अधिकरण बहुब्रीहि प्रफुल्लकमल ;फूले हैं कमल जिसके द्ध सतरखंडे ;सात हैं खंड जिसमेंद्ध

3.8 व्यायकरणिक कोटियां

भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। वाक्य में अनेक पद होते है। पद ;शब्दद्ध अर्थगर्भित होते हैं। प्रयुक्त पदों का विशलेषण व्याकरण और कोश के आधार पर किया जाता है। कोशार्थ से वस्तु या वस्तु के भाव का बोध होता है। जैसे. कमल शब्द का अर्थ एक पुष्प–विशेष होगा। व्याकरण से पद की आकृति तथा रचना तत्व के योग से शब्द के स्वरूप और अर्थ का विश्लेषण होता है। हैलिड का यह कथन ठीक नहीं है कि शब्द की आकृति का अध्ययन व्याकरण से और अर्थ का अध्ययन कोश से किया जाता है।

व्याकरणिक कोटियों से तात्पर्य व्याकरणिक मौलिक धाराओं से हैं। व्याकरण शास्त्रा में, नाम, आख्यात, उपसकर्ग, निपात के अतिरिक्त जाति, व्यक्ति समानाधिकरण, समवाय, गुण, द्रव्य, सम्बन्ध आदि भी व्याकरण की धारणा के अन्तर्गत परिगणित हैं।

वान्दियैज के अनुसार 'सम्बन्ध तत्वों द्वारा अभिव्यक्त भावों को व्याकरणात्मक धाराओं ;रोमेटिकल कैटेगरीद्ध की संज्ञा दी जाती है। उनके मत से लिंग, वचन, पुरण, काल, वृति, प्रश्न व निषेध, अन्योन्याश्रय, सम्बन्ध, सादर्ग्य, करणद आदि भाषा की व्याकरणिक धारणाएं हैं। इनमें कुछ सम्बन्ध तत्व भावों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। इससे यह निश्चय होता है कि भाषा की अभिव्यंजना में सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना ही व्याकरणिक कोटियों का मुख्य कार्य है। तात्पर्य कि सम्बन्ध तत्वों के संयोग से नाम और आख्यात के लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वृत्ति आदि का बोध व्याकरणिक कोटियों से होता है।

व्याकरणिक कोटियों के सम्बन्ध में यह जान लेना।तम है कि प्रत्येक भाषा की रचना–प(ति अलग होती है। इसलिए प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियां अलग–अलग होती हैं। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियां उस भाषा की संरचना के अनुसार निर्मित होती है। भाषा के विकास के साथ ही व्याकरणिक कोटियों में भी परिवर्तन होता है। संस्कृत से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, देशी भाषाओं और फिर हिन्दी का विकास हुआ है। इस विकास क्रम वें व्याकरणिक धारणाएं भी बदल गयी। संस्कृत में तीन लिंग ये हिन्दी में दो ही रह गये। संस्कृत में तीन वचन हैं। हिन्दी में द्विवचन तिरोहित हो गया।

संस्कृत में काल की अपेक्षा वृति की प्रधानता थी। हिन्दी में वृति की धारणा समाप्त हो गयी है। इस प्रकार संस्कृत भाषा की व्याकरणिक धारणाएं हिन्दी में परिवर्तित हो गयी जब भाषा ही बदल गयी तो भाषा के व्याकरण की कोटि भी बदल गयी।

प्रत्येक भाषा का स्वतंत्रा अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है। इसलिए व्याकरणिक कोटियां भी स्वतंत्रा और पृथक अस्तित्व की होती हैं। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियां भिन्न होती हैं। सम्बन्ध तत्व के आधार पर कोटियों का निर्धारण होता है। फिर भी कुछ सामान्य व्याकरणिक कोटियां सभी भाषाओं में पाई जाती हैं। जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति। इन पर ही यहां विचार किया जाएमा।

3.8.1 लिंग ;ळमदकमतद्ध

लिंग का शब्दिक अर्थ चिन्ह है। जिससे वस्तु को पहचाना जाए, वह चिन्ह है। नाम या संज्ञा की पहचान लिंग–विधन से होती है। लिंग दो प्रकार के बताये गये है प्राकृतिक और व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्त्राी स्तर केशवती होती है और पुरुष लोमेश जहां इन दोनों का अभाव हो वहां नपुंसक लिंग होता है–'स्तन केशवती स्त्राी लोमशः पुरुष स्मृतः। उभयोरन्तरं यच् तदभावे नपुंसकन्। जैसे माता–पिता, पुत्रा–पुत्राी, घोड़ा घोड़ी, सर्प–सर्पिणी आदि। अर्थात पुरूष चिन्ह वाली वस्तु पुलिंग और स्त्राी चिन्ह वाली वस्तु स्त्रीलिंग होती है। कोई चिन्ह नहीं रहने पर नपुंसक लिंग का विधन हुआ।

प्राकृतिक लिंग की अभिव्यक्ति के लिए कोई पर रचनात्मक विधि नहीं थी। इसीलिए व्याकरणिक लिंग की विधि प्रकाश में आई। अर्थात प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करके भाषिक या व्याकरणिक नियमों की स्थापना की गई। प्राकृतिक लिंग को अमान्य कर भाषा या व्याकरण के आधार पर लिंग निर्धारण व्याकरणिक लिंग है। भाषा में लिंग निर्धारण का आधार शास्त्राीय या व्याकरणिक लिंग हैं। प्राकृतिक लिंग नहीं तात्पर्य कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व और नपुसकत्व की स्वाभाविक पहचान के आधार पर ही लिंग का निर्णय नहीं किया जाता, बल्कि शास्त्राीय या व्याकरणिक आधार पर किया जाता है।

अतः साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुषत्व का बोध होता हो उन्हें पुलिंग कहते हैं, जैसे–बालक, पेड़, पर्वत। जिन शब्दों से स्त्रीत्व का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे–बालिका; लता, नदी। संस्कृत में लिंग के तीन प्रकार माने गये हैं–पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिन्दी में दो ही प्रकार माने गये हैं–पुलिंग और स्त्रीलिंग। यहां पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे है। पुलिंग अनार, अनाज, अखरोट, आलू, आचरण, अंगूर, औजार, इलाज, चन्द्रमा, चाकू, दर्पण, दिन, बीज, भवन, भाग्य, भेड़िया, मोती, यज्ञ, पान, रक्त, स्वर्ग, हंस, हवन आदि। स्त्रीलिंग अदालत, उपासना, इच्छा, गणना, गुफा, गुठिया, डिबिया, ढोलकी, बूंद, प्रतीक्षा, मिर्च, मेहनत, योजना, रक्षा, लज्जा, संतान, सरसों, डेर, हलचल, हिंसा आदि। हिन्दी में लिंग परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है।

1. अकारांत और आकारंत पुलिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे–

	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
अ, आ झ ई	देव	देवी	लड़का	लड़की
	नद्	नदी	रस्सा	रस्सी

	बेटा	बेटी	दादा	दादी
	घोड़ा	घोड़ी	साला	साली

2. कुछ शब्दों के 'अकारांत' और 'आकारांत' पुलिंग शब्दों–के 'अ' और 'आ' के स्थान पर 'इया' प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे–

	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
अ, आ झ इया	बंदर	बंदरिया	बूढ़ा	बूढ़िया
	कुत्ता	कुत्तिया	लोटा	लुटिया

3. व्यवसाय बोधन पुलिंग शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप करके उनमें कहीं 'इन' और कहीं 'आइन' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाये जाते हैं, जैसे–

	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
अ, झ इन	सुनार	सुनारिन	लुहार	लुहारिन
ई झ इन	माली	मालिन	धेबी	धेबिन
अ झ आइन	ठाकुर	ठकुराईन		
ई झ आईन	हलवाई	हलवाईन		

4. कुछ उपमानवाची पुलिंग ऐसे भी हैं जिनमें 'आमी' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है जैसेः–

	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
अ, झ आनी	जेठ	जेठानी	देवर	देवरानी
	सेठ	सेठानी	नौकर	नौकरानी
ई झ आनी	चौधरी	चौधरानी	खत्री	खत्रानी

.5. पशु–पक्षी वाचक अकारान्त पुलिंग शब्दों से 'नी' लगाकर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है जैसेः–

अ झ अनी	सिंह	सिंहनी	ऊंट	ऊंटनी
	शेर	शेरनी	मोर	मोरनी

6. जिन पुलिंग शब्दों के अंत में जान और नाम हो, उनमें 'वान' के स्थान 'वती' और 'मान' पर 'मती' हो जाता है जैसे–

ज्ञानवान–ज्ञानवती, बु(िमान–बु(िमती, धनवान–धनवती, बलवान–बलवती, श्रीमान–श्रीमती

7. जिन पुलिंग शब्दों के अंत में 'अंक' होता है उनमें 'अक' के स्थान पर 'इका' लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे–

अक झ इका	गायक	गायिका	पाठक	पाठिका
	सेवक	सेविका	नायक	नायिका
	बालक	बालिका	अध्यापक	अध्यापिका

स्त्रीलिंग से पुलिंग–

कुछ स्त्रीलिंग शब्दों से भी पुलिंग शब्द बनते हैं, जैसे–

भेड़	भेड़ा	बहन	बहनोई
भैंस	भैंसा	ननद	ननदोई
जीजी	जीजा	मौसी	मोसा

3.8.2 वचन

वचन का आधार संख्या का विभेद हैं संख्या अनन्त है। फिर भी भाषिक संरचना में एक और अनेक का भेद मान्य हुआ। अर्थात वस्तु की संख्या के एकक और बहुत्व के आधार पर वचन का निर्धारिण किया गया। इसलिए व्याकरण में एकत्व और बहुत्व के अनुसार एकवचन और बहुवचन का निर्धारण किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे 'वचन' कहते हैं, हिन्दी में वचन दो प्रकार के होते हैं–एकवचन और बहुवचन

एकवचन–शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसके एकवचन कहते हैं। जैसे–घोड़ा, चिड़िया, नदी, पेन, लड़की आदि। बहुवचन–शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं जैसे–पुस्तकें, कुत्ते, घोड़े, लड़कियां, नदियां आदि।

हिन्दी में एक के लिए एकवचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इस सामान्य नियन के अतिरिक्त वचन के सम्बन्ध में कुछ अन्य नियम भी ध्यान देने योग्य हैं। जो इस प्रकार हैं।

1. बहुवचन की अभिव्यक्ति रूपावली में बहुववचन रूपों द्वारा होती है जैसेः लड़के–लड़कों ने, माताएं–माताओं ने आदि। बहुवचन बनाने की एक विधि वर्ग, वृंद, गण, जन लोग आदि लगाने की है, जैसे–अधिकारी वर्ग, पक्षीवृंद, पाठकगण, स्त्रीजन, सभ्य लोग आदि। परन्तु जिन शब्दों के अंत में जाति सेना या दल शब्द प्रयुक्त होते हैं। उनका प्रयोग एकवचन में होता है यथा ;1द्ध स्त्री जाति संघर्ष में लगी है। ;2द्ध छात्रा सेना श्रमदान में लगी हुई है। ;3द्ध सेवा दल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

2. सम्मान या आवर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे–

1. गुरु जी आ रहे है।
2. युधिष्ठर सत्यवादी थे।

3. श्री रामचन्द्र वीर थे।

4. हजरत मुहम्मद साहब पैगम्बर थे।

5. गांधी जी छूत–छात के विरोधी थे।

6. गुरु जी आज नहीं आए।

इन सभी वाक्यों में यद्यपि एक ही व्यक्ति का वर्णन है, परन्तु आवर प्रदर्शन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं।

3. कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, बाल ;केशद्ध आदि उदाहरणार्थः

1. मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं।

2. उसके बाल घुंघराले हैं।

3. कृपया इस पर किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर लाइए।

4. कुछ शब्द इसके विपरीत सदेव एकवचन में रहते हैं। जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग आदि यथा।

1. इस देश की जनता आजकल मंहगाई से त्रास्त है।

2. सोमवार को बहुत तेज वर्षा हुई थी।

3. आग ने कमला के मकान को चारों तरफ से घेर लिया।

4. हवा कितने जोरों से चल रही है।

5. अंत में. अ, इ, ई, य, उ, ऊ, ए, ओ, और वाले पुलिंग शब्दों के साथ जब कारक चिन्हों ;परसर्गोद्ध का प्रयोग नहीं होता तब उनके एकवचन और बहुवचन के रूप एक से ही रहते हैं। जैसे–

एकवचन	बहुवचन
1. बालक खेलता है।	बालक खेलते हैं।
2. विद्यार्थी शोर मचा रहा है।	विद्यार्थी शोर मंचा रहे हैं।
3. धोबी कपड़े धो रहा है।	धोबी कपड़े धो रहे हैं
4. गेहूं का दाना पड़ा है।	गेहूं के दानें पड़े हैं।
5 चोर भाग गया।	चोर भाग गए।

अब हम वचन बदलने के कुछ नियमों के उदाहरण दे रहे हैं।

1.	'ए' लगाकर	बेटा	बेटे
		लड़का	लड़के, आदि
2.	'इया' लगाकर	नदी	नदियां
		लड़की	लड़कियां आदि
3.	'या' लगाकर	चिड़िया	चिड़ियां आदि।

इसके अतिरिक्त सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक तथा वाथ्य भी रूप निर्माण को प्रभावित करते हैं। इनके विस्तृत वर्णन के लिए सहायक पुस्तकों की सूची में दी गई पुस्तकें पढ़िए।

पुरुष ;च्मतेवदद्ध

पुरुष की धारण का आधार क्रिया है। क्रिया कोम कर रहा है। इसके लिए व्याकरणिक विभाजन किया गया है। क्रिया की धारणा के साथ पुरुष की धारणा भी जुटी हुई है। पुरुष की धारण कथा, श्रोता और अन्य के आधार पर भी की गयी है। वक्ता उत्तम पुरुष होता है और श्रोता मध्यम पुरुष। इनके अतिरिक्त अन्य को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हम उत्तम पुरुष, तू तुम मध्यम पुरुष और वह वे तथा शेष अन्य पुरुष होते है। अंग्रेजी में फर्स्ट, सेकेण्ड, और गर्ड परम चलते हैं।

हिन्दी में पुरुष का प्रभाव वचन, कारक और क्रियां पर स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। उत्तम पुरुष का कर्मकारक में विकारी रूप मुझे मुझको हमें, हमको हो जाता है। मध्य पुरुष में तुझे तुझको, तुमको तथा अन्य पुरुष में उसे, उसको, उन्हें, उनको रूप होता है। इनके अन्य कारकीय रूप मेरा, मेरे, हमारा, हमारे, तेरा, तेरे, तुम्हारा, उसका, उसके तथा उनको उनके आदि हैं।

पुरुष के बहुवचन रूप हम, तुम ये है जिनके रूप कारकीय प्रभाव से विकृत हो जाते हैं। कभी–कभी हम तुम ये में लोग लगाकर बहुवचन बनाते हैं। लोग लगा देने पर हम, तुम और वे के रूप अधिकृत रह जाते हैं उनमें कारकीय प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन से क्रिया भी प्रभावी होती है। वर्तमान काल से मैं के साथ 'हू' सहायक क्रिया जुड़ती है–मैं जाता हूं। इसी प्रकार विधियार्थक क्रियाएं भी पुरुष से प्रभावित होती हैं–मैं जाऊं, तुम जाओ, वह जाए आदि।

3.8.3 कारक ;ब्मद्ध

कारक का अर्थ है करने वाला 'कृ' धातु से कारक शब्द निष्पन्न है। क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारकत्व है। जिसमें कारकत्व हो वह कारक है–'क्रियान्वयित्व कारकत्वं'। भर्तृहरि के अनुसार क्रिया को सि(करने वाले पद रूप को कारक कहते हैं–

गुण भावेन साकांक्षा सत्रा नाम प्रवर्तते।

साध्यत्वेन निमितानि क्रियापदमपेक्षते।' वाक्य पदीय

साधारण अर्थो में हम कह सकते हैं कि संज्ञा जमा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषतः • क्रिया से अपना सम्बन्ध प्रकट करता है, 'कारक' कहा जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाये जाते हैं उन्हें 'विभक्तियों' ;परसर्गद्ध कहते–हैं। जैसे–राम ने खाना त्या लिया है। इस वाक्य में 'राम' से, यह कारक है। और कारक सूचक 'ने' चिन्ह विभक्ति या परसर्ग हैं। कारक के आठ भेद है जिनका वर्णन निम्नलिखित–

	कारक	कारक चिन्ह या परसर्ग
1.	कर्त्ता	ने
2.	कर्म	को
3.	करण	से, के द्वारा, के साथ ;साध्न प्रकट करने के लिएद्ध
4.	सम्प्रदान	के लिए, के हेतु, के निमित
5.	अपादान	से ;पृथकता प्रकट करने के लिएद्ध
6.	सम्बन्ध	का, के, की ;रा, रे, री, ना, ने, नीद्ध

7. अधिकरण में, पर

8. सम्बोधन हे, अरे

1. **कर्ता कारक**–क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कहते हैं अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे 'कर्मा' कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग 'ने' है यह सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल के प्रयोग से लगता है। वर्तमान और भविष्यत् काल में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे–

राम ने पाठ याद किया ;भूतकालद्ध

राम पाठ याद करता है ;वर्तमान कालद्ध

राम पाठ याद करेगा ;भविष्य कालद्ध

2. **कर्म कारक**–जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे 'कर्म' कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति 'को' है। कभी–कभी 'को' का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे– इस पुस्तक को मेज पर रख दो।

नौकर को बुला लो।

हमने खत लिखा।

लेखक कविता लिखता है।

इन वाक्यों में 'पुस्तक को' 'नोकर को', 'खत', और 'कविता' कर्मकारक के प्रयोग हैं। कई वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं–मुख्य और मौण। मुख्य कर्म प्रायः निर्जिव होता है और उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे–

मां बच्चे को दूध पिलाती है।

अध्यापक ने छात्रा को पाठ पढ़ाया

इन वाक्यों में क्रमश 'बच्चे को' और 'दूध', 'छांत्रा को' और 'पाठ'–दो–दो कर्म हैं। पहला गौण, दूसरा मुख्य है।

3. **करण कारक**–जिस साधन से क्रिया हो, उसे 'करण' कारके कहते है। इसका परसर्ग 'से' है। जैसे–राहुल ने पेन्सिल से चित्रा बनाया। इस वाक्य में 'पेन्सिल से' कारण कारक है। करण कारक में 'से' के अतिरिक्त 'के साथ ' 'द्वारा' और 'के द्वारा' परसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे–

राम को उसके भाई की शादी की सूचना पत्रा द्वारा दी गई।

मजदूर ने प्याज के साथ रोटी खाई।

4. **सम्प्रदान कारक**–जिसे कुछ दिया जाये या जिसके लिए कोई कार्य किया जाये, उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को 'सम्प्रदान' कारक कहते हैं। इसमें 'को' 'के लिए' 'के वास्ते' परसर्गो का प्रयोग होता है। जैसे–संजय ब्राह्मण को दान देता है। इस वाक्य में 'ब्राह्मण को' सम्प्रदान कारक है।

5. **अपादान कारक**–संज्ञा या सर्वनान के जिस रूप से अलग होने, निकलने, उरमे, सीखने, लज्जाने अथवा तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे–

हिमालय से गंगा निकलती है।

वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।

6. सम्बन्ध कारक–संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से सम्बन्ध प्रकट हो, वहां 'सम्बन्ध' कारक होता है। 'का' 'के' 'की' इसके परसर्ग हैं। जैसे–

इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है।

सौरव का भाई वैभव आ रहा है।

नरगिस की पुस्तक मेरे पास है।

इन वाक्यों में 'फूलों का', 'सौरव का', 'मरगिस की' सम्बन्ध कारक है। सम्बन्ध कारक की एक विशेषता यह है कि उसके साथ रहने वाला परसर्ग सम्ब(संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। उदाहरण के लिए

लड़के के पैर में चोट आई।

लड़के का सिर दुख रहा है।

यहां पैर, सिर के अनुसार के, का परसर्ग का प्रयोग हुआ है।

7. अधिकरण कारक–अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति या पदार्थ के आधार का बोध हो, उसे 'अधिकरण कारक' कहते है। इस कारक में 'में', 'पर' के 'ऊपर' परसर्गो का प्रयोग होता है जैसे–

कार में कपड़े रखे हैं।

छत पर क्यों कूदते हो।

इन वाक्यों में 'कार में', 'छत पर' अधिकरण कारक के प्रयोग हैं। इस कारक में इनके अतिरिक्त 'भीतर', 'अंदर', 'ऊपर', 'बीच', 'मध्य', का भी प्रयोग होता है। इन परसर्गो के पूर्व 'के' का प्रयोग आवश्यक है।

8. सम्बोधन कारक–संज्ञा के जिस रूप में से किसी को पुकारा जाये उसे 'सम्बोधन' कारक कहते हैं। इससे शब्द के पूर्व। 'रे', 'हे', 'रे', 'अरे', 'जी', 'अजी', का प्रयोग होता है। जैसे–

हे ईश्वर! मुझे प्रीति–वियोग सहने की शक्ति प्रदान कीजिए।

अरे बेटा ! तुम कहां चले गए थे।

अजी भाई साहब! बात सुनना।

उपरोक्त वाक्यों में 'हे ईश्वर!– 'अरे बेटा!' 'अजी भाई साहिब।' आदि सम्बोधन कारक हैं।

3.9 हिन्दी में काल ;ज्मदेमद्ध

क्रिया का विशेषण काल कहलाता है 'कालस्तुव्यापारे विशेषणम्।' काल के द्वारा क्रिया की दशा की अभिव्यक्ति होती है। क्रिया की दशा से यहां तात्पर्य काल प्रस्तार ;क्नतंजपवदद्ध से है। 'प्रन्सीसी काल ;टेन्सद्ध उस क्षण की अभिव्यक्ति करते हैं, जबकि कोई कार्य सम्पन्न हुआ, वा सम्पन्न हो रहा है या सम्पन्न होगा। वान्द्रियैज का कहना है कि 'भारत यूरोपीय में काल की अपेक्षा काल प्रस्तार का संकेत अधिक होता था।'

'काल' की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि 'काल क्रिया का वह रूप है, जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का ज्ञान होता हैं। 'अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसके काल कहते हैं। क्रिया या तो वर्तमान काल में होती है या भूतकाल में या भविष्यकाल में। हिन्दी में क्रिया की तीन काल दशाएं मानी गई हैं–भूत, वर्तमान और भविष्यत्। अतः काल के तीन मुख्य भेद है।

1. वर्तमान काल
2. भूतकाल और
3. भविष्यत काल

1. वर्तमान काल–वर्तमान काल से चलते हुए समय का बोध होता है। इसमें क्रिया शुरू हो चुकी रहती है पर समाप्त नहीं होती। जैसे–1. रमेश जाता है। 2. सोहन पुस्तक पढ़ता है। वर्तमान काल की क्रियाओं के अंत में 'है', 'हू', 'हो' रहते हैं जब पहले नहीं, अर्थात निषेधात्मक' पद लग जाता है। तब प्रायः है हूँ, हो का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। जैसे वह खाना खाता है। वह खाना नहीं खाता। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

सामान्य वर्तमान–क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का पाद समय में होना पाया जाए, जगाम्य वर्तमान कहलाता है, जैसे–

1. रमेश और संजय दौड़ते हैं।
2. यह वृक्ष हैं।
3. वहां मोटरें हैं।

अपूर्ण वर्तमान–क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान फाल में सतत होने रहने का बोध होता हो और कार्य अभी पूर्ण न हुआ हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जैसे–

1. सीता जा रही है।
2. आप लोग आ रहे हैं।
3. सुमन खेल रही है।
4. मैं जा रहा हूं।

अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत 'रहा है।' 'रहे हैं', 'रहे हो' होते हैं अर्पूण वर्तमान को तत्कालिक वर्तमान भी कहते है।

पूर्ण वर्तमान–क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान कहते है। जैसे–

1. राम ने रोटी खाई।
2. रमेश ने कई ग्रंथ पढ़े हैं।

पूर्ण वर्तमान में हैं, हैं, हू, हो से पहले मुख्य क्रिया का भूतकालिक रहता है।

संदिग्ध वर्तमान–क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काला में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जैसे–

1. मोहन सम्भवतः आता हो।

2. शायद पुष्पा पढ़ रही थी।

संभाव्य वर्तमान–क्रिया के जिन रूपों से वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य वर्तनाम काल कहते हैं, जैसे–राम लौटा हो तो, वह जाता हो तो। संभाव्य वर्तनाम में क्रिया के साथ 'हो तो' का प्रयोग किया जाता है।

2. भूतकाल–क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय से कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं जैसे–1 राम ने पुस्तक पढ़ी। 2. सीता खेलती थी। 3. संजय घर पर जा रहा था। 4. उसने पत्रा लिखा होगा। 5. वह पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता। भूतकाल के छः भेद हैं।

सामान्य भूतकाल–क्रिया के जिस रूप से भूतकाल

सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते है, जैसे–

1. राम ने पुस्तक पढ़ी।

2. संजय आया तो मनोज गया।

इन क्रियाओं से भूतकाल की विशेष अवस्था का बोध नहीं होता।

पूर्ण भूतकालः क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के पूर्ण हो जाने का स्पष्ट बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं जैसे–

1. राम ने रावण को मारा था।

2. श्यामा दिल्ली गई थी।

3. मोहन और कृष्ण आये थे।

अपूर्ण भूतकाल–क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई परन्तु पूरी नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे–

1. तानसेन गीत गा रहा था।

2. नूरजहां सो रही थी।

3. मैं स्कूल जा रहा था।

तात्कालिक अपया अभ्यासार्थक भूतकाल–क्रिया के 'ता' 'था' वाले रूप से तात्कालिक अथवा अभ्यासार्थक रूप का बोध होता है। जैसे जब वह घर जाता था तब छन उससे मिल लेते थे।

संदिग्ध भूतकाल–क्रिया के जिस रूप से यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, जैसे–

1. वह स्कूल गया होगा।

2. राम ने पुस्तक पढ़ी होगी।

हेतुहेतुमद्भूत काल–क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतुहेतमदभूत काल कहते हैं, जैसे :–

1. वह पढती तो पास हो जाती।

2. यदि वे होशियार रहते तो ठगे न जाते।

यहां दोनों क्रियाओ में कार्य करण सम्बन्ध होता है, जिसमे पहली क्रिया कारण होती है और दूसरी क्रिया कार्य। ऊपर के उदाहरण में पहली क्रिया 'पढ़ती' कारण है और दूसरी क्रिया 'पास हो जाती' कार्य है।

3. भविष्यत् काल–क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्यत् काल कहते हैं, जैसे–

1. सरोज गीत गाएगी।

2. शायद राम कल आए।

भविषयत काल के दो भेद हैं–

सामान्य भविष्यत्–क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्यत भविष्य में होगा, तो उसे सामान्य भविष्यत् कहते हैं जैसे–

1. राम पढ़ेगा।

2. लूसी जायेगी।

3. वे लोग खेलेंगे।

क्रिया के अंत में गा, गी, ये लगे रहते हैं।

संभाव्य भविष्यत्–क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत् काल की क्रिया कहते हैं, जैसे शायद, राम कल घर जाये।

3.10.1 संज्ञा

किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे मनुष्य, शेर, चिड़िया, गाय, गांधी, राजेश, विकास, गायत्री, गुजरात, मण्डी, मंसूरी, कुल्लू, बचपन, प्रेम, गुस्सा, बनावट, योग्यता आदि।

संज्ञा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें:

राम आज मेरठ से दिल्ली जा रहा है।

गाय एक पालतु पशु है।

बुजुर्गो का सम्मान करना चाहिए।

बचपन में नीलम की सुन्दरता देखते ही बनती थी।

उपरोक्त वाक्यों में मोटे शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि राम व्यक्ति का नाम है। नीलम महिला का नाम है गाय पशुओं की एक प्रजाति है सम्मान भाव विशेष को दर्शाता है तथा सुन्दरता गुण स्थिति का द्योतक है। इस प्रकार ये सभी शब्द किसी के नाम को बताते हैं अतः व्याकरण में इन्हें संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा के भेद– संज्ञा के तीन भेद हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखिए।

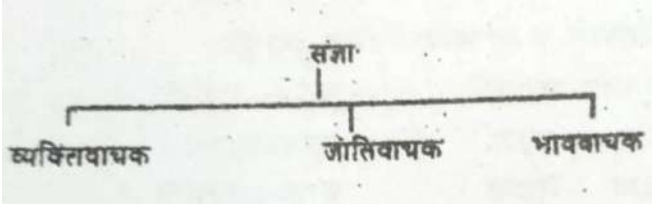

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा**–जो संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है। जैसे ईश्वरचन्द, राजकमल, रामचरितमानस,–कामायनी, गंगा, हिमाचल, भारत, रूस आदि।

2. **जातिवाचक संज्ञा**–जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे–घोड़ा, मनुष्य, गोभी आदि।

3. **भाववाचक संज्ञा**–जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, कार्य, आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे–ईमानदारी, अहंकार, लम्बाई, लिखाई, सजावट आदि।

व्याकरण के कई विद्वान संज्ञा के दो भेद और भी मानते है–समुदाय वाचक और व्यवाचक।

समुदायवाचक संज्ञा–संभा, सेना, संघ आदि समूह की प्रकट करने वाली संज्ञाओं को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे–कक्षा, सेना, मंत्रिामंडल, मंडली, संसद आदि।

द्रव्यवाचक संज्ञा–जिन संज्ञाओं से द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें दव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे–मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी, पारा, पानी आदि।

अब हम संज्ञा के परिवर्तन के कुछ उदाहरण दे रहे है ध्यान से अध्ययन करेः

जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाए बनाना।

लड़का	लड़कापन	भाई	भाईचारा
मित्रा	मित्राता	स्त्राी	स्त्राीत्व
पशु	पशुता	शिशु	शैशव

विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना

कमजोर	कमजोरी	मूर्ख	मूर्खता
चतुर	चतुराई	अच्छा	अच्छाई
मीठा	मिठास	सुन्दर	सुन्दरता

क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना

चिल्लाना	चिल्लाहट	खेलना	खेल
घबराना	घबराहट	दौड़ना	दौड़
हंसना	हंसी	फैलना	फैलाव

सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना

अपना	अपनापन	निज	निजत्व

एक	एकत्य	सर्व	सर्वस्व
अहं	अहंकार	मम	ममता

इसी प्रकार 'लिंग' में जो परिवर्तन होता है, उसे 'संज्ञा विकार' कहते हैं जैसे–लड़का पढ़ता है। संज्ञा में यह परिवर्तन लिंग, वंधन कारक, आदि के कारण होता है। ये तत्व ही संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं।

सर्वनाम

सर्वनाम का शब्दिक अर्थ है सबका नाम। अर्थात् सर्वनाम शब्द सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनामों का सबसे अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा के बार–बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए होता है। उदाहरणार्थ–रमा सुबह आई थी। रमा व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गई है। क्योंकि रमा कल दिल्ली चली जायेगी। लेकिन सर्वनाम के प्रयोग के बाद वाक्य निम्नवत् बन जाएंगे।

रमा सुबह आई थीं वह व्याकरण की पुस्तक आज ही दे गई हैं, क्योकि वह कल दिल्ली चली जाएगी।

अतः स्पष्ट है कि सर्वनाम 'वह' रमा के लिए आया है। एक ही संज्ञा को बार–बार बोलने या लिखने से असुविींा होती है और वाक्य–अच्छा भी नहीं लगता। इसी असुविध और असुंदरता से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।

सर्वनाम की परिभाषा के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को 'सर्वनाम' कहते हैं। जैसे–मैं, तुम, आप यह, वह, कौन, कोई आदि।

सर्वनाम के प्रकार–सर्वनामे छः प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण ध्यान से देखिए :–

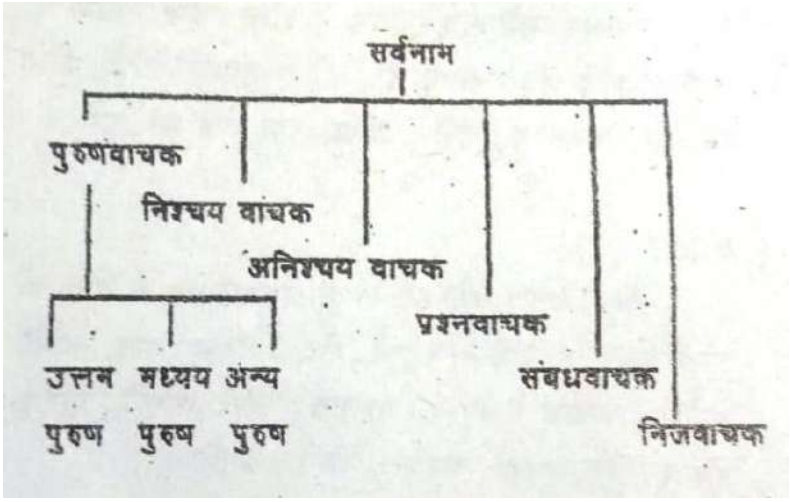

1. **पुरुषवाचक सर्वनाम**–जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाये इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे–में, तू, वह, वे, हम, तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन. प्रकार के होते हैं।

   क. **उत्तम पुरुष**–कहने वाला जिस सर्वनाम को अपने लिए प्रयुक्त करे। जैसे मैं, मेरी, मेरे, हमें हमारा हमारी मुझको आदि।

ख. **मध्यम पुरुष**–वक्ता जिस सर्वनाम को सुनने वाले के लिए प्रयोग करे जैसे तू, तेरा, तेरी, तेरै, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, आपके।

ग. **अन्य पुरुष**–जो सर्वनाम वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों जैसे वह उसका, उसकी, उसके, यह,–इसका, इसकी, इसके।

2. **निश्चयवाचक सर्वनाम**–निश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जैसे–यह पह ये, वे।

3. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम**–अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। जैसे कोई, कुछ।

4. **प्रश्नवाचक सर्वनाम**–प्रश्मवाचक सर्वनाम वे हैं, जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो। जैसे कौन, क्या।

5. **सम्बन्धवाचक सर्वनाम**–सम्बन्धवाचक सर्वनाम के हैं, जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ सम्बन्ध प्रकट करते हैं। जैसे–सो, जो।

6. **निजवाचक सर्वनाम**–जो सर्वनाम स्वयं के लिए अर्थात अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनान कहते हैं। जैसे–अपना, अपनी, अपने।

3.10.2 विशेषण

संज्ञा और सर्वनाग की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'विशेषण' कहते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे 'विशेष्य' कहते हैं। जैसे–'काला घोड़ा'। यहां 'काला' शब्द विशेषण है और 'घोड़ा' शब्द विशेष्य है। विशेषण अर्थ को परिसीमित कर देता है। 'काला घोड़ा' कहने से केवल काले घोड़े का ही बोध होता है, अन्य रंगों के घोड़ों का नहीं।

अतः विशेषण की परिभाषा के सम्बन्ध में कहा जाता सकता है कि 'संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'विशेषण' कहते हैं।

विशेषण प्रायः निम्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

क. कैसा? ;अच्छा, बुरा, छोटा, लालद्ध

ख. कितना? ;अधिक, घोड़ा, एक मन, दो किलो द्ध

ग. कितने? ;दो, चार, वर्जनद्ध

घ. कहां का? ;भारतीय, पाकिस्तानी, चीनीद्ध

घ कब का? ;पुराना, ताजा, आज का द्ध

विशेषण चार प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

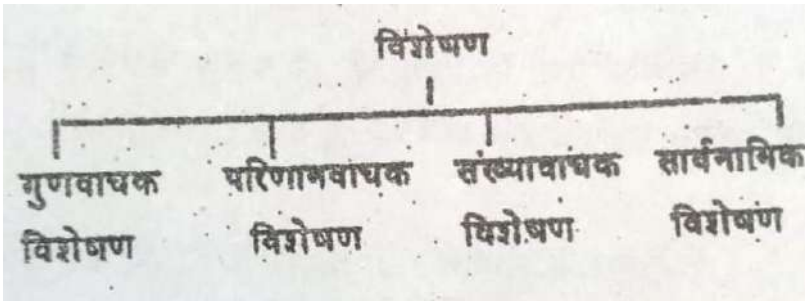

1. **गुणवाचक विशेषण**–जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे–गुणवाचक विशेषण अच्छा, बुरा, दुष्ट, सीधा, न्यायप्रिय, दानी, झूठा, उचित, अशांत

आकारवाचक–लम्बा, चौड़ा, गोल, चकोर, नुकीला।

स्थानवाचक–स्थानीय, ऊंचा, नीचा, गहरा, उथला, बाहरी, बाय, भीतरी।

कालवाचक–नया, पुराना, ताजा, अद्यतन, आधुनिक, अर्वाचीन, प्राचीन।

रंगवाचक–नीला, पीला, लाल, सुनहरा।

दशावाचक–अग्रिन, आन्तरिक, गीला, सूरया, दुबला, पतला, गांदा, गोटा, घना।

2. **परिणामवाचक विशेषण**–जिस पद से माप या तोल का बोध होता हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहत है। जैसे–थोड़ा, पानी, भारी, लोटा। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं: 1. निश्चित परिणामवाचक और 2. अनिश्चित परिणामवाचक।

निश्चित परिणामवाचक विशेषण के द्वारा निश्चित मात्राा का बोध होता है। संख्या से अथवा 'भर' जोड़ देने से विशेषण निश्चयवाचक हो जाता है जैसे चार किलो चीनी। किलो भर चीनी।

जब विशेषण से परिणाम का निश्चय नहीं हो पाता उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण से कहते हैं। जैसे–थोड़ी मिठाई, बहुत पानी या कुछ दूध।

3. **संख्यावाचक विशेषण**–जिस विशेषण गणना का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे–पांच लड़के, दसवां आदमी, कई लड़कियां, सब व्यक्ति।

संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते है–1. अनिश्चित संख्यावायक और 2. अनिश्चित संख्यावाचक

निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं, जिनमें सख्या अनिश्चित रहती है जैसे दो, पांचवां इत्यादि।

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं, जिनमें संख्या निश्चित रहती है। जैसे कुछ, कई, सब इत्यादि।

4. **सार्वनामिक विशेषण–**

;कद्ध विशेषण के रूप से प्रयुक्त सर्वनाम जैसे–

1. वह छात्रा नहीं आया।

2. यह कमरा साफ नहीं है।

3. कोई लड़का पढ़ रह है।

इन वाक्यों में गोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम 'वह', 'यह', 'कोई', संज्ञा के पूर्ण विशेषण के रूप में आ गए हैं। अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

विशेषणों की तुलना तथा अवस्थाएं–एक ही तरह की विशेषता वाले व्यक्तियों, वस्तुओं, और स्थानों में के आधार पर तुलना की दृष्टि से कम या अधिक बताना ही गुण–दोषों विशेषणों की तुलना कहलाती है। विशेषणों की तुलना की तीन अवस्थाएं है।

1. **मूलावस्था**–इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। विशेषण केवल सामान्य विशेषता का ज्ञान कराता है। जैसे–सचिन अच्छा खिलाड़ी है।

2. **उत्तरावस्था**–इस अवस्था से दो व्यक्यिों या पदार्थों और–1 स्थानों की विशेषता की तुलना की जाती है और एक को कम या अधिक बताया जाता है। जैसे कृष्ण रमेश से अधिक परिश्रमी है।

3. **उत्तमावस्था**–इस अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों स्थानों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है और एक को सबसे कम अथवा सबसे अधिक बताया जाता है। जैसे कमला सबसे सुन्दर है।

3.10.3 क्रिया

जिस पद से किसी काम का 'करना' 'करवाना' अथवा 'होना' का भाव प्रकट को उसे क्रिया कहते हैं। जैसे–

1. में खाना खाता हूं।
2. सुमन खत लिखवाता है।
3. यह कलम है।

इन वाक्यों में 'खाता हूँ' से काम का करना, 'लिखवाता है' से करवाना और 'है' से होना प्रकट होता है।

रखना, करना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, पीना, सभी क्रिया पद हैं। यह क्रिया के सामान्य रूप हैं। इनके अन्त में 'ना' रहता है। शब्द कोणों में यही रूप दिया रहता है। इस रूप से 'ना' हटा देने पर क्रिया का धातु रूप बनता है।

सामान्य रूप	धातु रूप
लिखना, चलना, चलाना, पढ़ना	लिख, चल, चला, पढ़

क्रिया के भेद–कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते–हैं–;1द्ध अकर्मक क्रिया और ;2द्ध सकर्मक क्रिया।

1. **अकर्मक क्रिया**–जब क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्त्ता पर पड़े तब वह क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। जैसे–आशा हंस रही है। शीला रोयी। अलकं सोएगी।

   उपयुक्त वाक्यों में 'हंसना', 'रोना' और 'सोना' क्रियाओं का कोई कर्म नहीं हैऋ व्यापार और उसका फल दोनो कर्त्ता पर है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाओं के उदहारण हैं।

2. **सकर्मक क्रिया**–जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। इन क्रियाओं से कर्म का होना आवश्यक है। जैसे–मैंने फल खरीदे। बसन्त पत्राा लिखता है। महिलाएं गीत गा रही हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'खरीदना' क्रिया का फल, 'लिखना' का पत्राा और 'गाना' का गीत है अतः ये सकर्मक क्रिया के उदहारण हैं।

सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं:–

एककर्मक क्रिया–जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म हो, जैसे–नीलम गीत गाती है। सरिता खाना खा रही है। लवली कपडे सी रही है।

द्विकर्मक क्रिया–जहां सकर्मक क्रिया के दो कर्म होंऋ जैसे–भावना ने अपने साथ को अपना पूरा पता बताया। पूजा गाय को घास खिलाती है। ललन ने रमण को अपनी नई पुस्तक दे दी।

यहां पर अकर्मक से सकर्मक क्रियाओं के कुछ रूप दिए जा रहे हैं:

अकर्मक	सकर्मक	अकर्मक	सकर्मक
उठना	उठाना	उड़ना	उड़ाना
कटना	काटना	छंटना	छांटना
पिसना	पिसाना	बंटना	बांटना
चलना	चलाना	चिढ़ना	चिढ़ाना

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि क्रिया का मूल रूप धातु जिससे क्रिया पर बने है। धातु में अव्यय लगाकर क्रिया रूप बनाए जाते हैं। किन्तु कुछ क्रियाओं में कुछ प्रत्ययों के लगने से पहले धातु रूप परिवर्तित हो जाता है।–जैसे–'जा' का 'गया'। देना, लेना, करना आदि धातु भी इसी प्रकार की हैं। जिनका सामान्य भूतकालिक रूप दिया, लिया, किया आदि हो जाता है। धातु में ही क्रिया का मूल अर्थ निहित रहता है। रचना की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है।

1. मूल धातु ;कर, खा, पी, सी, ले, दे, चल, फिर, हट, खेलद्ध
2. यौगिक धातु ;चलवाना, कर रहा था, जो पढ़ा, लतियानाद्ध

2. यौगिक धातु ; चलवाना, कर रहा था, जो पड़ा, ललियाना.द्ध

यौगिक धातुओं के चार भेट किए गए हैं।

1. प्रेरणार्थक धातु
2. संयुक्त धातु
3. नाम धातु
4. अनुकरणात्मक धातु

3.11 वाक्य रचना और उसके भेद

भाषा की प्रधान इकाई वाक्य है। किसी बात को स्पष्ट करने की शक्ति वाक्य में होती है। यह वाक्य छोटा या बड़ा हो सकता है। कभी कभी बात के बीच एक पद भी वाक्य की भांति कार्य करता

है। यदि कोई प्यासा, पानी उच्चारित करता है तो 'पानी' पद से पूरे वाक्य का बोध होता रहे और यह समझा जाता है कि बालक ने कहा है 'मुझे पानी चाहिए'। जब पानी बरसता हुआ देखकर कोई कहता है–'अरे पानी'। तो उसके कथन का अर्थ होता है 'अरे'! पानी वरस रहा है इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संदर्भ विशेष से पानी के उच्धारण से एक वाक्य की रचना होती है किन्तु संदर्भ बदल जाते हैं तथा 'पानी' पद से दूसरे अर्थ का सूचक वाक्य बन जाता हैं। अतः संदर्भ के कारण पद वाक्य का कार्य करते है और उनमें भावाभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न हो जाती है।

उद्देश्य और विधेय पदों का ऐसा समूह जो सरंचना की सबसे बड़ी इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है और जो योग्यता, आकांक्षा तथा अशक्ति से युक्त हो, वाक्य कहलात मैं जैसे–रमेश पुस्तक पढ़ता है।' इस वाक्य में 'रमेश' उद्देश्य है और 'पुस्तक पढ़ता है' विधेय है। उद्देश्य और विधेय के संयोग से बने हुए इस इस वाक्य में ऐसी व्यवस्था निहित है, जिससे एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है. जो प्रयुक्त पदों की योग्यता प्रकट करती है और उनमें आकांक्षा तथा आसक्ति की व्यवस्था भी बनी रहती है। अतः स्पष्ट है कि सार्थक शब्दों का ऐसे सबूठ को वाक्य कहते है, जिससे बोलने वाला या लिखने वाले का पूरा–पूरा भाव या विचार स्पष्ट हो जाए।

वाक्य के छः अनिवार्य तत्व जाने गए हैं

1. सार्थकता
2. क्षमता या योग्यता
3. आंकाक्षा या जिज्ञासा
4. आसक्ति वा निकटता
5. पदक्रम
6. अन्वय

वाक्य का विभाजन सामान्यतः निम्न प्रकार से किया जाता है 1. अग्र और पश्च। 2. उद्देश्य और विधेय।

1. **अब और पश्य**–सामान्यतः वाक्य में दो भान होते हैं–एक आगे का और दूसरा पीछे का। इन्हें क्रमशः अग्रभाग और पश्य भाग कहते हैं। जैसे–'बच्चा रोता है' में 'बच्चा' अग्रभाग और 'रोता है'। पश्य भाग है। इसे ही हिन्दी में उद्देश्य और विधेय कहा गया है।
2. **उद्देश्य और विधेय**–वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जायें उसे 'उद्देश्य' और जो कुछ कह जाये उसे 'विधेय' कहते हैं। जैसे 'बच्चा रोता है' में 'बच्चा उद्देश्य है और 'रोता है' विधेय।

वाक्य के भेद

वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण वाक्य और अपूर्ण वाक्य। जैसे–'राज जा रहा है' पूर्ण वाक्य है। 'अभी नही...। अपूर्ण वाक्य है। सामान्यतः वाक्य का वर्गीकरण तीन आधारों पर होता है–;1द्ध रचना के आधार पर ;2द्ध क्रिया के आधार पर ;3द्ध अर्थ के आधार पर

रचना के आधार पर वाक्य के भेद

1. **सरल था साधारण वाक्य**–जिस में केवल एक ही क्रिया होती है। उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है।

2. **सयुक्त वाक्य**–जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उसे 'संयुक्त वाक्य' कहते हैं। जैसे–रमेश खा रहा है और रमा खेल रही हैं।

3. **मिश्रित वाक्य**–इसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य उपप्रधान उपवाक्य के आश्रित होते है। जैसे ये वही सज्जन है, जो हमें दिल्ली में मिले थे।

अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार

1. **निर्देशात्मक वाक्य**–जिस वाक्य में किसी बात के छोने की प्रतीति हो उसे 'निर्देशात्मक वाक्य' कहते हैं। जैसे में स्कूल जाऊंगा।

2. **निषेधवाचक वाक्य**–जिस वाक्य में किसी बात के होने का संकेत मिले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसनें भोजन नहीं किया।

3. **प्रश्नवाचक वाक्य**–जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया उसे 'प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–क्या नीलन मान जाएगी।

4. **आज्ञार्थक वाक्य**–जिस वाक्य में आशा दी जाये उसे 'आभार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे–माता पिता का नाम ऊंचा करो।

5. **संभावनार्थसूचक वाक्य**–जिस वाक्य में किसी प्रकार की संभावना का उल्लेख हो उसे 'संभावनाअंसूचक वाक्य' कहते हैं। जैसे–शायद कल परीक्षा का परिणाम निकले।

6. **इच्छासूचक वाक्य**–जिस वाक्य में किसी इच्छा का संकेत मिले उसे इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। जैसे–अपाकी यात्राा मंगलमय हो।

7. **सन्देहासूचक वाक्य**–जिस वाक्य में किसी बात के प्रति सन्देह का अभाव मिले उसे 'सन्देहसूचक वाक्य' कहते हैं। जैसे–ज्योति हमें भूल गई होगी।

8. **विस्मयादिबोधक वाक्य**–जिस वाक्य में विस्मय की प्रतीति हो उसे 'विस्मयादिबोधक यादय' कहते हैं। जैसे ओह कितना सुन्दर चेहरा है।

9. **संकेतार्थसूचक वाक्य**–जिस वाक्य में सम्पूर्ण अर्थ का मान नहीं है अपितु उसका संकेत मात्रा मिलता है। उसे 'संकेतार्थसूचक वाक्य' कहते हैं। जैसे–नौकरी मिले तो चैन आए।

क्रिया के आधार पर वाक्य भेद

1. **कर्तृवाच्य वाक्य**–जिस वाक्य में कर्त्ता और कर्म अपनी साधारण अवस्था में हो तथा क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उस वाक्य को कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे–मोहन पुस्तक पढ़ता है। लड़के पंतग उड़ाते है।

2. **कर्मवाच्य वाक्य**–जिस वाक्य में कर्ता करण कारक के रूप में हो और कर्म कर्त्ता के रूप में तथा क्रिया कर्म के अनुसार हो उस वाक्य को कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे–उससे रोटी खायी न गयी। उससे रोटियां खायी न गयी।

3. **भाववाच्य वाक्य**–जिस अकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्त्ता करण कारक में हो तथा क्रिया कर्ता कर्म दोनों से स्वतंत्रा हो, सदा अन्यपुरुष पुलिंग एकवचन की हो, उस वाक्य को भाववाच्य वाचक कहते है। जैसे–मुझसे बैठा नहीं जाता। हमसे जागा नहीं जाता।

पदक्रम

वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है। वाक्य में पदों का विशिष्ट क्रम होता हैं। इसमें व्यक्विन होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे–

1. 'राम ने मोहन को नारा' और

2. 'मोहन ने राम को मारा'।

दोनों वाक्यों में मारने वाला और मारा जाने वाला भिन्न है। इस प्रकार दोनों ही वाक्यों में अर्थ भेद है।

पदों के अक्रन हो जाने पर वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है जैसे–देखता राम हूँ मैं को लेकिन इस वाक्य का ठीक क्रम है में राम का देखता हूं।

पदक्रम के कुछ मुख्य नियम नीचे दिए गए हैं:

1. साधारणतः कर्ता पहले और क्रिया अंत में होती है। जैसे राम आता है।
2. अपूर्ण क्रिया होने पर कर्त्ता के बाद पूरक और जिस क्रिया को रखते हैं जैसे–राम विद्यार्थी है।
3. सकर्मक क्रिया होने पर कर्त्ता के बाद कर्म और फिर क्रिया होती है जैसे–राजेश पुस्तक पढ़ता है।
4. यदि सकर्मक क्रिया को पूरक की अपेक्षा हो तो कर्ता के बाद कर्म फिर कर्मपूरक और अंत में क्रिया होती है। जैसे राम ने रस्सी को सर्प समझा।
5. द्विकर्मक क्रिया में पहले कर्त्ता फिर गौण कर्म और उसके बाद मुख्य कर्म तथा अंत में क्रिया होती है, जैसे–राम ने सीता को अंगूठी भेंट की।
6. विशेषण प्रायः विशेष्य से पूर्व आता है जैसे–वह काली गाय है।
7. क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आता है जैसे–वह धीरे–धीरे चलती है।
8. प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण भी प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, जैसे तुम कहां जाओगे?
9. पुष्टि अर्थक 'ना' वाक्य के अंत में आता है, जैसे हमारे घर आओगे ना।
10. सम्बोधक वाक्य के प्रारम्भ से आता है जैसे हे राम! यहां आओ।

अन्विति

वाक्य उपवाक्य अथवा पदबंध में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि पदों की पारस्परिक संगति को 'अम्बिति या अन्यय' कहते हैं जैसे–'काला घोड़ा तेज दौड़ता है।' वाक्य में 'घोड़ा' संज्ञा पुलिंग एकवचन में हैं, जिसके लिंग वचन के अनुसार 'काला' विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 'घोड़ा' यहां कर्ता है। उसी के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार 'दौड़ता है' क्रिया का रूप प्रयुक्त है। अन्विति के निम्नलिखित नियम हैं–

1. **कर्त्ता क्रिया**–वाक्य में कर्ता क्रिया रूप में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनामों के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है इसलिए कर्ता और क्रिया की अन्विति होती है जैसे मैं घर जाता हूँ। तू जाता है। तुम पुस्तक पढ़ते हो। वह खेलता है।
2. **कर्म क्रिया**–वाक्य में यदि कर्त्ता के साथ 'ने' हो तो क्रिया लिंग, वचन और पुरुष जैसे–राम ने पुस्तक पढ़ी। गीता ने पत्राा लिखा। अनुसार होगी। कर्ता के साथ 'ने' न हो तो क्रिया कर्त्ता के अनुसार होती है। भले ही क्रिया किसी भी काल की क्यों न हो, जैसे–मैं रोटी खाता हूं। शीला रोटी खाती है। इसी प्रकार और भी बहुत से नियम हैं।

विशेषण और विशेष्य की अन्विति

1. विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है जैसे वह काला घोड़ा है। वे काले घोड़े हैं।

2. यदि एक विशेष्य के कई विशेषण हों तो सभी विशेषणों के लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होंगे जैसे–गोरी, लम्बी, और छरहरी बेन।

3. यदि अनेक विशेष्य हो और विशेषण एक हो तो प्रायः प्रथम विशेष्य के अनुसार विशेषण होता है, परन्तु स्वष्टता के लिए विशेषण को प्रत्येक विशेष्य के साथ दुहराना चाहिए, जैसे–बड़े–बड़े लड़के और लड़कियां बड़े–बड़े लड़के और बड़ी–बड़ी लड़कियां।

4. यदि कई विशेष्य और कई विशेषण हो तो प्रत्येक विशेष्य से सम्बन्धित विशेषण को उसके साथ ही प्रयुक्त करना चाहिए जैसे मैंने एक काला घोड़ा दो भूरी गायें और लम्बे सींग वाला एक बैल देखा।

संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति

अनुच्छेद में सर्वनाम की अन्विति संज्ञा के साथ तभी होगी जब सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष पूर्व कथित संज्ञा के अनुसार होगा। जैसे–

1. रंजीत फुटबाल का अच्छा खिलाड़ी है। उसे कई पुरस्कार मिले। वह खेलों में बड़ी प्रगति कर रहा है।

2. पिताजी बाहर गये हुए हैं। वे परसों तक आ जाएंगे। उनके आने पर आपका संदेश में उन्हें दे दूंगा।

3.12 सारांश

सारांश रूप में हम कह सकते है कि भाषा के विकास के लिए व्याकरण की व्यवस्था होना आवश्यक है। भाषा का विकास उसके शब्द तथा अन्य व्याकरणीक कोटियों के आधर पर माना जाता है।

भाषा में किस तरह शब्द का प्रयोग होता है और किस तरह वह शब्द अपना निाम्रण कर एक वाक्य के रूप में स्टीक अभिव्यक्ति करता है। यह जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त हुई है।

3.13 कठिन शब्दावली

खण्डीय – खंडीत होने वाले।

स्वनिम – वर्ण

खण्ड्येतर – खंडित न होने वाला

स्वर – जिनका उच्चारण स्वतन्त्रा वर्ण के रूप में किया जाता है।

व्यंजन – जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।

3.14 स्वयं आकलन के प्रश्न

1. वर्ण किसे कहते है?

2. शब्द किसे कहते हैं?

3. उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ बताए।

4. हिन्दी में काल कितने होते हैं?

5. रचना के आधर पर वाक्य के भेद।

3.15 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

1. वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ने किए जा सके।
2. वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते है।
3. उपसर्ग : मूल शब्द के आरम्भ में लगने वाले शब्द जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है।

   प्रत्यय : शब्द के अंत में लगने से मूल शब्द के अर्थ को बदलकर नवीन अर्थ को प्रकट करता है।
4. तीन ;वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत कालद्ध
5. तीन ;सरलवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्यद्ध

3.16 सन्दर्भित पुस्तक

1. हिंदी भाषा – भोलानाथ तिवारी।
2. भाषा विज्ञान एवं भाषाशास्त्रा – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
3. हिंदी शब्दानुशासन – किशोरीदास वाजपेयी।

3.12 सात्रिाक प्रश्न

1. स्वनियों का विवेचन कीजिए।
2. शब्द किस कहते है? उसकी उत्पति की विवेचना कीजिए।
3. संज्ञा किसे कहते है? विवेचना कीजिए।
4. काल के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
5. वाक्य किसे कहते है? विवेचना कीजिए।

———

खण्ड–चार

हिंदी भाषा और लिपि

4.1 भूमिका
4.2 उद्देश्य
4.3 हिंदी भाषा के रूप
4.4 देवनागरी लिपि का नामकरण
4.5 देवनागरी लिपिक की विशेषताएं
4.6 देवनागरी लिपि का मानकीरण
4.7 सारांश
4.8 कठिन शब्दावली
4.9 स्वयं आकलन के प्रश्न
4.10 स्वयं आकलन प्रश्नों के उतर
4.11 सन्दर्भित पुस्तक
4.12 सात्रिाक प्रश्न

4.1 भूमिका

आज हिन्दी भाषा एक व्यापक स्वरूप धारण कर चुकी है। जब हम हिन्दी की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि हिन्दी राजभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा सभी रूपों में अपना एक स्थान निश्चित कर चुकी है। इन भूमिकाओं में आगे निकलकर हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय भाषा' के रूप में तेजी से आगे बढी रही है। ये सभी भूमिकाएं मिलकर भाषा के प्रयोजनमूलक प्रकार्य का स्वरूप निश्चित करती है। विविध क्षेत्राों में भाषा के माध्यम से कार्य करना ही भाषा के प्रकार्यो में गिना जाता है। यदि किसी भाषा का प्रयोग समाज के विविध क्षेत्राों में नहीं किया जाता, तो वह भाषां संकुचित दायरों में ही बंध कर रह जाती है। जो समाज जितना अधिक विकसित होगा। उस समाज की भाषा भी उतनी अधिक समृ(होगी। वह भाषा शिक्षा का माध्यम होगी, प्रशासन की भाषा होगी तथा उस भाषा के माध्यम से आधुनिक यांत्रिाक उपकरणों पर भी कार्य होगा।

4.2 उद्देश्य

1. लिपि के विषय में जानकारी।
2. देवनागरी लिपि के नामकरण की जानकारी।
3. देवनागरी लिपि की विशेषताओं का ज्ञान।
4. देवनागरी लिपि के इतिहास की जानकारी।
5. भाषा के विविध रूपों की जानकारी।

4.3 हिन्दी भाषा के रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्र भाषा या राजभाषा को पूर्णतयः अलगाना या इनमें बहुत ज्यादा विविध्ता लाना सम्भव नहीं है क्योंकि ये तीनों एक–दूसरे की पूरक हैं। किसी भी भाषा सम्पर्क की पहली कड़ी है उस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जनसंपर्क के रूप में कार्य करना। जो भाषा देश की जनता को

विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे से जोड़ती है वास्तव में वही सम्पर्क भाषा कहलाती है। सम्पर्क भाषा के दूसरे प्रकार को हम 'राजभाषा' के रूप में लेते हैं। वही भाषा राजभाषा के रूप में पूरे देश के लिए सम्पर्क की कड़ी बनती है। तीसरा प्रकार 'राष्ट्रभाषा माना जाता है।

4.3.1 सम्पर्क भाषा

जिस भाषा से अधिकांश लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति वेश–विदेश में सरलता से कर सकें। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो उस राष्ट्र या देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो तथा जिसे बोलने व समझने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो। वैसे तो जो देश या राष्ट्र एकभाषी होते हैं। उनकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा एक ही होती है। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। फिर भी हिन्दी अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। अतः हिन्दी को सम्पर्क भाषा भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा कह सकते हैं। सम्पर्क भाषा के सम्बन्ध में साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि आपसी सम्प्रेषण के लिए जो भाषा जनता को आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में सामने आए उसे 'सम्पर्क भाषा' कह सकते हैं।

4.3.2 राष्ट्र भाषा

वह भाषा जो सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है जिसे उस राष्ट्र या देश के अधिकांश लोग समझ या बोल सकते है। राष्ट्रभाषा की संकल्पना एक भावात्मक संकल्पना है। जिसके प्रकार्य के रूप में भाषा स्वयं अर्जन करती है। भाषा का यह रूप में सामने आता है। बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का वाहक होता है। 'हिन्दी' को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। हम जानते हैं कि स्वतंत्राता संग्राम के दौरान हिन्दी ने राष्ट्रीय एकता के लिए जनसंपर्क के प्रकार्य का निर्वाह किया। यही भाषा देश की जनता को जोड़ने वाली भाषा रही। ऐसी भाषा जो सम्पर्क भाषा की विशेषता लिए हुए राजभाषा पर आसीन होकर समस्त राष्ट्र या देश की भाषा बनी है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अतः ज्ञान–विज्ञान के आदान–प्रदान के लिए जो भाषा माध्यन भाषा बनती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है।

4.3.3 राजभाषा

साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस भाषा में किसी देश का राज काज किया जाता है उसे उस देश को राजभाषा कहा जाता है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी इस देश की राजभाषा रही। जब भारत स्वतंत्रा हुआ और संविधन में राजभाषा के प्रश्न पर पुनः विचार होने लगा तब हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधन के अनुच्छेद 342 खंड–1 में यह उल्लेख किया गया है ''संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।'' अतः किसी राज्य प्रान्त या प्रदेश के तीन प्रमुख अंगों विधनांग, न्यायाग तथा कार्याग की भाषा। 'राजभाषा' कहलाती है।

4.3.4 राजभाषा के रूप में हिन्दी

स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद जब भारत का संविधन बनाया जा रहा था, तब यह जरूरत महसूस की गई कि संघ की भाषा यानि 'राजभाषा' कौन सी हो। इस सम्बन्ध में ऐ. के. आयंगर और के. एम. मुन्शी की द्विसदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 14 सितम्बर 1949 को भारत की सविींाान सभा ने हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा सम्बन्धी उपबंध ;व्यवस्थाद्ध दिए गए हैं। संविधन के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राज्यों और केन्द्र शासित अंडेमान निकोबार में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है।

संविधन की 8वीं अनुसूची में हिन्दी सहित देश की 14 प्रमुख भाषाओं ;असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, नमलयालम, संस्कृत हिन्दी द्ध को मान्यता प्रदान की थी लेकिन बाद में सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोकंणी को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 18 प्रमुख भाषाओं को संविधन में मान्यता प्रदान की गई है।

संविधन के अनुच्छेद 344 में यह व्यवस्था है कि राजभाषा के कार्यान्वयन हेतू 'राजभाषा आयोग' गठित किया जाएगा जिसस 8वीं अनुसुची में उल्लिखित भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन हेतु 'राजभाषा अधिनियम 1963, 'संशोधित 1967' 'राजभाषा' नियम 1976 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके अतिरिक्त 1967 में गठित 'केन्द्रीय हिन्दी समिति' 'हिन्दी सलाहकार समिति' और 'राजभाषा कार्यान्वयन समिति' इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

4.3.5 मानक भाषा

किसी भी भाषा की विभिन्नताओं को दूर करते हुए भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के कार्य को मानकीकरण कहते हैं। इस कार्य को सम्पन्न करने के बाद भाषा का जो रूप उभर कर आता है उसे मानक कहते हैं। अतएव मानक हिन्दी से अभिप्राय हिन्दी के उस रूप से है जिसमें ध्वनि, लेखन, शब्द तथा वाक्य के स्तर पर एकरूपता पाई जाती है।

मानक भाषा की आवश्यकता का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब एक भाषा के प्रयोग एक विस्तृत भू भाग में • होने लगता है, तो अनेक बोलियों, उपभाषाओं तथा सांस्कृतिक और भौगोलिक विभन्नताओं के कारण उस भाषा के मौखिक और लिखित रूप में भिन्नता आने लगती है। अर्थात लिखने तथा बोलने में एक से अधिक रूप विकसित हो जाते हैं। जैये हिन्दी में अ, झ, ण आदि के दो–दो रूप प्रचलित है। यही मी एक–एक शब्द के भी कई कई लिखित रूप मिल जाते है। जैसे' खाए–खाये, गई गयी, लिए लिये, सम्बन्ध–संबंध आदि। इसके अतिरिक्त वाक्यों में भी विभिन्नता मिलती है। जैसे–दही खायी जाती है, दही खाया जाता है। इस प्रकार के भाषा प्रयोग भाषा की स्पष्टता में बाधा डालते हैं। अतः इनमें से एक का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला व्याकरण सम्मत रूप ही भाषा का मानक रूप कहलाता है।

4.3.6 संचार भाषा

जनसंचार माध्यमों में विशेष रूप से अरखंबार, रेडियो, 'दूरदर्शन एवं कम्प्यूटर ने पर्याप्त योगदान दिया है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ जनसंचार के क्षेत्रा में भी एक क्रांन्ति आई है। इस क्षेत्रा में व्यापकता का समावेश हुआ है। जिस भाषा का प्रयोग जनसंचार के विविध माध्यमों को प्रभावी बनाए उसे संचार भाषा कहते हैं। जनसंचार के विविध माध्यमों को प्रमुख रूप से चार श्रेणियों में रखा जाता है 1. लिखित माध्यम ;समाचार पत्रा–पत्रिाकाएं आदिद्ध। 2 श्रव्य माध्यम ;रेडियोद्ध 3. दृश्य–श्रव्य माध्यम ;टेलीविजनद्ध और 4. कंप्यूटर आदि।

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पत्रा–पत्रिाकाओं की भाषा रेडियो तथा दूरदर्शन की भाषा से भिन्न होती है। पत्रा–पत्रिाकाओं में भाषा के क्लिष्ट रूप भी मिल सकते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आवाज समझ में न आने पर आप उसे फिर से पढ़ सकते हैं जबकि रेडियो, दूरदर्शन की भाषा का सरल, स्पष्ट होना आवश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि जनसंचार माध्यमों की भाषा में संचार माध्यम के स्वरूप की वजह से परिवर्तन आता है। विज्ञापन की भाषा समाचार की भाषा से भिन्न होगी।

4.4 देवनागरी लिपि का नामकरण

भाषा मूलतः उच्चरित होती है। उच्चरित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनियों वाक् ध्वनियों से होता है। हम उच्चरित भाषा को कानों से सुनते हैं और निष्ठित अर्थ ग्रहण करते हैं। उच्चरित भाषा के शब्दों को रेखीय ;ळतंचीपबद्ध प(ति से पत्थर, कागज आदि माध्यमों से अंकित करने के लिए हम लिपि ;बतपचजद्ध का उपयोग करते हैं। यद्यपि उच्चारण ही भाषा का मूल स्वरूप है, लिपि से भाषा को महत्व बढ़ जाता है। लिपि–भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। लिपि से भाषा की साहित्यिक, सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण होता है।

प्राचीन युग में विश्व में तीन–चार ही लिपियां थीं जिनमें चीनी लिपि आज तक चली आ रही है। मेसेपोटेमिया की कीलाक्षरों वाली लिपि ;मददमपवितउद्ध का संशोधित रूप पुरानी मिश्र की लिपि में देख सकते है। वर्तमान रोमन ;त्वउंदद्ध लिपि का उत्स विश्व की ध्वनात्मक लिपि ;ीपमतवहसलचसदपबद्ध ही है। पुराने सिनाई के शिलालेखों में सानी परिवार की प्राचीन लिपि का परिचय मिलता है, जिससे अरबी भाषा की लिपि विकसित हुई है। विश्व की प्रमुख लिपियों का उदाहरण देखें:–

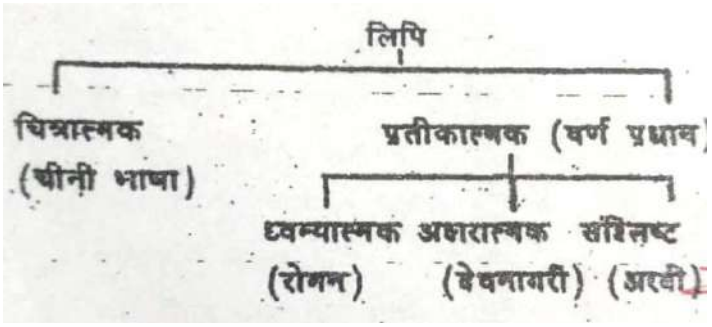

भारत में वो प्राचीन लिपियां मिलती हैं–खरोष्ठी और बाईं। हममें खरोष्ठी लिपि विदेशी लिपि भी जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रवेश में था। खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह सीधे से बाई ओर लिखी जाती थी। यह लिपि न वैज्ञानिक भी और न पूर्ण थी। यह केवल काम चलाऊ लिपि थी। हमारी वर्तमान देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है।

भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसी से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं शती के आस पास के शिलालेखों में मिलता है। दसवीं सदी की नागरी लिपि में अ, आ, घ, म, य, ण और से के सिर दो हिस्सों में घंटे मिलते हैं। और 11वीं सदी में सिर की एक लकीर बन जाती है और हर अक्षर का सिर उस अक्षर की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इस प्रकार 11वीं शती के आस पास के देवनागरी के जो रूप हमें मिलते हैं वह वर्तगान देवनागरी रूपों में काफी समानता रखते हैं और 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक नागरी लिपि में काफ़ी सीमा तक एकरूपता चली आ रही है। आज हिन्दी भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को ही 'नागरी लिपि' भी कहा जाता है।

प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस लिपि का नाम 'देवनागरी' या नागरी कैसे पड़ा? देवनागरी के नामकरण को लेकर विद्वानों ने अलग–अलग मत व्यक्त किए है। विद्वानों ने जो–जो मत दिए हैं, उनके पीछे किसी स्पष्ट प्रमाण के अभाव में हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी आज की हिन्दी–संस्कृत की लिपि का नाम नागरी या देवनागरी–पड़ ही गया और वह आज तक चला आ रहा है। संस्कृत भाषा का समस्त लेखन कार्य देवनागरी में ही हुआ है। और संस्कृत को तो देवभाषा कहा ही जाता था। अतः यह बड़ा स्वाभाविक लगता है कि देवभाषा को जिस लिपि में लिपिब(किया गया उसी लिपि का नाम देवनागरी पढ़ गया।

4.5 देवनागरी लिपि की विशेषताएं

देवनागरी लिपि संसारं की श्रेष्ठतम लिपियों में से एक लिपि है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है। इसमें अक्षरात्मक एवं वर्णामत्मक लिपियों की विशेषताएं पाई जाती है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. एक ध्वनि के लिए एक वर्ण वैज्ञानिक या आदर्श लिपि उसी लिपि को कहा जा सकता है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह अथवा वर्ण की व्यवस्था हो। जब किसी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक तिपि चिन्ह या वर्ण होते हैं तो अन्य भाषा भाषी को उस लिपि को सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। उर्दू से 'अ' ध्वनि को व्यक्त करने के लिए दो वर्ण हैं अलिफ तथा एन। जब 'आदमी' शब्द लिखना होता है सब अलिफ से लिखा जाता है तथा 'औरत' शब्द एम से। इसी प्रकार 'स' ध्वनि को व्यक्त करने के लिए तीन वर्ण हैं। 'सीन' 'स्वाद', तथा 'से' और सीखने वाले व्यक्ति को यह याद रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस वर्ण चिन्ह से लिखा जाएगा। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी में भी आपको ऐसे अनेक वर्ण मिलेगे जैसे 'क' ध्वनि को भी 'ब' वर्ण से ;जैसे बंजद्ध, कभी 'ा' वर्ण में ;जैसे ापजमद्ध तथा कभी ु' वर्ण से ;जैसे ुनपबाद्ध में व्यक्त किया जाता है।

   लेकिन देवनागरी में आमतौर पर एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक वर्णो का प्रचलन भी था जैसे–अ और न परन्तु अब इनके मानक रूप को ही रखा गया है।

2. **एक वर्ण एक ही ध्वनि**–आदर्श लिपि की यह भी विशेषता होती है कि उसमें एक वर्ण से एक ध्वनि का ही उच्चारण किया जाता है। अंग्रेजी तथा उर्दू से अनेक वर्ण ऐसे है जो एक से अधिक ध्वनियों का बोध कराते है। उदाहरण के लिए 'न' वर्ण की स्थिति देखिए। इसका उच्चारण अलग अलग शब्दों से अलग अलग स्वरों के लिए किया गया है। जैसे ठनजए च्नज, ठनेल, त्नकम आदि। परन्तु हिन्दी जो नागरी लिपि में लिखी जाती है, में प्रायः सभी वर्ण अलग अलग ध्वनियों का बोध कराते हैं।

3. **मात्राा एव वर्ण चिन्हों में भिन्नता**–देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अलग वर्ण हैं तथा उनकी मात्राओं के लिए अलग लिपि चिन्हों की व्यवस्था है। अतः जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलकर लिखना होता है तो उस स्वर की मात्राा लगा दी जाती है। परन्तु रोमन तथा फारसी लिपि में मात्राओं के लिए अलग से चिन्ह नहीं बनाए गए हैं।

4. **लेखन और उच्चारण में एकरूपता**–देवनागरी में लिपि चिन्हों का उच्चारण पूर्व निर्धारित है और व्यक्ति लिपि चिन्ह को देखकर वही उच्चारण करता है जिस उच्चारण को उसे लिखाया गया है। लेकिन अंग्रेजी में आपको ऐसी स्थि देखने को नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए हिन्दी में ध्वनि के लिए प्रत्येक शब्द में उच्चारण वही रहेगा जैसे–चमचा सच्चा, कांच आदि परन्तु अंग्रेजी में 'बी' वर्ण का उच्चारण 'च' ध्वनि रूप में होता है। तो वह हमेशा 'बी' उच्चारण 'च' के रूप में नहीं कर सकता क्योंकि कभी 'बी' 'च' के रूप में बोला जाता है तो कभी 'श' के रूप में तो कभी 'श' के रूप में। जैसे बिंपत ;चेयरद्ध च, बिंवे ;केओसद्ध–क, बिंउचंहदम ;शेम्पेनद्ध–श।

5. **सरल एवं स्पष्ट**– देवनागरी लिपि की एक यह भी विशेषता है कि यह सरल एवं स्पष्ट है जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है। अन्य लिपियों में कुछ वर्ण लिखे तो जाते है लेकिन उनका उच्चारण मौन रहता है। जैसे ज्ञदपमि ;नाइफद्ध ब्सउ ;कामद्ध आदि।

6. **व्यवस्थित रूप**–वेदनागरी लिपि उच्चारण को आधार बनावार चलती है और उसके वर्ण चिन्हों में उसी के अनुसार एक व्यवस्था है। पहले स्वरों के लिए लिपि चिन्ह है, बाद में व्यंजनों के लिए।

7. **ध्वन्यात्मकता**–ध्वन्यात्नक लिपि ही सर्वोतम लिपि मानी गई है क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है उसी के अनुरूप लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में यह विशेषता विद्यमान हैं।

इस प्रकार देवनागरी लिपि की उपर्युक्त विशेषताओं के दृष्टिगत हम इसे वैज्ञानिक लिपि कह सकते हैं। बनागरी लिपि का मानकीकरण

4.6 देवनागरी लिपि का मानकीकरण

भारत सरकार के शिक्षा मंत्राालय के अधीन हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 1967 में परिवर्धित देवनागरी नाम प्रकाशन में मानक हिन्दी वर्णमाला और वर्तनी को अंतिम रूप दिया। निदेशालय ने साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के हिन्दी में लेखन के लिए नये चिन्ह भी सुझाऐ हैं। देवनागरी के मानकीकरण के उदाहरण इस प्रकार है।

वर्णों का मानक रूप–हिन्दी का क्षेत्रा अत्यन्त विशाल होने के कारण इसमें कई वर्ण दो प्रकार से लिखे जाते हैं। लेकिन इससे गुण में कठिनाई आती है। लोगों को सीखने सिवाने में भी कठिनाई आती है। इसी कारण भारत सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा जिससे कि भाषा में एकरूपता आये। निवेशालय ने 1966 में नामक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की। नानक देवनागरी वर्णमाला नीचे दे गई है, से ध्यान देखें

स्वरः अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

मात्राएं ा ि ी ु ू े ै ो ौ

अनुस्वार ;अंद्ध

विसर्ग ;अःद्ध

व्यंजन	क	ख	ग	घ	घ
	च	छ	ज	झ	×ा
	ट	ठ	ड	ढ	ण
	त	थ	द	ध	न
	प	फ	ब	भ	म
	य	र	ल	व	
	श	ष	स	ह	
संयुक्त व्यंजन	क्ष	ण	श	श्र	

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सन् 1983 में 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' पुस्तिका प्रकाशित की थी। उक्त पुस्तिका में वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के बारे में कुछ नियन दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं

1. संयुक्त वर्ण

;कद्ध खड़ी पाई वाले व्यंजन–खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए यथा–

ख्याति, लग्न, विघ्न	व्यास
कच्चा, खज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्प	यक्ष्मा
शट्या	त्रा्यंबक

;खद्ध 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षरः

संयुक्त अड्डा, उफ्रतर आदि की तरह बनाऐ जायें न कि संयुक्त, अड्डा दफ्रतर की तरह

;गद्ध ड, छ, ट, इ, उ, द और उ के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, बांड.मय, यथा लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिन्ह, बह्ना आदि। इन्हें वांग्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्म आदि के रूप में न लिखा जाए।

;घद्ध संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूपों यथावत रहेंगे। यथा प्रकार धर्म, राष्ट्र।

2. विभक्ति चिन्ह

;कद्ध हिन्दी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दो से प्रातिपादित से पृथक लिखे जाएं जैसे–राम ने राम को, राम से आदि तथा स्त्राी ने, स्त्राी का स्त्राी से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे–उसने, उसको, उससे, उस पर आदि।

;खद्ध सर्वनामों के साथ यदि वो विभक्ति चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए? जैसे – उसके लिए, इसमें से।

;गद्ध सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'डी 'तक' आदि का निवाल हो तो विभक्ति को पृथक लिया जाए, जैसे आप ही के लिए, नुझ तक का।

3. क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक–पृथक लिखी जाएं कैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, ;जाया करता है, खाया करता है जा सकता है, कर सकता है, किया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि।

4. हाइफन

द्वन्द्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए जैसे–राम–लक्ष्मण, शिव–पार्वती–संवाद, देख–रेखऋ चाल–चलन, हंसी–मजाक, इसी प्रकार 'सा' 'जैसा आदि से पूर्व भी हाइफन रखा जाए, जैसे तुन–सा, राम–जैसा, चाकू– से आदि।

5. अव्यय

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं जैसे आपके साथ यहां तक। लेकिन 'प्रति' 'मात्राा' 'यथा' आदि अव्यय पृथक नहीं लिखे जाएंगे जैसे– प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्राा, यथासमय, यथोचित आदि।

6. अनुस्वार तथा अनुनासिका चिन्ह ;चंद्र बिंदूद्ध

अनुस्वार ;ंद्ध और अनुनासिकता चिन्ह ;–द्ध दोनों प्रचलित रहेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचमाक्षर के बाव सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधाा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा।

चंद्रबिंदू के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है जैसे हंसः हंस, अंगना अंगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदू का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किन्तु जहां ;विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्राा के साथद्ध चंद्रबिंदू के प्रयोग से छपाई आदि से बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदू के स्थान पर बिंदू ;अनुस्वार चिन्हद्ध का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहां चंद्रबिंदू के स्थान पर बिंदू के प्रयोग की छूट दी जा सकती है जैसे नहीं, मैं में।

7. विदेशी ध्वनियां–

क. अरबी–फारसी या अंग्रेजी मूलक के शब्द जो हिन्दी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिन्दी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिन्दी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं जैसे–कलम, किला, दाग आदि। लेकिन जहां उनका शु(विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहां उनके हिन्दी में प्रचलित रूपों में यथास्थान 'मुक्ते' लगाए जाएं।

ख. 'अंग्रेजी के जिन शब्दों में 'अर्धविवृत' 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शु(रूप का हिन्दी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की नामा ;ाद्ध के ऊपर अर्धचन का प्रयोग किया जाऐ ;ॉ, ोद्ध।

ग. हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिसके दो–दो रूप बराबर चल रहे हैं। विदुवत्समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। फिलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण है–गरदन / गर्दन, गरमी / गर्मी, भरती / भर्ती, बीमारी / बिगारी, बरसन / बर्तन आदि।

8. विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए जैसे–'दुःखानुभूति' में यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे 'दुख–सुख के साथी।

9. 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिन्दी में ऐ ;ैद्ध, ओ ; ौद्ध का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियां' 'है' 'और' आदि में है तथा दूसरे प्रकार की 'गवेया', 'कौवा' आदि में इन दोनों

ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ;ऐ,ै औ, ौद्ध का प्रयोग किया जाए 'गम्या' 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

10. अन्य नियम

1. शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
2. फुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएं तो अंग्रेजी में प्रचलित है, यथा ;'',–?!: =द्ध
3. पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई ;।द्ध का प्रयोग किया जाए।
4. श्रीमति, वींु शब्द गलत है–श्रीमती, वींू शब्द सही है।

4.7 सारांश

संक्षेप में हम कह सकते है कि भाषा समाज की आधरवस्तु है। समाज में मनुष्य के आचार व्यवहार से भाषा परिलक्षित होती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य समाज में सार्थक और स्पष्ट रूप में अपने विचारों को प्रकट करता है। भाषा जिन चिह्नों के माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते है। लिपि के माध्यम से मनुष्य भाषा में अपनी पकड़ को मजबूत करता है और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है।

4.8 कठिन शब्दावली

अभिव्यक्ति – विचार का आदान प्रदान।

मानक – शु(

ध्वनि – वर्ण

देवभाषा – संस्कृत भाषा अर्थात् देवताओं की भाषा।

परिवर्ध्न – सुधर/शुि(करण।

4.9 स्वयं आकलन के प्रश्न

1. लिपि का अर्थ बताएं।
2. भाषा के हिंदी दो रूपों के नाम लिखें।
3. हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताईएं।
4. भारत वर्ष की राजभाषा का नाम बताईएं।
5. हि.प्र. की राजभाषा बताईए।

4.10 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

1. उतर – चिह्न
2. उतर – राजभाषा और राष्ट्र भाषा
3. उतर – देवनागरी
4. उतर – हिंदी
5. उतर – हिंदी

4.11 सन्दर्भित पुस्तक

1. हिन्दी में आधुनिकीकरण–रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव

2. भाषा विज्ञान – भोलानाथ तिवारी
3. भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्राा –डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
4. हिंदी भाषा की संरचना – भोलानाथ तिवारी।

4.12 साित्राक प्रश्न

1. भाषा किसे कहते है? भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए?
2. राज भाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर लिखिएं।
3. सम्पर्क भाषा और मानक भाषा में अन्तर बताएं।
4. लिपि किसे कहते है? देवनागरी लिपि की विशेषता बताईंए।
5. देवनागरी लिपि का नामकरण तथा विशेषता लिखों।

प्रदत्त कार्य ;ोपहदउमदजद्ध के प्रश्न

नोट : निम्नलिखित प्रश्नों में से चार प्रश्नों के उतर दीजिए।

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्णन कीजिए।

2. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए।

3. हिंदी में स्वनिम व्यवस्था का वर्गीकरण का स्पष्ट करें।

4. हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन करें।

5. देवनागरी लिपि का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें।

अभ्यासार्थ प्रश्न

नोटः निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्ही पाय पश्नों के उत्तर दीजिए।

1. हिन्दी भाषा से आप क्या समझते हैं, हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।

2. विश्व की भाषाओं का परिचय देते हुए प्रमुख भाषा परिवारों के महत्व पर विस्तृत टिप्पणी डीजिए।

3. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर एक विस्तृत निबन्ध लिखें।

4. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

5. प्राचीन संस्कृत से अपभ्रंश तक के हिन्दी भाषा के विकासात्मक सफर पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिए।

6. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए।

7. हिन्दी की प्रमुख उपभाषाओं तथा बोलियों पर प्रकाश डालिए।

8. पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

9. खड़ी बोली हिन्दी के विकासात्मक सफर का परिचय देते हुए उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

10. टिप्पणियां लिखिएः

;कद्ध ब्रजभाषा ;खद्ध अवधी ;गद्ध राजस्थानी

11. हिन्दी के भाषिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था का परिचय दें।

12. हिन्दी शब्द रचना पर विचार करते हुए सामासिक शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालें।

13. व्याकरणिक कोटियों से आप क्या समझते हैं. विस्तार से लिखें।

14. संज्ञा के कारकीय रूपों को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए न, का, को, से की व्युत्पति का विचार करें।

15. वाक्य विचार से आप क्या समझते हैं। वाक्य रचना के कितने भेद है, स्पष्ट कीजिए।

16. हिन्दी के विविध रूपों का परिचय देते हुए राजभाषा हिन्दी पर विस्तार से निबन्ध लिखें।

17. देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास पर एक निबन्ध लिखें।

18. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न पत्राा–8

हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 80 ;पत्राचार एवं प्राईवेट परीक्षार्थीद्ध

पूर्णांक : 80 ;रेगुलर परीक्षार्थीद्ध

पाठ्य विषय

हिन्दी भाषा

खण्ड–एक

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं–वैदिक तथा लौकिक संस्कृत और उनकी विशेषताएं। मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाएं–पालि प्राकृत–शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं।

खण्ड–दो

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएं और उनका वर्गीकरण।

हिन्दी का भौगोलिक विस्तारः हिन्दी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियां। खडीबोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं।

खण्ड–तीन

हिन्दी का भाषिक स्वरूप–हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था–खंडीय, खंड्येतर। हिन्दी शब्द रचना–उपसर्ग, प्रत्यय, समास। व्याकरिणक कोटियां–लिंग, वचन, पुरुष कारक, और काल ;पक्ष और वृत्तिद्ध हिन्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वाक्य रचना और उसके भेद, पदक्रम और अन्विति।

खण्ड–चार

हिन्दी के विविध रूप–सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मानक भाषा, संचार–भाषा।

देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण।

अंक विभाजन तथा प्राश्निक के लिए निर्देश

निर्धारित पाठ्यक्रम में से दस आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से पांच के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। ;पत्राचार एवं प्राईवेट परीक्षार्थीद्ध

5ग16=80 अंक ;रेगुलर परीक्षार्थीद्ध

अनुशांसित पुस्तकें :

1. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद।
2. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास, लीडर प्रेस, प्रयाग।
4. हरीशचन्द्र पाठक, हिन्दी भाषा : इतिहास और संरचना, तक्षशिला प्रकाशनऋ दिल्ली।

5. नरेश मिश्र, भाषा विज्ञान और मानक हिन्दी, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली।
6. कृष्ण कुमार, गोस्वामी, शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिन्दी, आलेख प्रकाशन. दिल्ली।
7. कैलाश चन्द्र भाटिया, राजभाषा हिन्दी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
8. सीता राम झा 'श्याम' भाषा विज्ञान तथा हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।

डण्।ण् म्ंउपदंजपवद

भ्प्छक्

च्ंचमत.टप्प्

;हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपिद्ध

;छमू ैलससंइनेद्ध

ज्पउम रू जीतमम भ्वनते | डंगपउनउ डंतो रू 80

परीक्षार्थी अपने उत्तरों को दी गयी उत्तर–पुस्तिका ;40 पृष्ठद्ध तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त पृष्ठ जारी नहीं किया जाएगा।

नोट : ;पद्ध किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

;पपद्ध सभी प्रश्न समान अंकों के हैं।

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं का सोदाहरण परिचय दीजिए।
2. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किसी एक वर्गीकरण का विवेचन कीजिए।
3. पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी की बोलियों के आधार पर उनका परिचय. दीजिए।
4. 'अवधी' की प्रमुख विशेषताओं का सोदाहरण परिचय दीजिए।
5. हिन्दी की खंड्येतर ध्वनियों की वर्गीकृत विवेचना कीजिए।
6. लिंग, वचन और पुरुष व्याकरणिक कोटियों के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।
7. वाक्य–रचना में पदक्रम और अन्विति की विवेचना कीजिए।
8. हिन्दी के राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा रूपों का परिचय दीजिए।
9. 'नागरी लिपि की विशेषताएँ' शीर्षक पर वैज्ञानिक लेख लिखिए।
10. 'हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण' का सोदाहरण विवेचन कीजिए।